लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र]

Twelfth Session

सत्यमेव जयते

...vation Unit
1-6-92
...ment Library
20-12-83

[खंड 45 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLV contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 13—गुरुवार, 2 सितम्बर, 1965/11 भाद्र, 1887 (शक)
No. 13—*Thursday, September,* 2, 1965/11 *Bhadra,* 1887 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
361	चौथी योजना के लिये सोवियत संघ से सहायता	Soviet Aid for Fourth Plan . .	1319–21
362	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये नगर भत्ता	City Compensatory Allowances to Central Government Employees	1322–24
363	बम्बई तथा केरल में फर्मों पर छापे	Raids on Firms in Bombay and Kerala	1324–26
364	आवास योजनाओं का एकीकरण	Integration of Housing Schemes .	1326–28
365	सोने का तस्कर व्यापार	Gold Smuggling . . .	1328–32
366	दिल्ली प्रशासन में पंजीकृत चिट-फण्ड कम्पनियां	Chit-Fund Companies Registered with Delhi Administration .	1332–34
367	केन्द्रीय परिवार नियोजन बोर्ड	Central Family Planning Board .	1234–36
368	भारत को विश्व बैंक से सहायता	World Bank Assistance to India .	1236–39
369	केरल राज्य को अनुदान	Grants to Kerala State .	1339

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
359	वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम की भारत यात्रा	Visit of West Indies Cricket Team to India	1340
360	दिल्ली में बाढ़	Floods in Delhi . .	1340
370	योजना मंत्री की योरोप यात्रा	Visit by Minister of Planning to Europe	1341
371	नंगल के बिजली घर में विस्फोट	Explosion in Nangal Power Station	1341

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.

1—26 L. S./66

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
372	कर अपवंचन	Tax Evasion . . .	1341–42
373	आई० यू० सी० डी०	I. U. C. D. . .	1342
374	कृषि के लिये बिजली की दरें	Power Rates for Agriculture	1342
375	दिल्ली में सरकारी कार्यालय	Government Offices in Delhi	1343
376	कलकत्ता का विकास	Development of Calcutta .	1343
377	विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange .	1343–44
378	भारत की आयात नीति (1965-66) सम्बन्धी "रैड बुक"	'Red Book'—India's Import Policy (1965-66)	1344
379	गंगा और ब्रह्मपुत्र को नहर द्वारा मिलाना	Canal linking Ganga and Brahmaputra	1345
380	प्रशासन में मितव्ययिता	Economy in Administration	1345
381	दिल्ली मे जल परिक्षण सुविधाएं	Water Testing Facilities in Delhi.	1346
382	केंद्रीय परिचर्या (नर्सिग) सेवा	Central Nursing Service	1346
383	गर्भपात को वैध बनाना	Legalisation of Abortion	1346
384	गुमनाम फर्में	Ghost Firms	1347
385	सरकारी प्रेसों में काम करनेवाले गर-औद्योगिक कर्मचारी	Non-industrial Employees Working in Government Presses .	1347
386	इरविन अस्पताल	Irwin Hospital . . .	1347–48
387	देश की सीमा की रक्षा करते हुए मारे गये सिपाहियों को सम्पदा शुल्क से छूट	Exemption from Payment of Estate Duty to Policemen killed in Action	1348
388	जस्त की नालीदार चादरों का चोरी-छिपे पाकिस्तान को भेजा जाना	Smuggling of G. C. Sheets to Pakistan	1349

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
1293	अमरीकी सहायता से प्राप्त माल लाने के लिय अपात्र जहाज	Ineligible Vessels for carrying U. S. Aided Cargo . . .	1349
1294	केरल में समुद्र द्वारा भूमि-कटाव को रोकने के कार्य	Anti-Sea Erosion Works in Kerala	1350
1295	केरल के लिय योजना व्यय	Plan Expenditure for Kerala .	1350
1296	केरल में पंचवर्षीय योजना	Five Year Plan in Kerala .	1350

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1297	विश्व चिकित्सा संस्था	World Medical Association .	1350–51
1298	कोटा में मिट्टी हटाने वाली भारी मशीनों को चलाने के बारे में प्रशिक्षण देने वाला केन्द्र	Operation of Heavy Earth Moving Machines Training Centre, Kotah	1351
1299	केरल के सुनार	Goldsmiths in Kerala . .	1351–52
1301	नर्मदा घाटी परियोजना	Narmada Valley Project	1352
1302	केरल में ग्राम्य आवास योजनायें	Rural Housing Schemes in Kerala	1353
1303	भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिये मकान	Houses for Landless Agricultural Labourers . . .	1354
1304	दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण	Flood Control in Delhi .	1354–55
1305	नजफगढ़ नाला	Najafgarh Drain .	1355–56
1306	ग्राम विकास दल	Rural Development Corps .	1356
1307	बरौनी का तापीय बिजली घर	Barauni Thermal Power Station .	1356
1308	कर अपवंचन	Tax Evasion . .	1357
1309	गोविन्द वल्लभ पन्त ममोरियल अस्पताल, दिल्ली	Govind Ballabh Pant Memorial Hospital, New Delhi . .	1357
1310	दिल्ली के अस्पताल	Delhi Hospitals	1357–58
1311	केरल के लिये सिंचाई योजनायें	Irrigation Schemes for Kerala .	1358
1312	उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री	Former Chief Minister of Orissa .	1358–59
1313	तपेदिक नियंत्रण केन्द्र	T.B. Control Centres . . .	1359
1314	राज्यों में केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये मकान	Houses for Central Staff in States	1359–60
1315	चिकित्सा सम्बन्धी स्नातकोत्तर शिक्षा	Post-Graduate Medical Studies.	1360
1316	त्रिवेन्द्रम आयुर्वेदिक केन्द्र	Trivandrum Ayurvedic Centre .	1360
1317	पश्चिमी बंगाल में संतालडीह बिजलीघर	Santaldih Power Station in West Bengal	1361
1318	बाढ़ सुरक्षा	Flood Protection . .	1361
1319	योजना आयोग	Planning Commission . .	1361–62
1320	जल सम्भरण की स्थिति	Water Supply Position . .	1362

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1321	परियोजना स्थलों पर उपकरण	Equipment at Project Sites	1362–63
1322	औद्योगिक वित्त निगम	Industrial Finance Corporation	1363
1323	चीन में बनी वस्तुओं का भारत में चोरी-छिपे लाया जाना	Smuggling of Chinese Goods into India	1364
1324	सिंचाई और विद्युत योजनायें	Irrigation and Power Schemes	1364
1325	चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा तथा प्रशिक्षण	Medical Education and Training	1364
1326	राम गंगा परियोजना	Ramganga Project	1365
1327	सोने का तस्कर व्यापार	Gold Smuggling	1365
1328	परिवार नियोजन	Family Planning	1366
1329	राष्ट्रीय योजना परिषद्	National Planning Council	1366-67
1330	सरकार तथा भारत सेवक समाज के बीच लेन-देन	Transactions between Government and Bharat Sewak Samaj	1367
1331	गायों के रखने के स्थान (शेड्स) बनाना	Building of Cow Sheds	1667
1332	कलकत्ता में तस्कर व्यापार	Smuggling in Calcutta	1367–68
1333	योग गवेषणा केन्द्र	Yoga Research Centres	1368
1334	श्रीसेलम जल-विद्युत परियोजना	Srisailam Hydro-electric Project	1368
1335	दिल्ली में बर्फ की कमी	Shortage of Ice in Delhi	1368–69
1336	गोदावरी ऐनीकट	Godavari Anicut.	1369
1337	दिल्ली में अंग्रेज़ों की प्रतिमाओं का हटाया जाना	Removal of Statues of Britishers in Delhi	1369
1338	कम तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिये योजनायें	Schemes for Low and Middle Income Groups	1370–71
1339	शोलायार परियोजना	Sholayar Project	1370
1340	केरल की सिंचाई परियोजनायें	Kerala Irrigation Projects	1370–71
1341	नई दिल्ली में दुधारु पशुओं को रखना	Keeping of Milch Cattle in New Delhi	1371
1342	प्रबन्ध-कर्मचारी	Managerial Personnel	1371
1343	मंत्रियों द्वारा सरकारी कारों का निजी कार्यों के लिये प्रयोग	Use of Staff Cars for Private use by Ministers	1371–72

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1344	अरब देशों से माल का चोरी छिपे लाया जाना	Smuggling of goods from Arab Countries	1372
1345	मंत्रालयों में स्टाफ कारें	Staff Cars in Ministries . .	1373
1346	सरकारी उपक्रम	Public Sector Undertakings .	1373
1347	निषिद्ध माल का जब्त किया जाना	Confiscation of Contraband Goods	1373–74
1348	पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश का प्रौद्योगिक-आर्थिक सर्वेक्षण	Techno-Economic Survey of Punjab and Himachal Pradesh .	1374
1349	राजधानी में होमियोपैथी कालिज	Homoeopathic College in Delhi .	1374
1350	विदेशी ऋण	Foreign Loans . . .	1374–75
1351	भूमि सुधार	Land Reforms . . .	1375–76
1352	इन्द्रप्रस्थ बिजली घर दिल्ली	Indraprastha Power ,Station Delhi	1376
1353	आन्ध्र प्रदेश में बिजली का संकट	Power Crisis in Andhra Pradesh	1377
1354	संयुक्त-भारत जर्मन आर्थिक आयोग	Joint Indo-German Economic Commission	1377
1355	ज्वार भाटा की लहरों से विद्युत	Power from Tidal waves .	1377
1356	सामाजिक-आर्थिक गवेषणा परिषद्	Socio-Economic Research Council	1378–78
1357	मंत्रियों तथा उपमंत्रियों के बंगले	Bungalows of Ministers and Deputy Ministers. . . .	1378
1358	नज़फगढ़ तथा सफदरजंग क्षेत्रों में मकान	Houses in Najafgarh and Safdarjung Areas	1378
1359	केरल में उपभोक्ता सहकारी समितियां	Consumer Co-operative Societies in Kerala	1379
1360	जीवन बीमा निगम की "अपना घर बनाओ" योजना	L. I. C. "Own Your Home" Scheme	1379
1361	बस्तियां (सेटेलाइट टाउन)	Satellite Towns . .	1379–80
1362	उद्योग की बिजली सम्बन्धी आवश्यकता	Power Needs of Industry .	1380
1363	जर्मन पूंजी का विनियोजन	Investment of German Capital .	1380
1364	केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में जल सम्भरण व्यवस्था	Water Supply in Coastal Areas of Kerala	1380–81
1365	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सवारी भत्ता	Conveyance Allowance to Central Government Employees .	1381

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1366	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	National Tuberculosis Control Programme	1381
1367	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क विभाग के अनुसचिवीय कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of Ministerial staff of the Central Excise and Customs Department . . .	1382
1368	केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा शुल्क विभाग के अनुसचिवीय कर्मचारियों की पदोन्नतियां	Promotions of Ministerial Staff of the Central Excise and Customs Department	1382–83
1369	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क विभागों के कर्मचारियों को पदोन्नत न करना	Non-promotion of Staff of Central Excise and Customs Departments	1383–84
1370	फरक्का बांध	Farakka Barrage	1384
1371	दिल्ली का विद्युत शवदाह-गृह	Electric Crematorium, Delhi	1384
1372	राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य परिषद्	National School Health Council	1385
1373	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा विभागीय रूप से कार्य करना	Works Departmentally Executed by C. P. W. D. . . .	1385
1374	गाजीपुर अफीम कारखाना	Ghazipur Opium Factory . .	1385–86
1375	मजदूर वर्ग के लिए भोजन तालिका (शेड्यूल)	Diet Schedule for Working Classes	1386
1376	विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमोंका उल्लंघन	Violations of Foreign Exchange Regulations	1386–87
1377	विदेश जाने वाले सम्पादकों के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to Editors going Abroad	1387
1378	नई दिल्ली स्थित श्रमजीवी महिला कर्मचारियों का सरकारी होस्टल	Government Working Girls' Hostel, New Delhi. . . .	1387
1379	कानपुर में लूप कारखाना	Loop Factory at Kanpur .	1388
1380	ग्रामदान आन्दोलन	Gramdan Movement . .	1388
1381	भारतीय विद्युत नियमों का संशोधन	Amendment of Indian Electricity Rules	1388–89
1382	बिहार में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा अनुसन्धान कार्य	Research work by C. W. & P. C. in Bihar	1889
1383	बाढ़ से हानि	Damage Due to Floods	1389

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECTS	पृष्ठ PAGE
1384	केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क पुनर्गठन सम्बन्धी चन्दा समिति का प्रतिवेदन	Chanda Committee Report on Central Excise Re-organisation .	1390
1385	रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में क्वार्टर	Quarters in Ramakrishnapuram, New Delhi	1390
1386	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये मकान	Houses Built by Delhi Development Authority . . .	1390
1387	राज्य सरकारों में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले कर्मचारियों के लिए मकान	Accommodation to Employees going on Deputation to State Governments	1391
1388	सरकारी प्रेसों में प्रोत्साहन बोनस योजना	Incentive Bonus Scheme in Government Presses. . .	1391
1389	राज्यों में सिंचाई तथा बिजली योजनायें	Irrigation and Power Schemes in States	1392
1390	ऊपरी कृष्णा परियोजना	Upper Krishna Project	1392
1391	मद्रास शहर में पीने के पानी की व्यवस्था	Drinking Water Supply to Madras City	1392–93
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		Papers Laid on the Table . .	1393–95
राज्य सभा से सन्देश		Message from Rajya Sabha	1395
काश्मीर की स्थिति के बारे में वक्तव्य—		Statement re : Situation in Kashmir—	
श्री यशवन्तराव चव्हाण		Shri Y. B. Chavan . . .	1396
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प–अस्वीकृत और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—		Statutory Resolution re : Aligarh Muslim University (Amendment) Ordinance—negatived; and Aligarh Muslim University (Amendment) Bill—	
विचार करनें का प्रस्ताव—		Motion to consider—	
श्री प्रकाशवीर शास्त्री		Shri Prakash Vir Shastri	1396–1401
श्री स्वैल		Shri Swell .	1401–02
श्री मुथिया		Shri Muthiah . . .	1402–04
श्री मुजफ्फर हुसैन		Shri Muzaffar Husain	1404–05
श्री शिव नारायण		Shri Sheo Narain . .	1405
श्रीमती सुभद्रा जोशी		Shrimati Subhadra Joshi	1405–06
श्री बड़े		Shri Bade	1406–09

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री कोया	Shri Koya	1409–11
श्री बाकरअली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirza	1411–13
श्री मु० क० चागला	Shri M.C. Chagla	1413–19
इंडियन एअरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा कैरेविल वायुयानों की उड़ानों को बन्द करने के बारे में वक्तव्य—	Statement Re: Grounding of Caravelles by the Indian Airlines Corporation—	
श्री राजबहादुर	Shri Raj Bahadur	1419
अध्यापकों द्वारा आन्दोलन के बारे में प्रस्ताव—	Motion re: Agitation by Teachers—	
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	1420–23
श्री वासुदेवन् नायर	Shri Vasudevan Nair	1423–24
श्री क० ना० तिवारी	Shri K. N. Tiwari	1424
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	1424–25
डा० मा० श्री० अणे	Dr. M. S. Aney	1425–26
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	1426–27
श्री बाल्मीकी	Shri Balmiki	1427
श्री युद्धवीर सिंह	Shri Yudhvir Singh	1427
श्री रंगा	Shri Ranga	1428
श्री अल्वारेस	Shri Alvares	1428
श्री मु० क० चागला	Shri M. C. Chagla	1428–29

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 2 सितम्बर, 1965/11 भाद्र, 1887 (शक)

Thursday, September 2, 1965/Bhadra 11, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

चौथी योजना के लिये सोवियत संघ से सहायता

+

*361. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ओंकारलाल बरवा :
श्री गुलशन :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री सोळंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत संघ चौथी पंचवर्षीय योजना की क्रियान्विति के लिये परियोजना तथा गैर-परियोजना सम्बन्धी कितनी सहायता दे सकेगा; और

(ख) यदि हां, तो सहायता किन शर्तों पर उपलब्ध होगी ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : चौथी पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित करने के लिये सोवियत संघ द्वारा दी जाने वाली सहायता की मात्रा के बारे में अभी सोवियत अधिकारियों से बातचीत की जा रही है जिन्हें हमारी आवश्यकताओं की जानकारी दे दी गयी है। आशा है कि अगले कुछ महीनों में सोवियत विशेषज्ञ तकनीकी विचार-विमर्श के लिए भारत आयेंगे। इस विचार-विमर्श के बाद ही सोवियत रूस द्वारा दी जाने वाली सहायता की शर्तों और अन्य बातों के ब्यौरे के सम्बन्ध में बातचीत की जायेगी।

श्री श्रीनारायण दास : भारत सरकार सोवियत सहायता को किन किन परियोजनाओं में लगाना चाहेगी।

श्री ब० रा० भगत : आम तौर पर यह सहायता उन परियोजनाओं के लिये होगी जिन के लिये हमें रूस का सहयोग प्राप्त है और जिन को हमने विस्तार के लिये चुना है। सर्व प्रथम वे परियोजनायें ली जायेंगी। इसके पश्चात् और परियोजनायें भी है, विशेषत: अधिक पूंजी वाली भारी इंजीनियरी या भारी इलेक्ट्रीकल या रासायनिक परियोजनायें।

श्री श्रीनारायण दास : क्या सरकार ने सोवियत सरकार को कोई संकेत दिया है कि किस हद तक वह सहायता को परियोजनाओं तथा गैर-परियोजनाओं के लिये प्रयोग में लाना चाहेगी ?

श्री ब० रा० भगत : हमने परियोजनायों के लिये उनको एक सूची दी है। इस सम्बन्ध में उनसे बात चीत हुई थी। गैर-परियोजना सहायता का प्रश्न भी उन के साथ उठाया गया है।

श्री श्रीनारायण दास : मेरा प्रश्न यह है कि उन को क्या कोई ऐसा संकेत दिया गया है कि परियोजनाओं तथा गैर-परियोजनाओं के लिये हमें किस हद तक सहायता की आवश्यकता है।

श्री ब० रा० भगत : सहायता की मात्रा को या दूसरे ब्यौरे को केवल बाद में ही निश्चित किया जा सकता है।

श्री प्र० चं० बरुआ : रुपया भुगतान पद्धति के अन्तर्गत कितना आयात किया जायेगा और किस प्रकार की वस्तुओं के लिये रुस को रुपये में भुगतान स्वीकार्य नहीं है ?

श्री ब० रा० भगत : सब रुपये के भुगतान में है।

Shri Yashpal Singh : May I know the extent of additional collaboration that we will be getting in the Fourth Plan from Russia as compared to the Third Plan and the interest we will have to pay on the whole amount. ?

Shri B. R. Bhagat : If the hon. Member wants to know the rate of interest that we will have to pay, a separate question may be tabled, because that is question of detail.

Shri Vishwa Nath Pandey : May I know the time by which the discussions with the Soviet Government with regard to these projects will be completed.?

Shri B. R. Bhagat : Their technical team is likely to visit India in near future.

श्री कपूर सिंह : चौथी योजना में रूस से मिलने वाली सहायता अमरीका से मिलने वाली सहायता की तुलना में कितनी है ?

श्री ब० रा० भगत : अमरीका का प्रश्न इससे भिन्न है; यह प्रश्न रुस के सम्बन्ध में है।

अध्यक्ष महोदय : वह तुलना चाहते हैं।

श्री कपूर सिंह : मुझे यह जानने का अधिकार है कि हमें कितनी सहायता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रश्न को अस्वीकार नहीं किया है। उनके पास वह सूचना नहीं है, मैंने उनको यह बता दिया है कि आप तुलना चाहते हैं।

श्री दाजी : विभिन्न परियोजनाओं के लिये और गैर-परियोजनाओं के संबंध में रूस से कुल कितनी सहायता अपेक्षित होगी इस के सम्बन्ध में क्या सरकार ने क्या कोई मूल्यांकन किया है ? क्या यह रुपये में या रूबल में होगी ?

श्री ब० रा० भगत : हमारे पास अभी राशियों के आंकड़े नहीं है। हमने परियोजनाओं की सूची दे दी है। हम ने अस्थायी प्राक्कलन बनाये हैं परन्तु वह अभी अस्थायी ही हैं।

श्री दाजी : वे परियोजनायें कौन-सी हैं।

श्री ब० रा० भगत : मैं इस प्रश्न के उत्तर में यह नहीं बता सकता, मुझे अभी इस का हिसाब लगाना है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं जान सकता हूं कि रूस सरकार ने कुछ परियोजनाओं के लिये प्राथमिकता या अधिमान का संकेत दिया है, जैसा कि सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं और अन्य परियोजनाएं हैं, और क्या हमारी सरकार ने जल्दी ही आने वाले रूसी विशेषज्ञों के साथ बात चीत के लिये इन परियोजनाओं की कोई रूपरेखा तैयार की है ?

श्री ब० रा० भगत : उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया है परन्तु वह दल सभी परियोजनाओं की जांच करेगा।

श्री अल्वारेस : मुझे विश्वास है कि सरकार को परियोजनाओं के लिये जो भी सहायता रूस सरकार से चाहिये उसकी सूची रूस सरकार को दे दी है और उतनी सहायता उनसे ले ली है। परन्तु क्या वह मुझे यह बतायेंगे कि परियोजनाओं के अतिरिक्त जितनी सहायता चाहिए उनका अनुमान लगा लिया गया है; यदि हां, तो विदेशों से किस प्रकार वह सहायता ली जायेगी ?

श्री ब० रा० भगत : जहां तक परियोजना के अतिरिक्त सहायता का प्रश्न है उसका अभी निश्चय करना है। हमने यह प्रश्न उठाया है और विचार है कि रूस सरकार के साथ व्यापार योजना में इस को सुलझाया जायेगा। जैसा कि मैंने कहा सही आंकड़े बताना बहुत कठिन है परन्तु व्यापार योजना जिस में और बहुत-सी आवश्यकताओं का भी समावेश होगा चौथी पंचवर्षीय योजना से दुगनी होगी। यह अेक सुझाव है। कुल कितनी विदेशी सहायता की आवश्यकता है, वह योजना में बता दी गई है।

श्री अल्वारेस : क्या उन्होंने इस के बारे में पूछा नहीं है ?

श्री बा० रा० भगत : उन्होंने इस बारे में पूछा नहीं है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मैं जान सकती हूं कि रूस सरकार ने परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये वित्त देने के अतिरिक्त तकनीकी कर्मचारी-वर्ग देने के संकेत भी दिये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : यह ब्यौरेवार जांच करने का विषय है। यदि आवश्यक हुआ तो वह ऐसा करेंगे।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये नगर भत्ता

+

*362. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री बागड़ी :**
श्री स० मो० बैनर्जी : **श्री राम सहाय पाण्डेय :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली और नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले नगर-भत्ता-क्रम में परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल ही पैदा नहीं होता ।

श्री प्र० चं० बरुआ : वह आधार या कसौटी क्या है जिस पर वर्तमान 8 प्रतिशत का नगर भत्ता निश्चित किया गया है और इस पर कितना व्यय होगा ?

श्री ब० रा० भगत : यह भिन्न नगरों के लिये भिन्न भिन्न है—नगरों को (क), (ख), (ग) आदि चार श्रेणियों में बांटा गया है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : इसकी कसौटी क्या है ?

श्री ब० रा० भगत : दिल्ली में यह दस प्रतिशत है—कम से कम 7.5 प्रतिशत और अधिक से अधिक 12.5 प्रतिशत ।

श्री प्र० चं० बरुआ : इसको निर्धारित करने के आधार क्या हैं ?

श्री ब० रा० भगत : वास्तविक में इसका निर्धारण जनसंख्या, निर्वाह व्यय और दूसरी बहुत-सी बातों पर आधारित है ।

श्री स० मो० बैनर्जी : आज या कल समाचार पत्रों में यह समाचार छपा है कि सरकार उन सरकारी सेवकों के वेतन श्रेणियों में, जिन का वेतन 2000 से 2500 तक प्रति मासिक है, संशोधन करने का विचार कर रही है । या सरकार का उन को बढ़ी हुई कीमतों के लिये अधिक भत्ता देने का विचार है । क्या मैं जान सकता हूं कि कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले पर भी साथ ही विचार किया जायेगा कि उनका नगर भत्ता बढ़ाया जाये या उनके वेतन श्रेणी में वृद्धि की जाये ?

श्री ब० रा० भगत : इस के अतिरिक्त मुझे कोई जानकारी नहीं है कि एक समाचार छपा है ।

श्री स० मो० बैनर्जी : समाचार पत्र में छपा है कि उनको सरकारी सूत्रों से यह सूचना मिली है । मेरा साधारण प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस का पुनरीक्षण करने वाली है ?

अध्यक्ष महोदय : जब वह यह कहते हैं कि इनको उसका ज्ञान नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : उन को प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर देने दीजिये कि क्या सरकार का कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की वेतन श्रेणी में संशोधन करने का विचार है।

श्री ब० रा० भगत : उन्होंने एक समाचार की चर्चा की है इस के अतिरिक्त मुझे और किसी बात की जानकारी नहीं है। इस समय ऐसी कोई बात विचाराधीन नही है।

श्री प्र० र० चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकता हूं कि उच्च निर्वाह व्यय को देखते हुए नगर भत्ता में वृद्धि करने की ऐसी कोई योजना जैसी की धनबाद में है सरकार के विचाराधीन है ?

श्री ब० रा० भगत : जहां तक धनबाद का सम्बन्ध है, ऐसा हो सकता है परन्तु जब शहरों या नगरों का, वर्गीकरण किया जाता तो इन सब बातों पर विचार किया जाता है।

श्री प्र० र० चक्रवर्ती : वह जनसंख्या के अनुसार है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उच्च निर्वाह व्यय को भी ध्यान में लाया जाता है ?

श्री ब० रा० भगत : ऐसा नहीं किया गया है।

श्री अ० प्र० शर्मा : (क), (ख) और (ग) वर्ग के शहरों को नगर भत्ता देने के अतिरिक्त दूसरे वेतन आयोग की एक यह भी सिफारिश थी कि जिन स्थानों को जनसंख्या के आधार पर नही परन्तु जिन का निर्वाह व्यय अधिक है उन को भी नगर भत्ता दिया जाये। मैं जानना चाहता हूं कि उन को यह भत्ता अभी तक क्यों नहीं दिया गया और सरकार इस बारे में क्या कर रही है।

श्री ब० रा० भगत : यद्यपि अभी हम निर्वाह व्यय के आंकड़े ठीक कर रहे हैं परन्तु उनको कार्यान्वित करने के लिये हमें दूसरे स्थानों के निर्वाह व्यय को भी ध्थान में रखना होगा। बहुत से बड़े नगर है जिस में हम इस को लागू कर रहे हैं। परन्तु जब तक ऐसा नहीं हो जाता भत्ते को निर्वाह व्यय से सम्बन्धित करना बहुत कठिन है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार प्रदेश सरकारों की प्रतिपूर्ति करने के लिये तैयार होगी यदि प्रदेश सरकारों के कर्मचारियों के वेतनों पर भी केन्द्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का प्रभाव पड़े।

श्री ब० रा० भगत : नहीं, महोदय।

Shri Rameshwara Nand : May I know the reasons why the higher officers get more allowances and lower officers get less when requirements of all the people are generally the same ?

Shri B. R. Bhagat : We have not yet been able to form a classless society, as and when it is done then all will get the equal allowance.

Shri Rameshwara Nand : This was not my question.

Mr. Speaker : Hon. Minister says that it is due to the fact that we have not yet reached to that point where all may get equal allowance.

Shri Rameshwara Nand : My question was that why it was so. If I could not know it from the Hon. Minister then I don't know from whom I could get this information.

Mr. Speaker : I can only admit the question what else I can do.

श्री दाजी : क्या यह सच है कि सरकार ने ऐसा निश्चय किया है कि वे अधिकारी भी, जिन का वेतन एक हजार से अधिक है और जिन को अभी कोई भत्ता नहीं मिलता, महंगाई भत्ता और नगर भत्ता पाने के हकदार होंगे ?

श्री ब० रा० भगत : नहीं महोदय :

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार किसी ऐसे सूत्र को अपनाने पर विचार कर रही है जिस से नगर भत्ते का मूल्य देशनांक के साथ अपने आप सम्बन्ध हो जाये ?

श्री ब० रा० भगत : नहीं महोदय ।

श्री कपूर सिंह : क्यों नहीं ?

श्रीमती सावित्री निगम : जब कि महंगाई भत्ता वेतन के आधार पर दिया जाता है है और कम वेतन पानेवालों को अधिक वेतन पाने वालों से अधिक मिलता है तो नगर भत्ता सब के लिये एक सा क्यों है ? क्या सरकार इस में संशोधन करने का विचार कर रही है ?

श्री ब० रा० भगत : नगर भत्ता एक सा नहीं है। 150 रुपये से कम वेतन के लिये एक दर है और 150 से अधिक वेतन वालों के लिये दूसरी दर है। (घ) वर्ग के नगरों के लिये तीन दरें है । एक दर 250 से कम वेतन वालों के लिये और दूसरी इस से अधिक वेतन वालों के लिये ।

बम्बई तथा केरल में फर्मों पर छापे

+

*363. **श्री स० चं० सामन्त** :

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वित्त** मंत्री 11 मार्च, 1665 के तारांकित प्रश्न संख्या 398 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बात बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा बम्बई तथा केरल की फर्मों पर मारे गये छापे में पकड़े गये दस्तावेजों की जांच इस पुरी बीच हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहु) : (क) पकड़े गये कागजों की विस्तार-पूर्वक जांच के जल्दी ही पूरे होने की आशा है । कागजों से प्राप्त की गयी जानकारी के आधार पर जांच पड़ताल जारी है ।

(ख) विदेशी मुद्रा विनिमयों के प्रवर्तन निदेशक ने अब तक चार मामलों का न्याय-निर्णय किया है और दूसरी बातों के साथ साथ कुल 15,000 रु० के दण्ड लगाये हैं । आगे जांच पड़ताल हो रही है और उसके पूरे होने पर योग्य कार्यवाही करने का विचार किया जायगा ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि 21 नवम्बर, 1964 को इन मकानों पर छापा मारा गया था ? इन बातों की जाँच में सरकार इतना समय क्यों लगा रही है ?

श्री ब० रा० भगत : आगे जानकारी इकट्ठी करने के लिये और जांच करनी होती है। इसीलिए समय लगता है।

श्री स० चं० सामन्त : इस जाँच पड़ताल में कितने रुपये की नकदी और जेवरात आदि बरामद हुए और अब उनकी क्या स्थिति है ?

श्री ब० रा० भगत : इस दशामें मैं वह सब नहीं बताना चाहता। जांच पड़ताल पूरी हो जाने पर ही सम वह बता सकेंगे ?

Shri M. L. Dwivedi : Some film actresses were searched at Bombay in this connection. I would like to know the action taken afterwards and the result thereof.

Shri B. R. Bhagat : There is a separate question in regard to that.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : माननीय वित्त मंत्री इस स्थिति का क्या स्पष्टीकरण देंगे कि पहली सौ व्यापारिक फर्मों ने इस योजना के अधीन कोई छिपा धन जाहिर नहीं किया है और न ही प्रवर्तन शाखाने इन फर्मों की कोई तलाशी ली है ? यदि चोरी का धन इतने बड़े पैमाने पर होने का उनका अनुमान हो तो क्या उनका यह अनुमान है कि ये फर्म इसमें संबद्ध नहीं ह या वह इस मामले में असहाय हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : यह प्रमुख प्रश्न है। यह इसमें से उत्पन्न नहीं होता। यदि लोग कोई धन घोषित नहीं करते तो वह उनके निर्णय का प्रश्न है। यह अनुमान कि उनके पास चोरी का धन है, कानून की दृष्टि से शायद न्यायोचित न हो। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है कि मैंने किसी विशिष्ट व्यक्ति के मकान की तलाशी क्यों नहीं ली, तो मैं तब तक किसी के घर की तलाशी नहीं ले सकता जब तक कि मुझे पूरी पूरी जानकारी न मिले।

श्री वासुदेवन् नायर : केरल राज्य में किन किन फर्मों पर छापा मारा गया था ?

अध्यक्ष महोदय : अब वह प्रत्येक राज्य की फर्मों के नाम जानना चाहते हैं।

श्री वासुदेवन् नायर : यह प्रश्न बम्बई और केरल के संबंध में है।

श्री ब० रा० भगत : केवल एक ही फर्म ऐसी है जिसे दोषमुक्त कर दिया गया है।

श्री स० मो० बनर्जी : बंबई और केरल में की गई जांच पड़ताल के अलावा क्या यह सच है कि प्रवर्तन शाखा, विदेशी मुद्रा विनियम, के पदाधिकारियों को मद्रास में श्री रामनाथ गोयनका की फर्मों पर छापा मारने की इजाजत नहीं दी गयी थी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता। यह प्रश्न खास तौर से बंबई और केरल के संबंध में है ?

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार को इस जनमत की जानकारी है कि छापे मारने के बाद काफी समय बीत चुका है और सरकारने इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की है और क्या इसका यह कारण है कि या तो निर्दोष व्यक्तियों को तंग किया जा रहा है या उनमें समृद्ध व्यक्ति संबंधित हैं जो सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाये ? यदि हां, तो सच क्या है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जहां तक सरकार की जानकारी है, हमने ऐसी कोई शिकायतें नहीं सुनी हैं।

श्री भागवत झा आजाद : मैं शिकायतों के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सच है, कार्यवाही करने में इतनी देर लगने के क्या कारण है?

अध्यक्ष महोदय : यह बताया जा चुका है कि और आगे जांच पड़ताल जारी है।

श्री भागव झा आजाद : सरकार के पास इतना ज्यादा साज सामान है; वह किस लिए है?

अध्यक्ष महोदय : वह इसे अपने दलमें पूछें, यहां नहीं।

श्री दी० चं० शर्मा : छापे मारने के लिये प्रवर्तन निदेशालय किस कसौटी पर फर्मों को चुनता है और बंबई तथा दूसरी जगहों पर किन कसौटियों पर वह निदेशालय साफ बच निकलने वाली फर्मों पर छापे मारने के लिये अनुमति देता है?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : वह जानकारी पर आधारित होता है। यदि उनकी राय में जानकारी पर्याप्त हो, तो वे छाप मार सकते हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : माननीय सदस्य ने जानकारी दे दी है। आप उसके बारे में क्यों नहीं कुछ करते?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : वह जानकारी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं है।

आवास योजनाओं का एकीकरण

*364. +श्री स० चं० सामन्त : श्री सुबोध हंसदा :
श्री रामेश्वर टांटिया : श्री मुहम्मद कोया :

क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री 18 फरवरी, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मकानों के निर्माण कार्य को बढ़ावा देने तथा गरीब लोगों को अधिक लाभ पहुंचाने की दृष्टि से विभिन्न आवास योजनाओं का एकीकरण करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) चंडी गढ़ में दिसम्बर 1964 में हुए आवास मंत्रियों के पिछले सम्मेलन के द्वारा प्रश्नाधीन समिति की नियुक्ति हुई थी। उसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है जिसे कि आवास मंत्रियों के अगले सम्मेलन में प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) एक विवरण जिसमें कि सिफारिशों का सारांश है, सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**–4722/65]

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री स० चं० सामन्त : क्या इस समिति की सिफारिशों के सारांश पर विचार कर लिया गया है और कोई कार्यवाही की गयी है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : हम आवास मंत्रियों के अगले सम्मेलन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह समिति आवास मंत्रियों के पिछले सम्मेलन ने नियुक्त की थी और इस समिति की सिफारिशें उनके सामने रखी जानी है। अगला सम्मेलन शायद एक या दो महीनों में मैं बुलाऊंगा ?

श्री स० चं० सामन्त : क्या कोई निर्णय करने से पहले राज्य सरकारों की, जो वास्तव में ये कार्यक्रम कार्यान्वित करेंगी, राय ली जायगी ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : इस समिति में चार आवास मंत्री हैं और योजना आयोग के सदस्य, आवास के भारसाधक, श्री थैकर हैं। समिति की सिफारिशें सभी राज्य सरकारों को भेज दी गयी है। आवास मंत्री अगले सम्मेलन में उन पर चर्चा करेंगे।

श्री सुबोध हंसदा : अनुसूचित जातियों की तरह संवैधानिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए, इन सिफारिशों में कोई आवास योजना नहीं है। क्या उनके लिए कोई योजनाएं हैं और यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : सामाजिक आवास योजनाओं में शहरी और देहाती योजनाएं हैं। देहाती योजनाओं में हम कुछ और सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री म० रं० कृष्ण : दूसरी योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों जैसे गरीब समाज को मदद देने के लिये सहायता देती थी। तीसरी योजना में यह उत्तरदायित्व राज्य सरकारों को सौंप दिया गया था और नतीजा यह रहा कि कोई प्रगति नहीं हुई है। क्या केन्द्रीय सरकार की यह धारणा है कि इसे अब एक केन्द्रीय योजना के रूप में ले लिया जाये ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : चौथी योजना पर विचार के दौरान योजना आयोग में चर्चा हुई थी जिसके लिए निर्माण और आवास स्वास्थ्य तथा सामुदायिक विकास और पंचायती राज मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। हमने एक सूत्र तैयार किया है जिसके अधीन हम काफी हद तक पिछड़े वर्गों की सहायता कर सकते हैं।

श्री दे० जी० नायक : आर्थिक दृष्टि से गरीब वर्गों में कौन कौन होंगे ? क्या उनमें केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोग होंगे या अन्य गरीब वर्ग भी होंगे ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : जहां तक कम आमदनी वाले वर्गों के लोगों का संबंध है, हमने कुछ क्षेत्रों के लिये आमदनी की कुछ उच्चतम सीमाएं निर्धारित की हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना के एक अंग के रूपमें गंदी बस्तियां हटाने की योजना पर मंत्री महोदय किस प्रकार और किस हद तक अधिक जोर देने का विचार कर रहे हैं? इस संबंध में उन्होंने सदन में जो अनेक आश्वासन दिये हैं उनके बारे में क्या वह अपनी योजना की कुछ कल्पना हमें बतायेंगे ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : गंदी बस्तियां हटाने से इस सम्मेलन का कोई संबंध नहीं है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, सम्मेलन ने ही यह सुझाव दिया है। हम यह जानना चाहते हैं कि गंदी बस्तियां हटाने के संबंध में जो इस सम्मेलन की सिफारिशों का एक अंग है, क्या किया जा रहा है। इस प्रश्न को टालना बहुत आसान है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल उस सम्मेलन के संबंध में है।

Shri Gulshan : May I know whether no scheme for scheduled Castes has been formulated under the fourth Plan for housing ? May I also know whether housing loans would be made interest free in their case ?

Shri Mehr Chand Khanna : It is difficult for me to say anything at present, until the meeting of the National Development Council is held and it approves the Plan. But we think that Social Security Ministry would pay for the land allotted to the Scheduled Castes or Backward Classes and my Ministry would pay in the form of loans for the structures to be erected thereon, so that they might get some comfort or facilities.

Shri Gulshan : My question was whether it would be made interest free. It has not been answered.

अध्यक्ष महोदय : क्या वह ब्याज मुक्त होगा ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : दो हिस्से होते हैं, एक तो जमीन और दूसरा, ऊपरका ढांचा। जहां तक ऊपरी ढाँचे का संबंध है, जो भी ऋण दिया जाता है, उस पर किसी दर से कुछ ब्याज लगेगा। जहां तक जमीन का संबंध है, मैं समझता हूं कि किसी उच्चतम सोमातक वह मुफ्त दी जाती है ?

Shri D. N. Tiwari : Everybody has got the experience that there is a good deal of delay even three to four years, in the disposalof applications for loans. Is there any scheme or recommendation to avoid this delay and if not, the measures being taken for the same?

Shri Mehr Chand Khanna : We disburse loans through State Governments. It has always been my endeavour to see that any application before them is disposed of at the earliest. There was no difficulty as such. The only difficulty was that State Governments did not spend the entire amount allocated for housing. Some was taken away by Mr. Rao and some by Mr. Subramaniam.

Shri Bade : It has been stated in the statement that schemes for slum clearance and for economically weaker sections have been integrated. Have you fixed, after this integration, a share 40 %. for slum clearance and 60% for villages or Adiwasis and Harijans? Has any percentage of this sort been fixed ?

Shri Mehr Chand Khanna : I have told that these are only recommendations that would be taken up for discussion in the next conference. Decisions would be taken later on. At present we are acting on the structure of old schemes.

Gold Smuggling

\+
*365. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri D. N. Tiwary :
Shri D. B. Raju :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the value of smuggled gold and goods seized during 1964-65 and since April, 1965 upto date ;

(b) the details of articles seized other than gold and value thereof ; and

(c) the reasons for increased smuggling?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Rameshwar Sahu) : (a) & (b). The value of gold seized (as smuggled) by the Customs and Central Excise authorities during 1964-65 was about Rs. 113 lakhs and during the period from the lst April, 1965 to the 31st July, 1965 was about 44 lakhs. The details and approximate value of articles other than gold seized are as under:—

	1964-65 (in lakhs of rupees)	From 1-4-65 to 31-7-65 (in lakhs of rupees)
(i) Watches	78	22
(ii) Currency	53	20
(iii) Diamonds & other precious stones . . .	15	'5
(iv) All others	1,83	66
TOTAL .	3,29	1,13

(c) There has been some increase in the value of seizures made during the period from the lst April, 1965 to the 31st July, 1965 as compared to the corresponding period of 1964-65. It cannot, however, be concluded from this that the volume of smuggling has increased.

Shri M. L. Dwivedi : Besides the seizure by Government of India of the gold and other commodities smuggled into India, how many persons were arrested, convicted and acquitted? What is the quantity of gold that was smuggled into India but could not be detected?.

Mr. Speaker : Will the Minister have the informations about that which has not been detected?

Shri M. L. Dwivedi : The Finance Ministry gets the information as to how much gold has been smuggled and still remains undetected.

Shri Rameshwar Sahu : I can give the figures for 1965. The figures for the period between 1-7-65 to 31-7-65 are as follows :

जिन मामलों का विभाग ने फैसला किया उनकी संख्या .	4,964
संबंधित व्यक्तियों की संख्या	5,991
जिन व्यक्तियों को सजा दी गयी उनकी संख्या . .	12
जिन व्यक्तियों को छोड़ दिया गया उनकी संख्या . .	2

Shri M. L. Dwivedi : May I know whether some persons in our Customs Department have been found involved in the smuggling and if so, how many of them have been arrested and how many out of them have been convicted?

Smt. Tarkeshwari Sinha : The hon. Member had asked the question in Hindi. Why it has been replied in English? The hon. Minister knows Hindi.

Shri Kapur Singh : What is the objection if the reply is given in English?

Mr. Speaker : There is an arrangement for translation and it has been made for this very purpose.

Shri A. P. Sharma : You have given a ruling that a question asked in Hindi be replied in Hindi if the Minister knows Hindi.

The Minister for Planning (Shri B. R. Bhagat) : So far no customs official has been found involved.

श्री स० चं० सामन्त : सामान्यतया किन किन देशों से सोना चोरी छिपे लाया जाता है और क्या सरकार जानती है कि इस संबंध में कोई अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा है ?

श्री ब० रा० भगत : किसी अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह या ऐसे देशों के बारे में जहां से सोना आता है, मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं बता सकता ।

Shri Raghunath Singh : Some Pakistani women were also arrested in India in connection with smuggling. I would like to know whether watches and gold from Pakistan have been smuggled into India in a larger quantity.

Shri B. R. Bhagat : It is difficult to say whether women have been arrested.

Shri Raghunath Singh : You have arrested them.

Shri B. R. Bhagat : I have no information about 1965.

Shri D. N. Tiwari : I would like to know how the seized goods other than gold are disposed of and the extent of their disposal.

Shri B. R. Bhagat : We seize them and some of the goods are auctioned and some are sent to hotels where tourists come.

श्री सुबोध हंसदा : क्या सरकार जानती है कि दिल्ली में रूसी सोने की सिल्लियां भरी पड़ी हैं ?

श्री ब० रा० भगत : जी नहीं ।

श्री दाजी : जिस संसद सदस्य ने अपनी गाड़ी अपने एक मित्र को उधार दी थी उसकी गाड़ी में से कितना सोना बरामद हुआ ?

श्री ब० रा० भगत : इस विषय में जांच हो रही है । अभी मेरे पास जानकारी नहीं है ।

श्री दाजी : क्या हम यह समझे कि कितना सोना जब्त किया गया है इसकी भी जांच हो रही है ?

अध्यक्ष महोदय : जब मंत्री महोदय यह कहते हैं कि अभी उनके पास यहां आंकड़े नहीं हैं तो मैं उनसे यही कह सकता हूं कि वह बाद में दे दें।

श्री दाजी : यह मामला दूसरे सदन में आ चूका है और जानकारी दी गयी है। मंत्री महोदय को जानकारी से लैस होकर आना चाहिये था।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है वहां भी उसका उत्तर दिया गया हो। यह जरूरी नहीं है कि मंत्री महोदय अपनी याददाश्त से ही आंकड़े बता दें, वह गलती कर सकते हैं। इस समय उनके पास आंकड़े नहीं हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वे उन्हें सभा पटल पर रख दें।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : वह कहते हैं कि मामले की जांच पड़ताल हो रही है। किस बात की जांच पड़ताल हो रही है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मोटरगाड़ी का चालक तस्कर से संबंधित था और इसी कारण गाड़ी जप्त कर ली गयी थी। यह ठीक है कि दूसरे सदन में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया था लेकिन हम हर जगह अपने साथ सारी जानकारी नहीं रखते। यदि माननीय सदस्य अलग से प्रश्न पूछें तो हम उसका जबाब देंगे।

अध्यक्ष महोदय : कितना सोना जप्त किया गया था यह जानकारी सभापटल पर रख दी जायगी।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार जानती है कि सोने का अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर व्यापारी श्री वाल्काट आजकल जकार्ता में है जहां श्री बीजू पटनायक शायद उनसे मिलने के लिए गये हुए हैं ? यदि हां तो क्या यह सच है कि श्री बीजू पटनायक श्री वाल्काट के साथ इसी महत्वपूर्ण समस्या पर बातचीत करने वाले हैं कि भारत में तस्कर व्यापार किस प्रकार बंद किया जाय ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सरकार की अपेक्षा अधिक जानते हैं। क्या सरकार की इस बारे में कोई जानकारी है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : हमें कोई जानकारी नहीं है।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार को मालूम है कि श्री वाल्काट जकार्ता में हैं और श्री बीजू पटनायक वहां गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अब उसे जानकारी मिल गयी है।

श्रीमती सावित्री निगम : उपमंत्री ने एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि सोने के तस्कर व्यापार के लिये हजारों व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे, लेकिन केवल 12 व्यक्तियों को ही सजा दी गयी है। इसका क्या कारण है ?

श्री ब० रा० भगत : यह ठीक है कि बहुत कम लोगों को सजा दी गयी है लेकिन जिन लोगों को छोड़ दिया गया है, उनकी संख्या भी सिर्फ 2 है। दूसरे मामले विचाराधीन हो सकते हैं या उन लोगों को निर्दोश घोषित कर दिया होगा।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Smuggling trade is on the increase despite many efforts by Government to stop it. May I know whether Government have made any enquiry about the property possessed by the employees appointed by Government to check the smuggling trade?

Shri B. R. Bhagat : Everybody's property has not been checked. If there is any doubt or complaint, it is then checked.

श्री म० रं० कृष्ण : जो लोग सोने का तस्कर व्यापार करते पकड़े गये हैं क्या उनका सोने के तस्कर व्यापार के अलावा भी कोई दूसरा पेशा या कामकाज होता है ?

श्री ब० रा० भगत : हो सकता है या नहीं भी सकता है।

अध्यक्ष महोदय : वह काफी लाभदायक होता है। तब वे और दूसरी चीजों की तरह क्यों जायें।

Shri Bagri : In regard to smuggling trade in gold, there have been complaints against some big persons as members of Punjab and Rajasthan Cabinet and their near relations. What action is being taken by Government against them?

Shri B. R. Bhagat : I have received no complaint of such kind.

Chit Fund Companies Registered with Delhi Administration

\+
***366. Shrimati Savitri Nigam :**

Shri Naval Prabhakar :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of Chit Fund Companies so far registered by the Delhi Administration under the Madras Chit Fund Act ;

(b) the number of series issued by these Companies;

(c) whether in addition to these some unauthorised series are also being issued; and

(d) if so, the steps taken by the Delhi Administration to check them?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) and (b). 511 chits started by 84 companies were registered under the Act upto the 18th August, 1965.

(c) The number of cases in which chits have been started in an unauthorised manner after the 15th July, 1964, when the Madras Act was extended to the Union territory of Delhi, cannot be exactly ascertained. Four complaints were, however, received, and in three cases, chits were found to have been started by the foremen without having been registered under the Act.

(d) Prosecutions have been launched in all the three cases. A Registrar of Chits has been appointed to administer the provisions of the Madras Act as extended to the Union territory of Delhi. Raids and searches are conducted, if necessary, whenever any instance of the starting of a chit, in contravention of the provisions of the Act is brought to the notice of the Registrar.

Shrimati Savitri Nigam : Why Government is not trying to ban this chit Fund business when she is fully aware that most of the chit fund companies are exploiting the people and particularly the poor people who have no power to complain?

Shri B. R. Bhagat : After the enforcement of Madras Act the Registrar was appointed and it is incumbent for the foreman of every chit fund to submit his report to the Registrar monthly, quarterly and yearly. If there is any complaint that can be looked into. It is thought that the stringent measures now taken will be able to stop this racket, and if they also fail, strickter steps will be taken.

Shrimati Savitri Nigam : Against how may persons Delhi administration has taken action and prior to this how many persons have been convicted in Delhi and other Union territories in the chit Fund affairs?

Shri B. R. Bhagat : The new law came into force with effect from July, 1964. Before that no control was exercised. We cannot say what happened before that. After that four complaints were received and prosecution in those cases is in progress.

Shrimati Tarkeshwari Sinha : How much money is invested in the chit fund business and where from those companies get that money?

Shri B. R. Bhagat : There are 7500 Companies in all. About the investment I have not got the figure. The money comes from the subscription received from those who get themselves registered in the chit fund.

श्री दी० चं० शर्मा : प्रत्यक्षत: ये चिट फंड एक सामाजिक आवश्यकता को अनिधिकृत रुप में पूरा करते हैं। क्या सरकार के सामने लोगों को उन चिट फन्डों से छुटकारा दिलाने और एक अधिकृत रूप में उसे सामाजिक आवश्यकता को पूरा करने की कोई योजना है?

श्री ब० रा० भगत : अब यह सारा कुछ अधिकृत है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : यह देखते हुए कि दिल्ली एक ऐसा केन्द्र है जहां पर बड़ी संख्या में बेईमानी लोग चिट फन्ड का कारोबार कर रहे हैं, क्या सरकार मद्रास चिट फन्ड अधिनियम को दिल्ली में लागू करने के संबंध में इसमें कोई संशोधन करना चाहती है?

श्री ब० रा० भगत : यदि आवश्यकता होगी तो निश्चय ही इसकी जांच की जायेगी। परन्तु इस समय इसे काफी समझा गया है।

श्री अल्वारेस : 1954 में गोआ को आजाद कराने के लिये सत्याग्रह आन्दोलन के आरम्भ से थोड़ा पूर्व बम्बई के उस समय के मुख्य मंत्री श्री मुरारजी देसाई गोआ लाट्रियों पर इस आधार पर रोक लगाई कि यह जूए का एक रूप है। हम देखते हैं कि मद्रास और दिल्ली में चिट फन्ड चलता फूलता है। इस प्रकार के जूए के सम्बन्ध में सरकार की राष्ट्रीय नीति क्या है?

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि इसे नियमित कर दिया गया है। अत: यह कानून के अनुकूल है।

Shri Gulshan : May I know whether Government will hold enquiries against bogus chit fund companies who made large collections from the public and then silently shifted their offices such as the Karaha Company of Punjab?

Shri B.R. Bhagat : If any such complaint is brought to our notice, that will surely be looked into. For them Registrar has been appointed.

केन्द्रीय परिवार नियोजन बोर्ड

+

*367. **श्री० प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय परिवार नियोजन बोर्ड बनाने का फैसला किया है;

(ख) बोर्ड में कौन कौन से सदस्य होंगे और इसको कितना व्यय करने का अधिकार होगा;

(ग) क्या बोर्ड के अतिरिक्त एक केन्द्रीय परिवार परिषद् स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो बोर्ड पर परिषद् का सलाह देने के रूप में क्या नियंत्रण होगा ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० से० नास्कर) : (क), (ख) और (ग). केन्द्रीय परिवार नियोजन बोर्ड जो सितम्बर 1956 में गठित किया गया था, के स्थान पर हाल ही में केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद् बना दी गई है। इस परिषद् के अतिरिक्त केन्द्रीय परिवार नियोजन बोर्ड चलाने का इरादा नहीं है किन्तु परिवार नियोजन पर एक मंत्री मण्डलीय समिति भी गठित की गई है।

(घ) इस केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद् का काम परिवार नियोजन कार्यक्रम संबंधी विषयों के बारे में सामान्य नीतियों का निर्धारण करना तथा कार्य प्रगति का सामयिक समीक्षा करना है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : वित्तीय जांच में विलम्ब को रोकने के लिये क्या बोर्ड को स्वीकृत राशि अन्दर परियोजनाओं के संबंध में निश्चित करने की शक्ति प्राप्त है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : यह काम बोर्ड अथवा नई परिषद का नहीं है।

श्री० प्र० रं० चक्रवर्ती : बोर्ड के सचिव और महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं का परस्पर स्थान क्या है ?

डा० सुशीला नायर : उनको अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं की पदवी दी गई है।

श्रीमती सावित्री निगम : इस कार्य के राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए, क्या इसके लिये काफी धन आवंटित किया गया है और क्या बोर्ड अथवा परिषद् को पर्याप्त निधियों की कमी के कारण अपने कार्य में रुकावट अनुभव होती है ?

डा० सुशीला नायर : जी नहीं, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आई है। यह सच है कि परिवार नियोजन के कुछ प्रस्ताओंमे में हाल ही में आम तौर पर पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं के कारण देरी हुई। परन्तु नई समिति को इन मामलों में शीघ्र कार्यवाही करने की शक्ति प्राप्त है, अतः देरी और रुकावट का कोई खतरा नहीं है।

Shri Yashpal Singh : Are Government aware that persons of particular group are producing more children? So far as the persons of our side are concerned, neither shri Kanga, nor shri Kripalani, nor Shri Inderjit Gupta is producing more children. It is the Ministers who are producing more children and the public have to starve. Do Government propose to impose any restriction on the Minister?

Mr. Speaker : Swamiji can throw more light on this question.

Shri Rameshwaranand : On the one hand Government asks the people to get themselves recruited in the army to fight China and Pakistan and on the other hand she says that the young people of this country should be castrated so that they may be precluded from producing children. Now, if the war or an epidemic takes the toll of our people then how these young people, who are being castrated will be able to produce children? How shall we do with these castrated people?

Shri Kapoor Singh : Swamiji's question must be replied. It is a very important question.

Dr. Sushila Nayar : Swamiji should know that the children which are born today will become grown up after 20 years. Therefore, to correlate the children of today with the present war does not seem proper. Secondly Swamiji and others should make a note that the women of India do not want that they should go on producing children after children—cannon fodder—for war. Then what is important is that whatever number of children is now they should get good education, brought up and means to develop their personality rather than having a large number of children who cannot be given proper care.

Shri Kapoor Singh : It does not behove the hon. Member to call those Jawans cannon fodder who are discharging their duty while defending the country.

Shri Rameshwaranand : My question was that if all our young people die in war or an epidemic and only women and children are left and then if men are required, from where will they bring the young people? If such impotent persons are left then what shall we do?

Mr. Speaker : Swamiji is not referring to the present but to the future when we will have to wage a war twenty years hence.

Shri Bagri : The Minister must give a thought to this question. I want to raise a point of order regarding this. It does not behove her to use the word cannon fodder. Jawans who are laying their lives in battle for defending the country should not be called cannon fodder.

Shri Kapur Singh : The hon. Minister should not use the words 'cannon fodder' for those who fight in the battle to defend their country.

Mr. Speaker : Now Shri Bagri is the leader of one group ; but Shri Kapur Singh is not and be should not stand up. I would say that she should not use the words cannon fodder while our men are fighting the enemy with the spirit of patriotism.

डा० सुशीला नायर : क्या मैं स्पष्टीकरण दे सकती हूं ? मैंने जो कहा था वह यह था कि हमें बच्चों को उचित शिक्षा देनी है, उनको सभी प्रकार की सुविधाएं देनी हैं ताकि वे देश की रक्षा कर सकें न कि केवल उनकी संख्या ही बढ़ानी है ताकि उनको ये सब आवश्यक सुविधाएं न मिल सकें। और इस तरह वह केवल जंग का राशन ही हो सकते हैं और कुछ नहीं **(अन्तर्बाधाएं)** ।

Shri Bagri : They should not be called cannon fodder. Our young people are fighting in Kashmir for the independence of our country. It does not behove the Minister to use such words for them.

अध्यक्ष महोदय : हम इसमें अन्तर नहीं कर सकते कि किसको प्रशिक्षण दिया जायेगा और किसको नहीं, सभी इस देश के बेटें होंगे और हमें सभी को प्रशिक्षण देना होगा और उनमें से लोगों को चुनना होगा।. . .**(अन्तर्बाधाएं)** क्या आदत ही बन गई है कि जब मैं बोलू तब ही माननीय सदस्य भी जरूर बोलें. . . **(अन्तर्बाधाएं)**

Shri Bagri : She may be asked to apologise.

Mr. Speaker : Unless I call the hon. Member should not start speaking even though he might be the leader.

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या दिल्ली में परिवार नियोजन संस्थाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है और क्या इस संस्थान का प्रशिक्षण और अनुसन्धान पर कोई नियन्त्रण होगा और यदि हाँ, तो किस प्रकार ?

अध्यक्ष महोदय : इतने "यदि हां तो" का उत्तर एक साथ कैसे दिया जा सकता है ?

डा० सुशीला नायर : हमने दिल्ली में परिवार नियोजन के विभिन्न पहलूओं में प्रशिक्षण और अनुसन्धान के लिये एक केन्द्रीय परिवार नियोजन संस्था स्थापित की है और प्रगति काफी अच्छी है।

भारत को विश्व बैंक से सहायता

\+

*368. **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री रा० बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री व० बा० गांधी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामपुरे :
श्री कनकसवै :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अर्थ-व्यवस्था की समस्याओं तथा प्रगति के बारे में विश्व बैंक के दल के अन्तिम प्रतिवेदन पर गत जून में उच्चस्तरीय चर्चा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा; और

(ग) भारत के भावी विकास कार्यक्रमों के लिये विश्व बैंक द्वारा कितनी सहायता देने का वचन देने की सम्भावना है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) : भारतीय अर्थ-व्यवस्था की समस्याओं और प्रगति के बारे में विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ जून में बातचीत हुई थी, लकिन विश्व बैंक के दल ने अभी तक भारत सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं दी है। इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि बातचीत का क्या परिणाम निकलेगा।

Shri Ram Harakh Yadav : May I know whether the World Bank Team held talks with the Members of the Planning Commission here?

Shri B. R. Bhagat : Yes, Sir; they had met the Deputy Chairman and some officers also.

Shri Vishwanath Pandey : For what future development programme assistance has been sought from the World Bank?

Shri B. R. Bhagat : There is no question of seeking assistance. All the aspects of our economic structure was discussed.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या विश्व बैंक ने कच्चे माल और फालतू पुर्जों के आयात के लिये उदार नीति अपनाने और अन्य वस्तुओं पर भारी शुल्क लगा कर प्रतिबन्ध लगाने का सुझाव दिया है और यदि हां, तो क्या सरकार ने इसका समर्थन किया है ?

श्री ब० रा० भगत : बातचीत के दौरान कई बातों को उठाया गया था। ऐसी बात नहीं थी कि किन्हीं विशिष्ट प्रस्तावों पर सहमति अथवा असहमति प्रकट की गई थी, परन्तु देश के सामान्य हित के लिये सरकार स्वयं अपना निर्णय करेगी।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : भारत के विकास के लिये वित्तीय वायदों पर चर्चा करते समय क्या विश्व बैंक ने रुपया वित्त के साधन पर किसी अन्य वित्त की शर्त रखी है।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं विश्व बैंक दल की स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। भारत को विश्व बैंक से ऋण मिलने का एक अलग प्रश्न है जिस पर विश्व बैंक से बातचीत की जा रही है; ये ऋण विशेष परियोजनाओं के लिये दिये जाते है जिनको वे आई० डी० ए० लोन्स कहते है परन्तु विश्व बैंक दल का काम भारत की योजना संबंधी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना है ताकि वह उसे उस सार्थ संघ के सामने रख सके जिसको वह प्रायोजित करते हैं। ऐसा नही है कि विश्व बैंक स्वयं कुछ देती है परन्तु वह इस जानकारी को सार्थ संघ के सामने रख देती है और इसलिये विस्तृत मामलों पर केवल सार्थ संघ की बैठक में ही बातचीत की जा सकती है उससे पहले नहीं।

Shri Raghunath Singh : May I know whether the shipping requirement of India was also discussed?

Shri B. R. Bhagat : All the aspects of Indian economy were discussed.

Shri Bagri : May I know the amount indebtedness of India to World Bank, the amount of loan demanded and the amount of loan expected to be received?

Shri B. R. Bhagat : I require notice for this question.

Shri Bagri : For how much loan has the demand been made?

Shri B. R. Bhagat : Notice is required for this. Demands are made under different heads, the details of which I do not have at present.

Shri Bagri : He requires notice even for question which arise out of the original questions, then there is no scope for the supplementaries.

अध्यक्ष महोदय : क्या आप आंकड़े दे सकते हैं ?

श्री रंगा : उनको लगभग कुल राशिका तो पता होना ही चाहिये कि वह 10,000 रु० से 15,000 रु० है या 5,000 रु० है ।

श्री ब० रा० भगत : मैं अपनी याददाश्त से कोई आंकडे नहीं देना चाहता ।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether the World Bank has demanded some foreign exchange from us for the repayment of loans taken by us from foreign countries and the interest thereon if so, the amount thereof?

Shri B. R. Bhagat : We make provision for the repayment of the loans and interest every year in our budget. An estimate has been prepared regarding amount of foreign exchange required for the 4th Plan and for the repayment of loans and interest.

Shri Prakash Vir Shastri : My question was different.

श्री दिवान चंद शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि विश्व बैंक ने हमारे देश में कृषि और अन्य क्षत्रों में विकास की गति में गिरावट के बारे में कहा है और यदि हां, तो सरकार ने उसको भविष्य में अच्छे विकास के बारे में किस प्रकार संतुष्ट किया ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : किसी व्यक्ति का हम से स्पष्टीकरण मांगने का कोई प्रश्न नहीं है । विकास के बारे में तथ्यों का पता है और इन पर चर्चा की जाती है, क्या अधिक धन लगाना पड़ेगा अथवा क्या सहायता आदि में कोई परिवर्तन करना पड़ेगा । य व्योरे की बातें हैं, परन्तु विश्व बंक हम से स्पष्टीकरण नहीं मांग सकता और सरकार स्पष्टीकरण देने के लिये बाध्य नहीं है ।

श्री व० ब० गांधी : एड इन्डिया क्लब से गर-परियोजना सहायता की अधिक राशि प्राप्त करने के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा संबंधी कठिनाइयों से छुटकारा दिलाने के लिये सरकार ने क्या अन्य उपाय किय है ? मेरा मतलब है अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वक्त जरूरत प्रबन्धों के अतिरिक्त क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मुख्य प्रश्न विश्व बक से संबंधित है न कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ।

Shri Yashpal Singh : Germany and Japan are very small countries as compared to ours, but they do not beg from any body for their means of livelihood. How long will it takes us to become self-sufficient?

Shri B. R. Bhagat : After some days we will also not require help from out side.

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने पहले से ही कुछ राशि मंजूर की हुई है जिसे हमने अब तक लिया नहीं है, अत: हम उस पर बद्धता प्रभार दे रहे हैं ?

श्री ब० रा० भगत : यह सच है कि हमें कुछ वचन बद्धता प्रभार देना पड़ता है क्योंकि हम समय पर राशि को न ले सके, परन्तु वह राशि बहुत बड़ी नहीं है ।

श्रीराम सहाय पाण्डेय : राशि क्या है ।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । श्री दाजी ।

श्री दाजी : क्यों कि यह कहा गया है कि वित्त मंत्री विश्व बैंक से बातचीत करने के लिये अमरीका जा रहे हैं, क्या वह सरकार की इस दृढ़ नीति को लेकर जा रहे हैं कि रुपये की कीमत को किसी भी हालत में गिराया नही जायेगा ।

श्री ब० रा० भगत : वह पहले ही बता चुके हैं कि रुपये की कीमत गिराई नहीं जायेगी ।

केरल राज्य को अनुदान

\+

*369. **श्री वारियर :** **श्री प्रभात कार :**

श्री वासुदेवन् नायर : **श्री मणियंगाडन :**

क्या **वित्त,** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा महंगाई भत्ते में वृद्धि करने तथा उन्हें मद्रास राज्य के सरकारी कर्मचारियों जैसे बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता देने की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रार्थना की है; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार ने प्रार्थना की है कि चालू वर्ष में 4.25 करोड़ रुपये की सहायता की व्यवस्था की जाय ।

(ग) यह मामला विचाराधीन है ।

श्री वारियर : सरकार कब तक इस पर विचार कर लेगी और निर्णय कर लेगी ?

श्री ब० रा० भगत : इस पर तेजी से विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा ।

श्री वारियर : क्या सरकार कोई निश्चित समय बता सकती है ?

श्री ब० रा० भगत : इस पर शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा ।

श्री वासुदेवन् नायर : क्या सरकार इससे अवगत है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों में बहुत असंतोष है क्यों कि एक ही स्थान पर काम करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में भारी अन्तर है और क्या सरकार के सामने राज्य सरकार के कर्मचारियों के स्तर को उंचा करने की कोई योजना है ?

श्री ब० रा० भगत : यह सच है । यह स्थिति न केवल केरल ही में है अपितु अन्य राज्यों में भी है । परन्तु प्रश्न यह है कि राज्य की क्या जिम्मेवारी है और केन्द्रीय संसाधनों से क्या कुछ पूर्ति की जा सकती है ।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम की भारत यात्रा

*359. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री महेश्वर नायक :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वेस्ट इंडिज की क्रिकेट टीम की भारत यात्रा के सम्बन्ध में क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड को आवश्यक विदेशी मुद्रा देने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि ग्लाईडरों तथा पहलवानों की टीमों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये विदेश जाने के लिये विदेशी मुद्रा मंजूर की गई है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने सरकार से, वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम के भारत के दौरे के सम्बन्ध में 34,000 पौंड की विदेशी मुद्रा देने का अनुरोध किया था। विदेशी मुद्रा की कठिनाई कों देखते हुए वित्त मंत्रालय ने इस अनुरोध को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी। बाद में बोर्ड ने मैचों के कार्यक्रम को छोटा करके एक संशोधित प्रस्ताव भेजा, जिसके अनुसार 18,000 पौंड की विदेशी मुद्रा खर्च होनी थी। पहले यह प्रस्ताव भी स्वीकार न किया जा सका। लेकिन, बाद में फैसले पर फिर से विचार किया गया और अब प्रस्तावित दौरे के लिए 18,000 पौंड की विदेशी मुद्रा देने का फैसला किया गया है।

(ग) ग्लाइडरों की टीम को इस आधार पर बाहर जाने की अनुमति दी गयी है कि उसे विदेशी मुद्रा नहीं दी जायगी और पहलवानों की टीम को 3226 रुपये के मूल्य के बराबर की विदेशी मुद्रा दी गयी है।

दिल्ली में बाढ़

*360. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में मई, 1965 में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई थी जिसमें दिल्ली तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ को रोकने के लिये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या निर्णय किये गये थे और बाढ़ नियन्त्रण के लिये क्या उपाय सुझाये गये थे; और

(ग) इन निर्णयों को कैसे कार्यान्वित किया जा रहा है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–4728/65।]**

Visit by Minister of Planning to Europe

*370 **Shri Bibhuti Mishra :** **Shri Kajrolkar :**
Shri Bagri : **Shri Kanakasabai :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Minister of Planning visited various countries in Europe in 1965;

(b) the countries visited and the purpose of his visit; and

(c) the result achieved?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) & (b). It is a fact that the Minister of Planning visited Hungary, Austria, Yugoslavia, Czechoslovakia, Switzerland and Italy during May-June, 1965. The purpose of the visit was to have closer contact with the authorities of these countries and to discuss and exchange notes with them on matters of mutual interest, particularly those concerning our economic development.

(c) There has been greater awareness and appreciation of our economic developmental needs by the concerned authorities of these countries. Consequently they have also expressed their willingness to expand our trade with these countries and to further extend their credit facilities and collaboration for our Fourth Plan requirements.

नंगल के बिजली घर में विस्फोट

*371. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** **श्री बृजराज सिंह :**
श्री बड़े : **श्री कृष्णपाल सिंह :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 जून, 1965 की रात को नंगल के बिजली घर में एक भयंकर विस्फोट हुआ था;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिजली घर नष्ट हो गया तथा इस विस्फोट में पी० ए० पी० के दो कांस्टेबल बुरी तरह जल गये, और

(ग) यदि हां, तो विस्फोट के कारण क्या थे ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) : नंगल बिजली घर में कोई विस्फोटन नहीं हुआ था, परन्तु उपकेन्द्र में स्थापित एक पोटेन्स्यल ट्रांसफार्मर के 15 जून, 1965 को फट जाने के कारण भाखड़ा के 220 के० वी० स्विचयार्ड में एक विस्फोटन हुआ था, और इस के परिणामस्वरूप पी० ए० पी० के दो सिपाहियों के शरीर कहीं कहीं जल गये। यह सब कुछ पोटेन्स्यल ट्रांसफार्मर से गर्म और जलते हुए तेल के उबलने के कारण हुआ। इस दुर्घटना के कारणो की जांच की जा रही है।

कर अपवंचन

*372. **श्री हेमराज :** क्या **वित्त** मंत्री 8 अप्रैल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 861 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झांसी की तेल मिलों तथा मुरादाबाद के धातु व्यापारियों के कर-अपवंचन के मामलों की जांच पड़ताल इस बीच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहु) : (क) जांच-पड़ताल अभी भी चल रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आई० यू० सी० डी ०

*373. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **स्वास्थ** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संतति निग्रह के नवीनतम उपाय के रूप में आई० यू० सी० डी० की सफलता के बारे में भारत में कोई क्रमबद्ध अध्ययन किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या बड़े पैमाने पर वितरण के लिये भारत में आई० यू० सी० डी० का निर्माण करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

स्वाथ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां।

(ख) गर्भाशयी गर्भरोधक उपकारण (गर्भरोधक कुण्डल) एक सुरक्षित प्रभावकारी सरलता से परिवर्तनीय तथा तुरन्त ग्राहय गर्भरोधक उपकरण है।

(ग) जी हां। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कानपुर में चलाया जा रहा एक कारखाना पहले से ही इन उपकरणों का निर्माण कर रहा है और प्रतिदिन 14,000 उपकरण तैयार कर रहा है।

कृषि के लिये बिजली की दरें

*374. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ राज्यों में जैसे राजस्थान में कृषि के लिये, यहां तक कि काफी बड़ी मात्रा में बिजली प्रयोग करने वालों के मामल में बिजली की दरें उद्योग की अपेक्षा बहुत अधिक हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके औचित्य की जांच की है और क्या इस निर्णय को युक्तियुक्त बनाने तथा ठीक करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई नीति बनाई है और क्या उसने इस मामले में एक सामान्य राष्ट्रीय नीति का पालन करने के लिये राज्य सरकारों को राजी करने के लिये कोई प्रयत्न किये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) : अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–4723/65।]**

दिल्ली में सरकारी कार्यालय

*375. **श्री हेडा :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दृढ़ निश्चय किया है कि राजधानी में कोई नये कार्यालय स्थापित न किये जायें ;

(ख) क्या सरकार ने कुछ वर्तमान कार्यालयों को दिल्ली के उपनगरों में स्थानान्तरित करने का निश्चय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तैयार किये गये कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं तथा उस पर कितना व्यय होगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी नहीं। प्रत्येक मामले की जांच योग्यता पर होती है।

(ख) जी हां। फिलहाल फरीदाबाद को, जहां कार्यालय तथा निवास स्थान निर्माणाधीन है।

(ग) प्रथम चरण में (फेज़ 1) लगभग 1,400 मकान तथा एक लाख वर्ग फुट का कार्यालय-वास की योजना है। यह लगभग तैयार होने वाली है। अब हम द्वितीय चरण (फेज़ 2) आरम्भ करने का विचार कर रहे हैं।

कलकत्ता का विकास

*376. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्रीमती रेणुका राय :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी बंगाल सरकार की प्रार्थना पर कलकत्ता के विकास के लिए वित्तीय सहायता देने का वचन दिया था;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि मंजूर की गई है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने अपने वचन का पालन नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) अब तक 83.99 लाख रुपये की रकम की मंजूरी दी जा चुकी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

विदेशी मुद्रा

*377. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भेषजीय तथा श्रृंगार सामग्री बनाने वाली पूर्णत: अथवा आंशिक विदेशी फर्मों द्वारा 1964–65 में रायल्टी, लाभ तथा तकनीकी जानकारी के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा का प्रत्यावर्तन किया गया; और

(ख) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा का प्रयोग कम करने के उद्देश्य से इन करारों का कभी पुनर्विलोकन किया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) रायल्टी लाभ तथा तकनीकी जानकारी के रूप में जो रकमें देश से बाहर भेजी गयीं उनके उद्योगवार आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। खयाल है कि दवाएं और श्रृंगार-सामग्री बनाने वाली फर्मों से सम्बन्ध रखने वाले आंकड़े अलग से तैयार करने में बहुत अधिक समय लगेगा और परिश्रम करना पड़ेगा।

(ख) इन करारों पर उस समय फिर से विचार किया जाता है जब (i) कारखाने का विस्तार करने, (ii) अतिरिक्त पूंजी जारी करने और (iii) रायल्टी सम्बन्धी मौजूदा करार की अवधि बढ़ाने के लिए प्रार्थनापत्र प्राप्त होते हैं।

भारत की आयात नीति (1965–66) सम्बन्धी "रैड बुक"

*378. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम हरख यादव :
श्री बागड़ी :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री बसवन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कनकसबै :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **निर्माण** और **आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1965 के दूसरे सप्ताह में भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली से "रैड बुक" के कई भागों का, जिन में चालू वर्ष के लिये भारत की आयात नीति के ब्यौरे का उल्लेख है, समय से पहिले पता लग गया था;

(ख) क्या इस संबंध में कोई गिरफ्तारियां की गई हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) चोरी करने के प्रयत्न का पता चला था, तथाकथित अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में, कथित अपराधी के घर की तलाशी के दौरान "रैड बुक" के चार पृष्ठ मिले थे, जिन्हें संभवतः पहले चुराया गया था। ये पृष्ठ स्थापित आयात करने वालों (एस्टाब्लिशड् इम्पोर्टर्स) की नीति से संबंधित थे जो कि 30 जून 1965 को घोषित कर दी गयी थी अतएव इस चोरी से किसी के लाभ की सूचना का समय से पहले पता नहीं चला सका।

(ख) जी हां।

(ग) पुलिस के द्वारा मामला रजिस्टर किया गया था और उसकी तफतीश चल रही है।

गंगा और ब्रह्मपुत्र को नहर द्वारा मिलाना

*379. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री तन सिंह :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों को एक नौगम्य नहर द्वारा मिलाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) गजलदोबा के निकट तीस्ता पर एक बहूद्देशीय बराज प्रस्तावित है जिसके दोनों ओर एक एक नहर होगी । इन नहरों से लगभग 23 लाख एकड़ क्षेत्रको सिंचाई सुविधाएं मिलेंगी और 100 प्रतिशत भार अनुपात पर 64 मैगावाट बिजली उत्पन्न होगी । इसके अतिरिक्त ये नहरें गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों को क्रमश: फरक्का और डुब्री के निकट आपस में मिलाएंगी और गंगा से ब्रम्हपुत्र तक सीधा परिवहन संभव हो जाएगा ।

प्रशासन में मितव्ययिता

*380. **श्री मुहम्मद इलीयास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना अवधि में प्रशासन में मितव्ययिता लाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या इन कार्यवाहियों के फलस्वरूप इस मद में कोई बचत हुई है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक कितनी बचत हुई है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) प्रशासन का खर्च कम करने के सवाल पर सरकार लगातार ध्यान देती रही है और इसके बारे में समय-समय पर बहुत से उपाय किय गये हैं । मितव्ययिता के लिए 1961 के बाद किये कुछ महत्वपूर्ण उपाय एक विवरण में दिये गये हैं जो सभा की मेज पर रखा है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–4724/65]**

(ख) जी, हां ।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के दौरान हुई बचत के आँकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं । खयाल है कि सभी मंत्रालयों और कार्यालयों से यह सूचना इकट्ठी करने में काफी समय लगेगा और परिश्रम करना पड़ेगा जो इस प्रकार के आंकड़ो से प्राप्त होने वाले परिणाम के मुकाबले कहीं अधिक होगा । मितव्ययिता सम्बन्धी विभिन्न उपायों से प्रशासनमे होनेवाली कुछ बचत का पता प्रत्येक वर्ष के संशोधित और वास्तविक अनुमानों से चल जाता है । ऊपर भाग (क) के उत्तर में जिस विवरण का हवाला दिया गया है उसमें यथासम्भव बचत का उल्लेख कर दिया गया है ।

दिल्ली में जल परीक्षण सुविधायें

*381. **श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री 18 फरवरी, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 24 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में जल परीक्षण सुविधाओं में सुधार करने के बारे में अमरीका के ए० आई० डी० के मुख्य लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या सरकारने प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–4725/65]**

(ख) जी, हां ।

(ग) रिपोर्ट में उल्लिखित विभिन्न सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये दिल्ली नगर निगम को कह दिया गया है ।

केन्द्रीय परिचर्या (नर्सिग) सेवा

*382. **श्री स० चं० सामन्त :**

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री 11 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 387 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित केन्द्रीय परिचर्या सेवा बनाने के बारे में इस बीच निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : केन्द्रीय उपचर्या सेवा के गठन का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है ।

Legalisation of Abortion

*383. **Shri Naval Prabhakar :**
Shri Tan Singh :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Narendra Singh Mahida :
Shri P. C. Borooah :
Shri R. Barua :
Shri P. R. Chakravarti :
Shri R.S. Pandey :

Will the Minister of **Health** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 400 on the 11th March, 1965 and state :

(a) whether the Committee appointed to study the question of legalising abortion has since submitted its report;

(b) if so the main recommendations there of and reaction of Government thereto; and

(c) if not, when the report is likely to be received?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) No, Sir.

(b) dose not arise

(c) By the end of 1965.

गुमनाम फर्में

*384. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर अधिकारियों ने हाल में करों की चोरी करने वालों के बचाव तथा छिपे धन को प्रचलन में लाने के लिये अनेक राज्यों में अनेक गुमनाम फर्में खोलने की चतुराई से बनाई गई एक योजना विफल कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो की गयी तलाशियों तथा उसके परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री रामेश्वर साहु) : (क) जी, हां ।

(ख) हिसार, दिल्ली, बीकानेर, श्रीगंगानगर और कलकत्ता में एक ही साथ तलाशियां ली गयीं थीं । दोषारोपणीय कागज-पत्र और बहीखाते पाये गये थे और उन्हें पकड़ लिया गया है । उनसे लगभग करोड़ रुपये तक के छिपे धन का संकेत मिलता है ।

सरकारी प्रेसों में काम करने वाले गैर-औद्योगिक कर्मचारी

*385. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के सभी प्रेसों में गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो अब यह योजना लागू करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या काम के घंटे बढ़ाये जाने का सभी कर्मचारियों ने विरोध किया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रखा है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–4726/65]**

इरविन अस्पताल

*386. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री राम हरख यादव :
श्री बागड़ी :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री रा० बरूआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार नई दिल्ली स्थित इरविन अस्पताल को अपने हाथ में ल रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) ऐसा एक सुझाव है तो सही, किन्तु कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) इर्विन अस्पताल, मौलाना आजाद मैडिकल कालिज जो भारत सरकार के अधीन एक क्षेत्रीय मैडिकल कालिज है और जिसका प्रशासन चीफ कमिश्नर द्वारा किया जाता है, के लिए शिक्षण अस्पताल का काम करता है। कार्य-कुशलता की दृष्टि से यह उचित समझा जा रहा है कि अस्पताल और मैडिकल कालेज दोनों को एक ही नियंत्रण मे रखा जाय। साथ ही यदि अस्पताल भारत सरकार के अधीन हो तो केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना की व्यवस्था की भी और अच्छी तरह से पूर्ति हो सकती है।

देशकी सीमा की रक्षा करते हुए मारे गये सिपाहियों को सम्पदा शुल्क से छूट

*387. **श्री कर्णी सिंहजी :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री फ्रेंक एन्थनी :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री दलजीत सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री अल्वारेस :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यु० द० सिंह :
डा० ब० ना सिंह :
श्री नारायण० दांडेकर :
श्री वृजराज सिंह :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री नाथ पाई :
श्री हेम बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री कपूर सिंह :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री समनानी :
श्री शिंकरे :
श्री मा० भ० पाटिल :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री बैरो :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री रंगा :
श्री ल० ना० भंजदेव :
श्री इकबाल सिंह :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश की सीमाओ की रक्षा करने में अपना कर्तव्य पूरा करते हुए बड़ी संख्या में पुलिसमैनों के मारे जाने की दृष्टि से क्या सरकार ने सशस्त्र सेनाओं को दी जाने वाली सम्पदा-शुल्क की छूट पोलिस दलों के सदस्यों को भी देने के लिये कोई कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहु) : जी, अभी नहीं।

परन्तु सशस्त्र सेना के सदस्यों को सम्पदा-शुल्क से दी गयी छूट पुलिस के सदस्यों को भी देने का विचार है।

जस्ते की नालीदार चादरों का चोरी-छिपे पाकिस्तान को भेजा जाना

*388. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दलजीत सिंह :
श्री साधुराम :
श्री बागड़ी :
श्री रा० ना० चतुर्वेदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रवर्तन विभाग ने जुलाई, 1965 में कानपुर में पाकिस्तान को चोरी-छिपे जस्ते की नालीदार चादरें भेजने के आरोप में जस्ते की नालीदार चादरों की चोर-बाजारी करने वाला एक गिरोह पकड़ा था; और

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहु) : (क) यह सूचना मिलने पर कि जस्ते की नालीदार चादरें कानपुर से गुजरात भेजी जाने वाली थीं, कानपुर के पुलिस अधिकारियों ने जस्ते की नालीदार चादरों के माल के दो जत्थे, जो कानपुर से गुजरात में बरोदा रेलवे स्टेशन को बुक कराये गये थे, पकड़ लिये।

(ख) कानपुर की सरकारी रेलवे पुलिस ने अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम तथा भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल की जा रही है।

[अमरीकी सहायता से प्राप्त माल लाने के लिये अपात्र जहाज

1293. **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बहुत से समुद्री मालवाहक जहाजों को अमरीकी सहायता से खरीद गये माल आदि को लाने के लिये अपात्र घोषित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अपात्र जहाजों की सूची क्या है; और

(ग) ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) : विदेशी सहायता सम्बन्धी अमरीकी कानून के अनुसार, अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के साथ किये गये हमारे समझौतों में यह व्यवस्था है कि इनके अन्तर्गत ऐसी वस्तुओं के लिये वित्त-व्यवस्था न की जाय जो ऐसे समुद्री जहाज से ले जायी जायं जिसे अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ने, अपने द्वारा वित्त-पोषित वस्तुओं को ले जाने के अयोग्य घोषित कर दिया हो। अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण, भारत सरकार को, समय-समय पर अयोग्य जहाजों की सूची देता रहता है। अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से जब जब सरकार को सूचना मिलती है तब-तब ऐसे अयोग्य जहाजों की सूची भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दी जाती है। सब से हाल की सूची 21 अगस्त 1965 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 1 खण्ड 1 में वाणिज्य मंत्रालय (आयात व्यापार नियन्त्रण) की सार्वजनिक सूचना संख्या 72–आई० टी० सी० (पी एन)।65 दिनांक 21 अगस्त 1965 के रूप में प्रकाशित की गयी है।

केरल में समुद्र द्वारा भूमि-कटाव को रोकने के कार्य

1294. **श्री अ० व० राघवन :** **श्री प्रभात कार :**
श्री पोट्टेकाट्ट : **श्री मणियंगाडन :**
श्री वारियर : **श्री वासुदेवन् नायर :**

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वर्ष 1965–66 में, समुद्र द्वारा भूमि-कटाव को रोकने के कार्यों के लिये कितनी धन राशि मंजूर की गई है;

(ख) इस वर्ष में किन-किन स्थानों पर समुद्री दीवारें बनाई जायेंगी; और

(ग) प्रत्येक दीवार की लम्बाई कितनी होगी ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) केरल में तटे-कटाल निरोध कार्यों के लिय 1965–66 में केन्द्रीय ऋण सहायता 60 लाख रुपये दी गई है ।

(ख) तथा (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–4727/65 ।]**

केरल के लिये योजना व्यय

1295. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के लिये तृतीय योजना के चतुर्थ वर्ष के लिये आयोजना की योजनाओं के लिये जिलावर कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ख) प्रत्येक जिले में कितनी राशि व्यय की गई है ;

(ग) जिलावर प्रत्येक योजना में कितनी राशि व्यपगत हो गई;

(घ) राशि व्यपगत होने के यदि कोई कारण हैं तो वे क्या हैं; और

(ङ) पुनरावृत्ति रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) से (ङ) : प्रश्न नहीं उठते ।

केरल में पंचवर्षीय योजना

1296. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या राज्य में निर्धारित राशि से अधिक व्यय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो कितना अधिक व्यय किया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) : प्रत्याशित व्यय, राज्य की तीसरी योजना के लिये निर्धारित 170 करोड़ रुपये की धनराशि से अधिक होने की सम्भावना है । अभी यह दर्शाना सम्भव नहीं कि यह राशि कितनी अधिक होगी ।

विश्व चिकित्सा संस्था

1297. **श्री राम हरख यादव :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्व चिकित्सा संस्था की सितम्बर में लन्दन में होने वाली वार्षिक महासभा में भाग लेने का है ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का विवरण क्या है; और

(ग) सम्मेलन में कौन कौन देश भाग लेंगे ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार के पास सूचना उपलब्ध नहीं है ।

कोटा में मिट्टी हटाने वाली भारी मशीनों को चलाने के बारे में प्रशिक्षण देने वाला केन्द्र

1298. **श्री हेमराज** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1964 में कोटा के प्रशिक्षण केन्द्र में मिट्टी हटाने वाली भारी मशीनों के संधारण, मरम्मत और संचालन के प्रशिक्षण कोर्स के लिये कुछ उम्मीदवारों को चुना गया था;

(ख) यदि हां, तो कितने उम्मीदवार चुने गये थे ;

(ग) क्या यह सच है कि उस कोर्स को स्थगित कर दिया गया और मार्च, 1965 में उनसे ककरापारा प्रशिक्षण केन्द्र में दाखिल होने के लिये कहा गया और बाद में जुलाई, 1965 में उनसे नजरजूना सागर केन्द्र में दाखिल होने के लिये कहा गया;

(घ) क्या यह सच है कि इन सब बुलावों को रद्द कर दिया गया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि ये सब प्रशिक्षणार्थी पिछले एक वर्ष से बेकार बैठे हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार उनको कब आवश्यक प्रशिक्षण देगी ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) (घ) और (ङ) जी, नहीं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल के सुनार

1299. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण नियंत्रण आदेश के कारण केरल में बेरोजगार हुए सुनारों के पुनर्वास के लिये कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) इस वर्ष के पहले छः महीनों में कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) उन्हें किस प्रकार की सहायता दी गई;

(घ) उक्त अवधि में कितने सुनारों को सहायता दी गई;

(ङ) कितने व्यक्ति अभी तक बेकार हैं;

(च) क्या इस प्रयोजन के लिये केरल में कोई विशेष परियोजनाएं आरम्भ की गई थीं; और

(छ) यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) राज्य सरकारों से जब जब धन के लिए मांग आती है, रकमें मंजूर कर दी जाती हैं । अबतक 12 लाख रुपये की रकम केरल सरकार को मंजूर की जा चुकी है ।

(ख) 1-1-1965 से 30-6-1965 तक 1,79,883 रु० ।

(ग) लघु उद्योगों अथवा व्यवसायों में बसाने के लिये अलग-अलग व्यक्तियों तथा सहकारी समितियों को ऋण; रोज़गार सम्बन्धी सुविधायें; तथा सुनारों व उनके बच्चों को तकनीकी प्रशिक्षण और शिक्षा सम्बन्धी सहायता ।

(घ) 1-1-1965 से 30-6-1965 तक 8 सहकारी समितियों और 156 अलग-अलग व्यक्तियों को ऋण मंजूर किये गये ।

(ङ) 19,348 सुनारों की अनुमानित संख्या में से 14,047 सुनारों ने खुद काम करने वाले सुनारों के रूप मे काम करने के लिये प्रमाणपत्रों के लिये दरख्वास्तें दी थीं इनमें से केवल 85 अनुपयुक्त मामलों को छोड़ कर जिनमें प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर दिये गये हैं, बाकी के लोग व्यवसाय में लगे हुये हैं । 1,523 व्यक्तियों को, दूसरे धंधों में बसने के लिये ऋण दिये गये हैं तथा 72 व्यक्तियों को रोजगार में लगाया जा चुका है । बेरोजगार लोगों की संख्या का पता नहीं है परन्तु जब जब पुनर्वास सम्बन्धी सहायता के लिये आवेदन पत्र प्राप्त होंगे उनपर विचार किया जायेगा ।

(च) जी, नहीं ।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नर्मदा घाटी परियोजना

1301. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा घाटी परियोजना के लिये सर्वसम्मत कार्य प्रणाली तय करने के लिये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात के तकनीकी विशेषज्ञों की भुवनेश्वर में संयुक्त बैठक हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या तीन वर्ष पहले इस परियोजना पर राज्यों के बीच उठ खड़े हुए विवाद के पश्चात् पहली बार ऐसी बैठक की जा रही है; और

(ग) क्या वे अपनी सिफारिशें खोसला समिति को पेश करेंगे जो राज्यों के बीच विवादों को हल करने के लिये केन्द्र द्वारा नियुक्त की गई हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) : मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के अधिकारियों ने खोसला समिति के साथ 15 और 16 अगस्त, 1965 को भुवनेश्वर में बैठक की । खोसला समिति सम्बन्धित राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें करती रही हैं । इन अधिकारियों के खोसला समिति को सुझाव देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में ग्राम्य आवास योजनायें

1302. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की ग्राम्य आवास योजनाओं के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुल कितनी राशि नियत की गई थी;

(ख) प्रत्येक जिले में, वर्षवार, कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) कितनी राशि प्रति वर्ष व्यपगत हुई; और

(घ) यदि कोई राशि व्यपगत हुई है तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) 60 लाख रुपये ।

(ख) और (ग) : अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :

वर्षवार व्यय की गयी राशि (रुपये हज़ारों में)

जिले का नाम	1961-62	1962-63	1963-64		1964-65	
	योजना निधि	योजना निधि	योजना निधि	जीवन बीमा निगम निधि	योजना निधि	जीवन बीमा निगम निधि
त्रिवेन्द्रम	39	–	–	29	25	25
क्विलोन	17	38	25	48	134	59
कोट्टयाम	41	41	12	26	60	–
आल्लप्पी	21	32	5	9	16	11
एर्नाकुलम	59	79	93	54	33	56
त्रिचूर	38	42	13	56	44	30
पलघाट	43	25	35	75	29	39
कोज़इकोडे	15	136	94	76	49	20
कन्नानोर	4	109	27	151	76	236
कुल व्यय (क)	277	502	304	524	466	476
वर्ष के लिए नियत की गई निधि (ख)	363	609	338	548	411	583
व्ययगत निधि (ख–क)	86	107	34	†	–	†

†जीवन बीमा निगम निधि व्यय गत नहीं होती ।

(घ) राज्य सरकार ने बताया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण आवास योजनाओं को नियत की गयी निधि, आरंभ में जनता की पर्याप्त प्रतिक्रिया न होने के कारण, व्ययगत हुई थी । योजना के लाभों को प्रसिद्धि मिलती जा रही है अतएव अब निधियों का उपयोग और भली प्रकार से हो सकेगा ।

Houses for Landless Agricultural Labourers

1303. Shri D. S. Patil :
Shri Tulsidas Jadhav :

Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) whether any amount has been allocated separately by the Central Government in the Thrid Five Year Plan for giving assistance to the landless agricultural labourers for constructing houses in Maharshtra State;

(b) if so, the extent thereof; and

(c) the amount so far utilised?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) and (b). No separate allocation is made to States for giving assistance to landless agricultural labourers for constructing houses. Funds are allocated in bulk for various purposes under the Village Housing Projects Scheme, *viz.* (i) grant of loans to villagers for construction/improvement of houses, (ii) provision of house-sites to landless agricultural labourers, (iii) provision of streets and drains in the selected villages and (iv) provision of technical guidance to villagers for construction of houses through the State Rural Housing Cells. For provision of house-sites to landless agricultural workers, the State Governments can use funds upto about one-third of their annual allocations under the Scheme. The approved outlay of the Maharashtra Government for the Village Housing Projects Scheme for the Third Five Year Plan is Rs. 2 crores.

(c) The state Government have not incurred any expenditure so far under the village Houseing Projects Scheme for the provision of house-sites to landless agaicultural labourers.

Flood Control in Delhi

1304. Shri Naval Prabhakar :
Shri Hem Raj :

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether a separate Department for Flood Control and Irrigation has been set up in Delhi ; and

(b) If so, the details of work done by it so far?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Yes.

(b) (i) Restoration of last year's controlled cut of Dhasa Bund. (completed).

(ii) Construction of a new regulator on Dhasa Bund—Installation of regulator gates (completed).

(iii) Excavation of pilot section of out-fall drain from Dhasa Bund to Najafgarh Jheel (work in progress).

(iv) Construction of pilot drain from Tajpur Goela to Kakraula regulator (work in progress).

(v) Construction of additional regulator at Kakraula including upstream and downstream approach channel and installation of gates (work nearing completion).

(vi) Removal of obstruction in Najafgarh drain at Basaidarapur old and new bridges and at old Mughal bridge (completed).

(vii) Construction of a bund on left bank of Najafgarh drain R. D. 152,000 to 155,000 tying Shah Alam Bund with high ground near Shah Alam bridge (completed).

(viii) Construction of Tail Regulator on Najafgarh drain—Installation of gates (completed).

(ix) Remodelling of and Construction of bund along left bank of Burari drain from its outfall into Najafgarh drain to RD 7050 (completed).

(x) Construction of RCC Twin Barrel Regulator on Burari Drain near Tail Regulator on Najafgarh Drain (completed).

(xi) Construction of Alipur Link Drain—Shramdan work (completed).

(xii) Remodelling of Mangeshpur drain from Mangeshpur village to Punjab border (completed).

(xiii) Construction of Kateora Link Drain (completed).

(xiv) Construction of Sultanpur Dabas Link Drain and bridge near Keraba village (completed).

(xv) Construction of Bawana Jheel drain (completed).

(xvi) Construction of two village road bridges on Bazidpur drain (completed).

(xvii) Sahibabad Link Drain and syphon across Mangolpur Minor in Samepur village (completed).

(xviii) Strengthening of bund along Pitampur drain for protection of Shakurabasti including desilting of drain (completed).

(xix) Construction of ring bund around low lying areas near colonies like Shibpura, Prithi Park, Gurnanak Nagar, etc.

(xx) Fixing of gauges and observation of gauges discharges.

Besides the above, the Flood Control Organisation of Delhi Administration is gradually taking over flood control works at present being executed by different agencies. Patrolling and maintenance of bunds, and regulation of outfall of Nallas into Yamuna during the current flood season, are also being done.

Najafgarh Drain

1305. Shri Naval Prabhakar :
Shri Hem Raj :

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether water has been completely drained out of the Najafgarh Drain;

(b) if not, the reasons for the delay;

(c) whether the construction of all the bridges on the Najafgarh Drain has been completed; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) The Najafgarh Drain is functioning satisfactorily and it can now carry a discharge of 1,500 to 2,000 cusecs.

(b) Does not arise.

(c) All the bridges have been completed except the following which are still under construction :

(1) Rohtak Road Bridge.

(2) G. T. Road Bridge.

(3) Ashram Road Bridge and

(4) Tri Nagar Bridge.

(d) These bridges will be completed within the next working season, according to the revised schedule of construction.

Rural Development Corps

1306. Shri Shree Narayan Das : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether any scheme has been formulated by Government to set up Rural Development Corps ; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) & (b). A scheme for setting up a development corps or Vikas Fauj in the Fourth Plan is under consideration. The corps will enlist rural youth and impart to them new skills through work-cum-training camps in selected development projects. Simple mechanical skills as well as those relating to conservation and development of land and water resources, building and construction are envisaged. The aim is to transform, within a reasonable time, the existing rural skills and individual motivation through membership of a disciplined body.

बरौनी का तापीय बिजली घर

1307. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी तापीय बिजली घर का 15 मैगावाट का तीसरा एकक तैयार हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब चालू हो जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस के दिसम्बर, 1965 तक चालू होने की सम्भावना है ।

कर अपवंचन

1308. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में कर अपवंचन के कितने मामलों का पता लगाया गया; और

(ख) उसके परिणामस्वरूप कितनी रकम वसूल की गई ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) 1965 के मई, जून और जुलाई महीनों में 10,858 मामलों का पता लगाया गया।

(ख) 26,18,432 रु० ।

गोविन्द वल्लभ पन्त मैमोरियल अस्पताल, दिल्ली

1309. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोविन्द वल्लभ पंत मैमोरियल अस्पताल, नई दिल्ली की निराशाजनक स्थिति के सम्बन्ध में कोई शिकायत मिली है कि वहां अब तक आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के अस्पताल

1310. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में बिजली के संकट और पानी की कमी की कठिनाइयां हाल ही में अनुभव की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां। भले ही इस वर्ष दिक्कत इतनी अधिक नहीं महसूस हुई।

(ख) अस्पतालों में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन यंत्र लगाने की व्यवस्था कर दी गई है अथवा की जा रही है।

जल पूर्ति व्यवस्था में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही इस प्रकार है :—

1. विलिंगडन अस्पताल

(1) ऊपरी टैंकों तथा भूमिगत जलाशय के निर्माण के लिये सरकार द्वारा एक योजना मंजूर कर दी गई है।

(2) नागरिक जल व्यवस्था के टूट जाने की स्थिति में भूमिगत जल उपलब्ध करने के लिए नलकूप खोदने के कदम उठाये जा रहे है।

2. इर्विन अस्पताल

(1) राजघाट से इर्विन अस्पताल तक जल की एक अलग पाइप लाइन बिछाने का विचार है।

(2) 50,000 गैलन क्षमता का एक ऊपरी टैंक बनाने का विचार है। इर्विन अस्पताल की परिसीमा में पांच नल कूप पहले ही खोदे जा चुके है।

(3) जल व्यवस्था सुधारने के लिए गोविन्द वल्लभ पंत अस्पताल को सरकुलर रोड वाले मेन से तथा मौलाना आजाद मेडिकल कालेज को कोटला रोड से नये कनेक्शन दिये गये हैं।

3. सफदरजंग अस्पताल

(1) अस्पताल के स्टोरेज टैंकों को नई दिल्ली नगर पालिका के मेन से एक तीसरा कनेक्शन देने की व्यवस्था की जा रही है।

(2) अनुमानतः लगभग प्रति दिन 40,000 गैलन पानी देने वाला एक नल कूप हाल ही में चालू कर दिया गया है। अस्पतालों को पानी की दृष्टि से आत्मनिर्भर करने के लिये अतिरिक्त नल कूप खोदने की योजना बनाई जा रही है।

केरल के लिये सिंचाई योजनायें

1311. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री प्रभात कार :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जाने के लिये नई सिंचाई योजनाओं का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) केरल सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पर अपने प्रारम्भिक ज्ञापन में किसी नई बड़ी अथवा मंझली सिंचाई स्कीम का प्रस्ताव नहीं रखा है। किन्तु उन्होंने यह प्रस्ताव रखा है कि इदिक्की, काबिनी, वमनपुरम, भवानी और पलक्काज़ीपुज़ा जैसी नई स्कीमों का विस्तृत अनुसन्धान किया जाए।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री

1312. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वित्त** मंत्री 6 मई, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3221 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री बीजू पटनायक द्वारा कितना कर दिया जाना चाहिए, क्या इसके बारे में इस बीच जांच पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) पूछ-ताछ अभी भी जारी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तपेदिक नियंत्रण केन्द्र

1313. श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तपेदिक के रोगियों का पता लगाने तथा घर पर ही उनकी चिकित्सा करने के लिये प्रत्येक जिले में एक एक तपेदिक नियंत्रण केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) जिला क्षय रोग केन्द्र जिले के क्षय रोगियों के लिए नैदानिक एवं उपचार केन्द्र के रूप में कार्य करेगा और जिले में होने वाली विभिन्न निरोधी गतिविधियों की देख रेख करेगा तथा उनके संबंध में मार्गदर्शन भी करेगा। उपचार के संबंध में और विशेषतया अपेक्षित अवधि तक उपचार जारी रखने के संबंध में यह केन्द्र जिले के सभी अस्पतालों औषधालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों आदि के सहयोग से कार्य करेगा। इस केन्द्र में स्टाफ की नियक्ति राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान, बंगलौर में प्रशिक्षित कर्मचारियों में से ही की जायगी। अस्पतालों, औषधालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में काम करने वाले वर्तमान स्टाफ को रोग का पता लगाने वाले एवं उपचार संगठन में जिला क्षय रोग केन्द्र का प्रशिक्षित स्टाफ परामर्श देगा। इस केन्द्र को एक्स-रे यूनिट, प्रयोगशाला उपकरण गाड़ी और आवश्यक औषधियों दी जायेंगी।

राज्यों में केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये मकान

1314. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **निर्माण** और **आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकार द्वारा किराये पर चढ़ाने के लिये बनाये गये मकान अब केन्द्रीय कर्मचारियों को दिये जा सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तें क्या हैं और योजना कब लागू की जायेगी; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (ग) : चंडीगढ़ में, दिसम्बर, 1964 में हुए आवास मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने 3 मई, 1965 को आदेश जारी किया है कि राज्य सरकार के द्वारा किराये

के लिए बनाये गये मकानों के आवंटन के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी भी निम्न आय वर्ग आवास योजना तथा मध्यम आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत, पात्र होवेंगे। सरकारी कर्मचारीयों के लिए सुरक्षित ऐसे मकानों का कोटा 25 प्रतिशत से 33 1/2 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकारों को, इन दो योजनाओं के अन्तर्गत उनके द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार मकान आवंटित करने है।

चिकित्सा सम्बन्धी स्नातकोत्तर शिक्षा

1315. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री किन्दर लाल :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री 11 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 976 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चिकित्सा की स्नातकोत्तर शिक्षा के लिये एक अखिल भारतीय परीक्षा आरम्भ करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब से इस योजना के आरम्भ होने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) : मामला भारत सरकार के विचाराधीन है।

त्रिवेन्द्रम आयुर्वेदिक केन्द्र

1316. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री रामेवर टांटिया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री किन्दर लाल :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री 11 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 399 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम आयुर्वेदिक केन्द्र का दर्जा ऊंचा करके उसे स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं गवेषणा संस्था बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा चुका है; और

(ख) आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बिया कालेज, दिल्ली में भी ऐसी ही संस्था स्थापित करने के मामले में क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) त्रिवेन्द्रम में एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं गवेषणा संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

(ख) दिल्ली के आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बिया कालेज में एक स्नातकोत्तर संस्था स्थापित करने के प्रस्ताव का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

पश्चिमी बंगाल में संतालडीह बिजलीघर

1317. **श्री रामेश्वर टांटिया :**

श्री स० चं० सामन्त :

श्री सुबोध हंसदा :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री 18 फरवरी, 1965 के तारांकित प्रश्न सं० 13 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में संतालडीह में सुपर थर्मल पावर प्लांट के 'निर्माण के बारे में उस परियोजना प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है जो जल तथा विद्युत आयोग के विचाराधीन था;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्र तथा राज्य के बीच विचार विमर्श पुरा हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) तकनीकी सलाहकार समिति ने अपनी 23 अगस्त, 1965 की बैठक में संतालडीह में 4 × 120 मैगावाट के यूनिटों को हाल के लिये स्थापित करना सिद्धान्त रूप से मान लिया है ।

बाढ़ सुरक्षा

1318. **श्री रामेश्वर टांटिया :**

श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री 11 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 973 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी के हैमबर्ग विश्वविद्यालय के इस प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है कि भारत बाढ़ सुरक्षा सबंधी उसके अनुभवी विशेषज्ञों का इच्छानुसार प्रयोग कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो उनकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) संभवत: वे कब तक भारत आयेंगे ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) हैमबर्ग विश्वविद्यालय के समुद्र विज्ञान संस्थान (इन्स्टीटयूट आफ ओग्नोग्राफी) द्वारा जारी किए गये साहित्य और प्रतिवदनों का एक सैट अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है । जब हमारे विशेषज्ञ इनका अध्ययन कर लगे, तो, यदि आवश्यक समझा गया, इस विषय पर आगे कार्रवाई की जाएगी ।

(ख) तथा (ग) : इस समय इनका सवाल नहीं उठता ।

योजना आयोग

1319. **श्री रामेश्वर टांटिया :**

श्री स० चं० सामन्त :

डा० महादेव प्रसाद :

क्या **योजना** मंत्री 11 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 394 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग में अनावश्यक कर्मचारियों की छटनी करने तथा उनका पुनर्गठन करने के प्रस्ताव पर योजना आयोग ने अब विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : योजना आयोग ने हाल ही मे, योजना आयोग के तकनीकी अनुसंधान प्रभागों के काम में गुणात्मक सुधार करने तथा चौथी योजना की तैयारी के सम्बन्ध में उन्हें जो कार्य करना है उसके लिए उन्हें सुसज्जित करने के प्रश्न पर विचार किया। इसके अलावा दीर्घकालीन योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने और काम के नये क्षेत्रों की जिम्मेदारी सम्भालने पर भी विचार किया गया। कर्मचारी पुनर्गठन स्कीम का उद्देश्य यह है कि काम करने के तरीके तथा संगठन में परिवर्तन कर गुणात्मक सुधार के साथ अधिक उत्पादन किया जा सके। प्रस्तावित संगठनात्मक परिवर्तनों में जिन स्तरों पर मौलिक चिन्तन की आवश्यकता है उन पर कर्मचारियों को बढ़ाना और उन निम्न स्तरों को हटा देना जो तकनीकी अध्ययन तथा अनुसंधान की समस्याओं पर कोई महत्व पूर्ण योगदान नही करते शामिल हैं। आयोग ने इन सुझाओं को स्वीकार कर लिया है और सम्बन्धित अधिकारियों से सलाह लेकर उनका कार्यान्वियन किया जा रहा है।

Water Supply position

1320. Shri Bibhuti Mishra :

Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to a news item under the Caption 'Third Plan Water Supply Schemes going very slow' appearing at page 4, columns 7-8 in the morning edition of the Indian National of 4th June, 1965, published from Patna;

(b) if so, whether Government propose to remove difficulties regarding water scarcity in towns and rural areas; and

(c) If so, the outlines thereof?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) Yes.

(b) & (c). The Government are taking steps to expedite the implementation of water schemes in urban and rural areas by substantially increasing the provision for water supply schemes in the Fourth Five Year Plan, by strengthening the machinery of implementation and by taking necessary steps for securing adequate supply of essential materials required for execution of the schemes.

परियोजना स्थलों पर उपकरण

1321. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निम्नलिखित परियोजना स्थलों पर विदेशों से मंगाये गये टैक्टर 'स्क्रेपर', 'ग्रेडेर' और 'हालपैक' बड़ी संख्या में फालतू पूर्जों की कमी के कारण बेकार पडे है।

1. दामोदर घाटी परियोजना
2. हीराकुड परियोजना
3. कोसी परियोजना
4. रिहन्द परियोजना

5. गंडक परियोजना;

6. राम गंगा परियोजना, और

(ख) यदि हां, तो इन उपकरणों को शीघ्र काम में लाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) हीराकुड को छोड़ कर जो पहले से ही पूरा हो चुका है, अन्य परियोजना स्थलों पर फालतू पुर्जों की कमी के कारण साज सामान काफी मात्रा में बेकार नहीं पड़ा हुआ है।

(ख) परियोजना अधिकारियों ने साज सामान की मरम्मत के लिये आवश्यक फालतू पुर्जों के लिए पहले से ही आदेश दिये हुए हैं और वे शीघ्र सप्लाई के लिये विक्रेताओं को याद भी करा रहे हैं। विक्रेताओं के पास फालतू पुर्जों के कम स्टाक का मुख्य कारण विदेशी मुद्रा की कमी है। फालतू पुर्जों के आयात के लिये विक्रेताओं को आई० डी० ए० ऋण के अधीन हाल ही में 4.58 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा दे दी गई है। बहुत से विक्रेताओं ने विदेशी उत्पादन कर्ताओं को आदेश दे दिये हैं।

औद्योगिक वित्त निगम

1322. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० पू० ना० खां :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्राहकों ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिये जाने वाले ऋण की व्याज दर में की गई वृद्धि के बारे में कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) 5 मार्च, 1965 के पश्चात अब तक कितनी राशि वसूल की गई है और गत वर्ष इसी अवधि में वसूल की गई राशि के आंकड़ों की तुलना में यह राशि कम है या अधिक ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर किये गये रुपया ऋणों की व्याज दर की वृद्धि के बारे में सरकार को निगम के ग्राहकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) 5 मार्च, 1965 से 30 जून, 1965 तक की अवधि में रुपया ऋणों से, व्याज के रूप में, 250.03 लाख रुपये की वास्तविक प्राप्ति हुई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 201.53 लाख रुपया प्राप्त हुआ था। इस तरह, इस अवधि में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 48.50 लाख रुपया अधिक प्राप्त हुआ। इस वृद्धि का मुख्य कारण 5 मार्च, 1965 को, 6 मार्च, 1964 की तुलना में, निगम को मिलने वाली बकाया रकम में वृद्धि होना है। व्याज की इस बढ़ी दर के प्रभाव का पता अगले वर्ष मिलने वाले व्याज की रकम से चलेगा, क्योंकि व्याज की संशोधित दर केवल उन्हीं ऋणों पर, जो 5 मार्च, 1965 से पहले मंजूर किये गये थे, पर जिनमें से उस तारीख तक ऋण की किसी भी रकम का भुगतान नहीं किया गया था, और उन ऋणों पर लागू होती है जो 5 मार्च, 1965 के बाद मंजूर किये गये थे।

चीन में बनी वस्तुओं का भारत में चोरी-छिपे लाया जाना

1323. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री दलजीत सिंह :
श्री साधुराम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन में बनी घड़ियां, रेडियो, ट्रांजिस्टर, फाउंटेन पैन बड़े पैमाने पर भारत में चोरी-छिपे लाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इससे भारतीय व्यापार पर कहां तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) इसको रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) : चीन में बनी कुछ वस्तुएं चोरी छिपे भारत में लायी गयी है, लकिन जहां तक सरकार को पता है बहुत थोड़े पैमाने पर ऐसा हुआ है और इसलिये भारतीय व्यापार पर ऐसी तस्करी का प्रभाव नगण्य है ।

(ग) सीमा क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है ।

सिंचाई और विद्युत् योजनायें

1324. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास इस समय उत्तर प्रदेश सरकार की कितनी सिंचाई और विद्युत् योजनायें मंजूरी के लिये अनिश्चित पड़ी हैं और उन पर कितना व्यय होगा तथा उनसे कितना लाभ होने की आशा है; और

(ख) गत एक वर्ष में कितनी योजनाएं अस्वीकृत की गई हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल०राव) : (क) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये सख्या** एल० टी०–4729/65]

(ख) कोई नहीं ।

चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा तथा प्रशिक्षण

1325. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए "चिकित्सा संबंधी शिक्षा तथा प्रशिक्षण" शीर्ष के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को 1964-65 में कुल कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) उस राज्य ने इस अवधि के अन्दर इस राशि का किस प्रकार प्रयोग किया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) "चिकित्सा शिक्षा तथा प्रशिक्षण" शीर्ष के अन्तर्गत केन्द्र समर्थित योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 1964-65 में 3.21 लाख रुपये का अनुदान इस शर्त पर स्वीकृत किया गया है कि उसका अन्तिम समंजन 1965-66 में उन योजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा किये गये सही सही खर्च के आधार पर किया जायेगा ।

(ख) राज्य सरकार ने बतलाया है कि केवल 2,847 लाख रुपये उपकरणों की खरीद, भवन निर्माण, स्टाफ वेतन तथा अन्य आकस्मिक मदों पर खर्च किये गये हैं ।

Ramganga Project

1326. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) Whether negotiations were being held with the U. P. Government for supplying water to Delhi from the Ramganga Project;

(b) If so, the outcome thereof; and

(c) Whether tube wells are being installed in Ghaziabad and efforts are being made to take water from the Hindon river for making water supply to Shahdara?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) Yes.

(b) U. P. Government promised to give the necessary quantity of water from Ramganga for Delhi by 1971 after completion of Ramganga Project.

(c) (i) Tube wells are being installed in Ghaziabad by the Government of U.P.

(ii)The present water supply to Shahdara is being made by the Delhi Municipal Corporation through tube wells.

(iii) The question of obtaining water supply for Shahdara from Hindon will be considered on completion of the Ramganga Project.

सोनें का तस्कर व्यापार

1327. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री बृजराज सिंह :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग के प्राधिकारियों ने 6 जून, 1965 को बम्बई-अहमदाबाद सड़क पर एक गाड़ी से लगभग 60 लाख रुपये के मूल्य का सोना, हीरे और घड़ियां पकड़ी; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) बम्बई उत्पादन शुल्क समाहर्ता कार्यालय के अफसरों ने 5 जून 1965 को नई बम्बई-अहमदाबाद सड़क पर एक जीप-गाड़ी को रोका और अन्तर्राष्ट्रीय दर पर 21,25,000 रुपये मूल्य का 3,96,569,200 ग्राम सोना, 3,00,000 रुपये मूल्य के हीरे 6,00,000 रुपये मूल्य की घड़ियां, लगभग 1,100 रुपये मूल्य की अन्य विभिन्न वस्तुएं, तथा लगभग 10,000 रुपये मूल्य की जीप-गाड़ी भी पकड़ी ।

(ख) जीप-गाड़ी में बैठे चार आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया । जांच पड़ताल की जा रही है ।

Family Planning

1328. Shri Naval Prabhakar :
Shri R. Barua :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) The efforts made in the direction of Family Planning both in the urban and rural areas of Delhi; and

(b) The extent to which these have been successful?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) There are 54 urban and 6 rural family welfare planning centres in the Union Territory of Delhi run by the following agencies :

1. Central Government Health Service .	12 urban units.
2. Delhi Municipal Corporation . .	32 urban and 6 rural units.
3. New Delhi Municipal Committee	4 urban units.
4. Voluntary organisations	6 urban units.

There are also 55 sub-centres/contraceptive distribution centres. There are 16 sterilisation units in the Union Territory of Delhi run by Government agencies and voluntary organisations. Recently, the Intra-Uterine Contraceptive Device (I.U.C.D.) has also been introduced and these services are available in 32 centres.

The Extended Family Planning Programme is being tested in Mehrauli by the Central Family Planning Institute in collaboration with the Delhi Municipal Corporation.

The Family Planning Education and Service activity have been developed for employees at their place of work in six Government offices.

Household fertility survey has been started in the Rural Community Development Block, Mehrauli, with a view to ascertaining the demographic fertility patterns and measuring changes in fertility patterns over a period of time.

(b) 13,522 (8607 males and 4,915 females) sterilization operations were conducted since 1956. 3,37,152 persons have been given advice on the use of family planning methods. In addition, 12,13,075 persons were educated in family planning by way of mass meetings, orientation camps and family planning exhibitions.

Over 7,000 I. U. C. D. insertions have been made.

राष्ट्रीय योजना परिषद्

1329. श्री कोल्ला वेंक्या : **श्री म० ना० स्वामी :**
श्री नवल प्रभाकर : **श्री लक्ष्मीदास :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय योजना परिषद् में शामिल किये गये विशेषज्ञों के क्या नाम हैं; और

(ख) परिषद् ने कितने मामलों में योजना आयोग को मंत्रणा दी है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) राष्ट्रीय आयोजना परिषद् गठित करने के सम्बन्ध में संकल्प संख्या एफ० 15/1/65-सी०डी०एन०, दिनांक 26 फरवरी 1965 की एक प्रति संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है। इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष योजना आयोग तथा सदस्य, योजना आयोग के सदस्य और 17 गैर सरकारी व्यक्ति हैं।

(ख) विकास के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित चुनी हुई समस्याओं पर विस्तृत विचार करने के लिए राष्ट्रीय आयोजन परिषद् ने 12 अध्ययन दल गठित किए हैं। इन दलों में से प्रत्येक की 2 या 3 बैठकें हो चुकी हैं, और उन्होंने विभिन्न विषयों पर विचार विनिमय किया। कतिपय अध्ययन सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत या दलों के रूप में शुरू किये गये हैं और उनका कार्य आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अभी तक कोई भी प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

Transactions between Government and Bharat Sewak Samaj

1330. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) Whether any arbitrator has been appointed to look into certain transactions between Government and Bharat Sewak Samaj;

(b) If so, whether the arbitrator has given his award; and

(c) The amount involved in the dispute?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) Three cases of dispute have been referred to arbitration.

(b) Not yet.

(c) Rs. 2,41,142 in two cases. In the third case, the Bharat Sewak Samaj have not specified the amount of their claim.

गायों के रखने के स्थान (शेड्स) बनाना

1331. श्री बागड़ी : क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी सरकारी बस्तियों में जहां, के निवासियों को दिल्ली दुग्ध योजना दूध सफाई करने में असमर्थ है, गायों को रखने के स्थान (शेड्स) बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या गोल मार्केट तथा चित्रगुप्त रोड क्षेत्र में पहले ही से ऐसी व्यवस्था है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो कौनसी बस्तियां चुनी गई हैं और यदि उत्तर नकारात्मक हो तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) सभी सरकारी बस्तियों में दिल्ली दुग्ध योजना के द्वारा मिल्क बूथों की व्यवस्था की जा चुकी है।

कलकत्ता में तस्कर व्यापार

1332. श्री दलजीत सिंह : क्या **वित्त** मंत्री 1 अप्रैल, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1803 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता में दो लाख रुपये के मूल्य की पकड़ी गई सोने की छड़ों के सम्बन्ध में की गई जांच का क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : इस मामले में जांच-पड़ताल के नतीजे के तौर पर 10 अगस्त, 1965 को चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रट कलकत्ता के सामने दो व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दायर कर दी गई है। मामले में विभागीय-न्यायनिर्णय भी चल रहा है।

योग गवेषणा केन्द्र

1333. **श्री हेमराज** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री 25 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1538 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योग अनुसंधान केन्द्रों की आवश्यकताओं का अध्ययन कर लिया गया है तथा उन्हें अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक केन्द्र को कितनी कितनी धनराशि और किस वर्ष से दी जायेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं। कुछ विवरण तथा सूचना जो इन संस्थाओं से मंगायी गयी हैं अभी प्राप्त नहीं हुये हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्रीसेलम जल-विद्युत् परियोजना

1334. **श्री कोल्ला वैंकैया** : **श्री म० ना० स्वामी** :
श्री ईश्वर रेड्डी : **श्री लक्ष्मी दास** :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 1 अप्रैल, 1965 के अतारांकित प्रश्न सं० 1854 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच श्रीसेलम जल-विद्युत् परियोजना के लिये विदेशी मुद्रा मंजूर की गई है;

(ख) यदि हां, तो कब और कितनी; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) तथा (ख) : रूस व्यापार योजना प्रबन्ध के अधीन 35 लाख रुपये का आवंटन किया जा चुका है।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने श्रीसेलम परियोजना के लिये निर्माण संयन्त्र और साज सामान के आयात के लिये 200 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की अपनी आवश्यकता सूचित की है। विदेशी मुद्रा की शेष निधि को प्राप्त करने की सम्भाव्यता की जांच की जा रही है।

दिल्ली में बर्फ की कमी

1335. **श्री बागड़ी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1965 में दिल्ली में बर्फ की कमी हो गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि बर्फ 1 रुपए प्रति सेर तक बिकी थी; और

(ग) इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) सरकार को ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गोदावरी ऐनीकट

1336. श्री कोल्ला वैकेया : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी पर दोलेश्वरम ऐनीकट संबंधी मित्रा समिति ने कोई प्रतिवेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन तथा उस पर किये गये सरकारी निर्णयों की प्रतियां सभा-पटल पर रखी जायेंगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) समिति ने वर्तमान गोदावरी ऐनीकट को दृढ़ करने के उपायों पर अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है । समिति की अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए इसका सवाल पैदा नहीं होता ।

Removal of Statues of Britishers in Delhi

1337. Shri Bagri : **Shri Narendra Singh Mahida :**
Dr. Saradish Roy : **Dr. Ram Manohar Lohia :**

Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) Whether the statues of Britishers have been removed from all the places in Delhi ;

(b) If not, the reasons therefor; and

(c) The time by which all these statues will be removed?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) to (c). In accordance with the policy of Government to remove the statues of Britishers gradually nine out of twelve statues in Delhi have already been removed.

कम तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिये योजनायें

1338. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम तथा मध्यम आय वर्गों के लोगों की सहायता करने के लिये तीन योजनाओं पर, जिन में अपने रोजगार में लगे तथा अन्य व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना, मध्यम आय, गृह निर्माण योजना और उप-भोक्ता वस्तुएं खरीदने के लिये मध्यम आय वर्ग के लोगों की सहायता करने के लिए एक व्यापक किराया-खरीद योजना शामिल है, विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) इसे कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) : इस विषय में अभी विचार किया जा रहा है ।

शोलायार परियोजना

1339. **श्री मणियंगाडन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में शोलायार परियोजना का काम पूरा हो चुका है;

(ख) क्या वहां बिजली पैदा की जा रही है और यदि हां, तो कितनी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) बाहर से मंगवाई जाने वाली उत्पादन सामग्री की डिलिवरी में अपूर्वदृष्ट देरी ।

केरल की सिंचाई परियोजनायें

1340. **श्री मणियंगाडन** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में किन किन नई सिंचाई परियोजनाओं को चालू करने का विचार था;

(ख) क्या उन में से किसी परियोजना को आरम्भ किया गया है; और

(ग) ये परियोजनाएं इस समय किस अवस्था में हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु ल० राव) : (क) केरल की तृतीय पंच वर्षीय योजना में निम्नलिखित नई सिंचाई परियोजनाएं शामिल की गई थी :—

(1) कल्लडा

(2) पम्बा

(3) कुट्टियाडी

(4) चित्तुरपुजाह

(5) पज्ज़ास्सी

(6) कन्हीरपुज़ाह

(ख) सारी 6 योजनाएं शुरू कर दी गई हैं ।

(ग) योजनाएं निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। एक विवरण जिसमें प्रत्येक स्कीम की स्थिति बताई गई है, सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये, संख्या एल० टी –4730/65]**

नई दिल्ली में दुधारू पशुओं को रखना

1341. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका की सीमा के अन्दर दुधारू पशु (गाय तथा भैंस) रखना मना है; और

(ख) यदि हां, तो इसका उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) नई दिली नगरपालिका की सीमा के अन्दर बिना लाइसेंस के दुधारू पशु रखने की मनाही है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में, उल्लंघन करनेवालों के विरूद्ध 36 मुकदमे चलाये गये हैं।

प्रबन्ध-कर्मचारी

1342. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 में (31 जुलाई तक) समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 269, तथा धारा 269 के साथ पठित धारा 388 के अन्तर्गत प्रबन्धकों को नियुक्तियों अथवा पुर्नियुक्तियों के अनुमोदन के सम्बन्ध में कितनी अर्जियां प्राप्त हुईं;

(ख) उन समवायों के नाम क्या हैं तथा जिन व्यक्तियों की नियुक्ति अथवा पुर्नियुक्ति का अनुमोदन प्रार्थनीय था उन के नाम क्या हैं तथा उन में से प्रत्येक के कुल मासिक वेतन आदि क्या थे; और

(ग) यदि कोई प्रार्थनापत्र अस्वीकार किया गया था तो उसके क्या कारण थे ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) 304।

(ख) जानकारी इकठ्ठी की जा रही है तथा एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा जिसमें कम्पनियों तथा उन व्यक्तियों के नाम दिये हुए होंगे जिनकी नियुक्ति अथवा पुर्नियुक्ति का अनुमोदन प्रार्थनीय था। तथापि प्रत्येक मामले में मांगे गये तथा अनुमोदित किये गये कुल मासिक वेतन आदि का उल्लेख सम्भव नहीं होगा क्योंकि इस जानकारी को गोपनीय माना जाता है।

(ग) कम्पनी विधि सलाहकार आयोग की सलाह से कम्पनी विधि बोर्ड ने प्रबन्ध निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिये दो प्रार्थना-पत्रों को रद्द कर दिया था क्योंकि बोर्ड उनकी उपयुक्तता के बारे में संतुष्ट नहीं था।

मंत्रियों द्वारा सरकारी कारों का निजी कार्यों के लिये प्रयोग

1343. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रीगण सरकारी कारों का प्रयोग अपने निजी कार्यों के लिये कर सकते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस बात को देखने के लिये कि कारों का प्रयोग किस प्रकार हो रहा है, कोई व्यवस्था है; और

(ग) पेट्रोल के बिलों की राशि का भुगतान कौन करता है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ग) : वरिष्ट अधिकारियों और मंत्रियों को सरकारी कारों का प्रयोग कुछ हद तक निजी कार्यों के लिए भी करने की अनुमति दी जाती है। ऐसे प्रयोग के लिए जिस दर से रकम वसूल की जाती है, उससे पेट्रोल की कीमत और अन्य चालन-व्यय पूरे होते हैं।

(ख) सवाल ही पैदा नहीं होता।

अरब देशों से माल का चोरी छिपे लाया जाना

1344. **श्री म० ना० स्वामी :**

श्री लक्ष्मी दास :

श्री बागड़ी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अरब देशों से बड़े पैमाने पर माल चोरी छिपे भारत में लाया जाता है ?

(ख) क्या यह भी सच है कि चोरी छिपे लाये गये माल अर्थात् हथियार, सोना, जवाहरात, रेडियो, श्रृंगार सामग्री, कैमरे, घड़ियां और ताश आदि के बदले में भारतीय नवयुवतियां लौट जाती हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि सोने की छड़े और जवाहरात मछलियों के पेट में डाल दिये जाते हैं और इस प्रकार उन्हें मछली पकड़ने वालो नावों के द्वारा चोरी छिपे बम्बई में लाया जाता है; और

(घ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) : गुप्त सूचना रिपोर्टों के आधार पर और सीमा शल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गये माल पर से लगता है कि अरब प्रायद्वीप के कुछ देशों से भारत में चोरी छिपे काफी माल लाया जाता है। ऐसे माल के लिए भारतीय लड़कियों का आरोपित विनिमय करने के बारे में सरकार को कुछ पता नहीं है।

(ग) अभी तक ऐसे मामले सरकार की निगाह में नहीं आये हैं।

(घ) सरकार ने तस्करी को रोकने के लिये विभिन्न विधायी तथा कार्यकारी उपायों को अपनाया है, जिनमें ये उपाय शामिल हैं—(1) तस्कर विरोधी काम पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों के जांच-पड़ताल सम्बन्धी अधिकारों में वृद्धि; (2) संदिग्ध जलयानों तथा वायुयानों की ठीक तरीके से तलासी; (3) समुद्री किनारों तथा भू-सीमाओं के पार करनेयोग्य भागों की नियमित तथा आकस्मिक गस्त; (4) सूचना के पीछे विशेष ध्यान-पूर्वक लग रहना; (5) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन भारी दण्ड देने के अलावा, जिसमें अवैध माल जब्त करना और जुर्माने तथा दण्ड करना भी शामिल है, योग्य मामलों में अभियोजन करना जिससे कि सजा वास्तव में निरोधक बन सके; (6) विभिन्न क्षेत्रिय संगठनों के तस्करी-विरोधी कामों का अधिक सक्रिय रुप से समन्वय करने के लिए केन्द्र में राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय की स्थापना तथा केन्द्रीय जांच-पड़ताल ब्युरों के आर्थिक अपराध प्रभाग का निर्माण।

मंत्रालयों में स्टाफ कारें

1345. श्री गौरी शंकर कक्कड़ :

श्री सिंहासन सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1952 तथा 1965 में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में कुल कितनी स्टाफ कारें थीं;

(ख) 1952 से 1965 तक की अवधि में स्टाफ कार खरीदने पर वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) इनमें से कितनी स्टाफ कारें आयात की गई हैं तथा कितनी देश में बनी हुई हैं; और

(घ) आयात की गई स्टाफ कारों के खरीदने का साधन क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ) : आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और मिलने पर उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

Public Sector Undertakings

1346. Shri Sinhasan Singh :

Shri Gauri Shankar Kakkar :

Shri Ramshekhar Prasad Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state the number of Corporations in the public sector that are running on a profit and those which are running at a loss with details in each case?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : During the year 1963-64 (the latest year for which the Annual Accounts are available), 33 'Running Concerns' (*i.e.*, other than those which had yet to be fully established) earned profits, while 3 incurred losses. In addition, 4 concerns which had gone into partial production also incurred losses. The relevant particulars are given in the Annual Report on the working of the Industrial & Commercial Undertakings of the Central Government for the year 1963-64, presented to the Lok Sabha on the 9th March, 1965.

निषिद्ध माल का जप्त किया जाना

1347. श्री हेम राज : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में अब तक उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क विभाग ने कितना तथा कितने मूल्य का निषिद्ध माल जप्त किया है; और

(ख) यह माल किन देशों से आयात किया गया था ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) 1 अप्रैल, 1965 से 31 जुलाई, 1965 की अवधि में सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय दर पर लगभग 6 लाख रुपये मूल्य का 115 किलोग्राम अवैध सोना और लगभग 15 लाख रुपये मूल्य की अन्य अवैध वस्तुएं पकड़ी गई।

(ख) जप्त की गई वस्तुएं अफगानिस्तान, आस्ट्रिया, फारस की खाड़ी के बन्दरगाह, अदन, बर्मा, श्रीलंका, चीन, पूर्व अफ्रीका, फ्रांस, यूनान, जर्मनी, हांगकांग, हालैण्ड, इटली, इण्डोनेशिया, जापान, केनिया, कुवैत, मलेसिया, नेपाल, पोर्ट सईद, पाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब, सिंगापुर, श्याम, तिब्बत, संयुक्त राज्य, संयुक्त राष्ट्र अमेरीका, रूस तथा युगाण्डा से चोरी छिपे लाई गई लगती हैं।

पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक-आर्थिक विकास

1348. **श्री हेम राज :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक गवेषणा परिषद् ने पंजाब के पहाडी क्षेत्रों का प्रौद्योगिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हो गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त परिषद् ने हिमाचल प्रदेश के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की रिपोर्ट प्रकाशित की है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना में इन निकटवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों के समेकित विकास के लिय इन्हें एक दूसरे के साथ सम्बद्ध करने का विचार करती है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) इन क्षेत्रों की योजनाओं की तैयारी करते समय सब सम्बद्ध घटकों को ध्यान में रखा जायेगा।

राजधानी में होमिओपैथी कालेज

1349. **श्री सोलंकी :**
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री नरेन्द्रसिंह महीडा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का शीघ्र ही राजधानी में एक होम्योपैथी कालेज खोलने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कालेज के प्रशिक्षण सम्बन्धी पाठ्यक्रमों का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी ऋण

1350. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री काजरोलकर :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत द्वारा विदेशों को देय राशि देशवार, कितनी है ; और

(ख) सरकार विदेशी ऋण का भुगतान किस प्रकार करने का विचार करती है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4731/65]**

(ख) अदायगियां निर्यात की आमदनी से करनी पड़ेंगी।

भूमि सुधार

1351. **महाराज कुमार विजय आनन्द** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू करने में क्या कठिनाइयां सामने आई हैं जिन पर भूमि सुधार कार्यान्विति समिति ने हाल ही में विचार किया था;

(ख) कई राज्यों में इन कार्यक्रमों की कार्यान्विति को बढ़ाने तथा सुधारने के लिये समिति ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) इन सिफारिशों को कहां तक लागू किया गया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) से (ग) : भूमि सुधार के कार्यान्वयन में जिस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनका हवाला चौथी पंचवर्षीय योजना के ज्ञापन (पृष्ठ 36-37) पर दिया हुआ है। कार्यान्वयन कार्य को दृढ़ करने तथा उसमें सुधार लाने के लिए समिति ने जो सुझाव दिए तथा उन पर राज्य सरकारों द्वारा जो कार्रवाई की गई उसका हवाला नीचे दिया जा रहा है :—

सुझाव संख्या 1

राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गये निश्चित समय-सूची के अनुसार, कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य सरकार अपेक्षित कर्मचारियों से सहाय्यित एक विशेष अधिकारी नियुक्त करे।

बिहार में, आयुक्त के पद के एक अधिकारी को भूमि सुधार के कार्यान्वयन का कार्यभार सौंपा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने दो भूमि सुधार कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्त किये हैं। केरल, मैसूर, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल की सरकारों ने सुझाव स्वीकार कर लिए हैं और विशेष अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कार्रवाई कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अपेक्षित कर्मचारियों सहित एक वरिष्ठ भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी को भूमि सुधार आयुक्त नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा में भी एक विशेष अधिकारी है।

उत्तर प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर सरकार ने बताया है कि उनके मुख्य भूमि सुधार कानूनों का कार्यान्वयन पहले ही किया जा चुका है और विशष अधिकारी नियुक्त करने की अब कोई आवश्यकता नहीं। अन्य राज्यों में, इस सुझाव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

सुझाव संख्या 2

भूमि सुधार से सम्बन्धित विषयों की समीक्षा करने तथा उन पर सलाह देने के लिए प्रत्येक राज्य में एक उच्चस्तरीय समिति हो, जिसमें मंत्रीमंडल के मंत्री तथा जनता के प्रतिनिधि भी हों।

बिहार, जम्मू तथा कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा में इस प्रकार की समितियों का गठन किया जा चुका है।

उड़ीसा के भूमि सुधार अधिनियम में, भूमि आयोग के गठन की व्यवस्था है और इसका गठन शीघ्र ही कर दिया जायेगा। केरल में, जनतांत्रिक मंत्रीमंडल के गठन होने के बाद और मैसूर में, मसूर भूमि सुधार अधिनियम के लागू होने पर इस सुझाव पर कार्रवाई की जायेगी। पंजाब में, राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में राजस्व विभाग राज्य सलाहकार समिति, भूमि सुधार से सम्बन्धित विषयों पर भी विचार करती है। अन्य राज्यों में यह विषय विचाराधीन है।

सुझाव संख्या 3

राज्य सरकारों से निवेदन किया जाय कि वे विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में हर छः महीने बाद भारत सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

सब राज्य सरकारों द्वारा इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है।

सुझाव संख्या 4

जहां आजकल काश्तकारियों के अभिलेख तैयार नहीं किये जा रहे हैं वहां इन्हें तैयार करने के लिए और जहां अभिलेख उपलब्ध हैं वहां इन्हें पुनरीक्षित करने के लिए कदम उठाये जायें।

गुजरात, जम्मू तथा कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में अद्यतन अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध हैं। इनमें काश्तकारों के बारे में भी सूचना दी गई है। पश्चिमी बंगाल में काश्तकारों और बरगदारों (बट्टाई-दारों) के अभिलेख तैयार कर दिये गये हैं यद्यपि सालाना पुनरीक्षण के लिए अभी व्यवस्था करनी बाकी है।

असम, बिहार, उड़ीसा और त्रिपुरा में काश्तों सहित स्वामित्व के अभिलेखों की तैयारी के बारे में क्रमबद्ध कार्यक्रम तैयार कर दिये गये हैं। अन्य राज्यों में यह विषय विचाराधीन है। काश्तों के अभिलेख तैयार करने में सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने विशेष सहायता की पेशकश की है।

सुझाव संख्या 5

यह सुनिश्चित कर दिया जाय कि पट्टेदार-कृषकों को उत्पादन कार्यक्रमों में पूरी तरह भाग लेने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाय।

गुजरात, जम्मू तथा कश्मीर, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश आदि कतिपय राज्यों में पट्टेदार-कृषकों को वित्तीय सहायता देने के लिए कार्रवाई की जा चुकी है। अन्य राज्यों में यह विषय राज्य सरकारों के विचाराधीन है।

इन्द्रप्रस्थ बिजली घर, दिल्ली

1352. **महाराजकुमार विजय आनन्द :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में बिजली की कमी को दूर करने के लिये इन्द्रप्रस्थ बिजली घर का विस्तार करने के लिये तेजी के साथ कार्य किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय इस मामले की क्या स्थिति है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) जी, हां। योजना आयोग ने इन्द्रप्रस्थ बिजली केन्द्र में 62.5 मेगावाट की क्षमता के चौथे उत्पादन यूनिट को प्रतिष्ठापित करने के प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है।

(ख) परियोजना कार्यान्वनाधीन है। 62.5 मेगावाट के प्रथम यूनिट को जून, 1966 तक चालू करने के लिए हर कोशिश की जा रही है।

आन्ध्र प्रदेश में बिजली का संकट

1353. श्री पें० वेंकटा सुब्बया : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में इस समय बिजली का घोर संकट पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश के इस बिजली संकट को दूर करने के लिये निवेली तापीय विद्युत् परियोजना से बिजली देने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां। बिजली की उपलब्धता में कमी के कारण आन्ध्र प्रदेश में हाल ही में केवल उन उपभोक्ताओं की बिजली मांग में उस समय के लिए जब कि बिजली मांग अधिकतम होती है 30 प्रतिशत कटौती की गई है, जो उच्च वोल्टता की बिजली का उपभोग करते हैं और जिन की स्वीकृत मांग 1,000 के० वी० ए० से अधिक है।

(ख) इस समय नहीं।

संयुक्तभारत-जर्मन आर्थिक आयोग

1354. श्री किन्दर लाल :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का संयुक्त भारत-जर्मन आर्थिक आयोग स्थापित करने तथा भारत के औद्योगिक विकास में जर्मनी के उद्योगों की ओर अधिक भागिता प्राप्त करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब और किन शर्तों पर ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) : एक संयुक्त भारत-जर्मन आर्थिक आयोग की स्थापना करने के लिय सुझाव दिया गया है क्योंकि यह दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने के लिये लाभदायक होगा, परन्तु ऐसे निकाय को स्थापित करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

Power from Tidal Waves

1355. Shri Kindar Lal :

Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 342 on the 25th February, 1965 and state the result of survey carried out to explore the possibility of generating power from tides and the expenditure incurred thereon?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : Only preliminary surveys for the scheme of generation of tidal powers near Bhavnagar have been carried out so far. A decision will be taken only when detailed surveys are completed.

सामाजिक-आर्थिक गवेषणा परिषद्

1356. श्री वारियर : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक सामाजिक-आर्थिक गवेषणा परिषद् स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) परिषद के कब तक स्थापित होने की संभावना है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) सामाजिक-आर्थिक अनुसंधान परिषद् गठित करने के बारे में कोई विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। परन्तु, देश में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की स्थिति की समीक्षा करने तथा भविष्य के लिये मार्गदर्शक तत्वों का सुझाव देने के लिए, हाल ही में एक समिति नियुक्त की गई है। समिति के गठन से सम्बन्धित अधिसूचना की एक प्रति सभा-पटल पर प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4732/65]**

(ख) और (ग) : उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, (ख) और (ग) का प्रश्न नहीं उठता।

मंत्रियों तथा उपमंत्रियों के बंगले

1357. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रियों तथा उपमंत्रियों को अपने सरकारी मकानों में कोई परिवर्तन अथवा बढ़ोतरी करवाने पर, उस पर होने वाले व्यय की राशि स्वयं देनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो कितनी;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि मंत्रियों को निःशुल्क साजसामान युक्त मकान देने के सम्बन्ध में किराये की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग), (घ) और (ङ) : क्योंकि मंत्री तथा उपमंत्री, सेलरीज़ एन्ड एलाउन्सेस आफ मिनिस्टर ऐक्ट, 1952 के अन्तर्गत बगैर किराये के सज्जित वास के अधिकारी हैं इसलिए किसी भी परिवर्तन तथा परिवर्तन की लागत वसूल करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मंत्रियों के निवास स्थानों में जहां कहीं भी परिवर्द्धन तथा परिवर्तन की आवश्यकता सरकार के द्वारा स्वीकार की जाती है तो उसे सार्वजनिक व्यय पर किया जाता है।

नजफगढ़ तथा सफदरजंग क्षत्रों में मकान

1358. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम लागत वाले मकानों की योजना के अन्तर्गत नजफगढ़ और सफदरजंग क्षेत्रों में कुछ समय पहले बहुत से मकान बनाये गये थे परन्तु उन्हें अब तक अलाट नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : सफदरजंग विकास योजना के अन्तर्गत मई 1965 में 32 मकान (64 आवास गृह) बनाये गये थे। जल सम्भरण व्यवस्था के न होने के कारण इनका अभी आवंटन नहीं किया गया है। आशा है कि लगभग एक महीने में इनमें जल की व्यवस्था कर दी जायेगी।

नजफगढ़ सड़क आवास योजना के अन्तर्गत 50 मकानों का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है।

केरल में उपभोक्ता सहकारी समितियां

1359. श्री मणियंगाडन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की है कि नये उद्योगों को मिलने वाली रियायतों की तरह, केरल राज्य में खोली गई उपभोक्ता सहकारी समितियों को पांच वर्षों के लिये कर मुक्ति (टैक्स होलीडे) प्रदान की जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

जीवन बीमा निगम की "अपना घर बनाओ" योजना

1360. श्री मणियंगाडन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम की "अपना घर बनाओ योजना" के अन्तर्गत नगरों की सूची में कितने केन्द्र राज्यवार सम्मिलित है;

(ख) योजना के अन्तर्गत किसी विशिष्ट नगर को इस सूची में शामिल करने के लिये क्या कसौटी अपनाई जाती है;

(ग) क्या सूची में और अधिक नगर शामिल करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो उन नगरों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) आन्ध्र प्रदेश 11; आसाम 2; बिहार 9; गुजरात 7; जम्मू तथा काश्मीर 2; केरल 4; मद्रास 11; मध्य प्रदेश 8; महाराष्ट्र 13; मैसूर 7; पंजाब 7; उड़ीसा 2; राजस्थान 6; उत्तर प्रदेश 18; पश्चिमी बंगाल 9; दिल्ली 1 तथा गोआ, दमन तथा दीव 1। कुल 118।

(ख) वर्तमान कसौटी यह है कि उपनगर की जनसंख्या एक लाख अथवा इससे अधिक होनी चाहिये।

(ग) जीवन बीमा निगम के पास इस योजना को और उपनगरों में लागू करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बस्तियां (सेटेलाइट टाउन)

1361. श्री रा० बरुआ : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ बस्तियां स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई योजना बनाई जा चुकी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क), (ख) और (ग) : नगर आयोजन का यह एक मान्य सिद्धान्त है कि जब कभी किसी प्रमुख नगर के लिए कोई विस्तृत विकास योजना बनाई जाती है, तो प्रवासियों के बसने के लिये उस नगर क्षेत्र में कुछ निकटवर्ती उपनगरों का भी विकास किया जाता है अन्यथा वे सब राजधानी या महानगरी में ही आकर बसेंगे। यह सिद्धान्त देश के बहुत से महानगरों विशेषत: दिल्ली, कलकत्ता, आसनसोल, कानपुर, लखनऊ और बम्बई की आयोजना में बरते जाते हैं।

जहां भारत सरकार प्रमुख नगरों तथा उनके उप नगरों के मास्टर प्लानों की तैयारी के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है, वहां इन मास्टर प्लानों का वास्तविक क्रियान्वयन जिस में उपनगरों का विकास भी सम्मिलित है, राज्य सरकारों/स्थानीय प्राधिकरणों का ही उत्तरदायित्व है ।

उद्योग की बिजली सम्बन्धी आवश्यकता

1362. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों की बिजली सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है;

(ख) उसमें से कितनी आवश्यकता कोयले से पूरी की जायेंगी ; और

(ग) उसमें से कितना कोयला गैर-सरकारी क्षेत्र से मिलेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां । वर्तमान लक्षणों के अनुसार उद्योगों की बिजली मांग चौथी योजना के आरम्भ में लगभग 52 लाख कि०वाट थी और यह चौथी योजना के अन्त में बढ़ कर लगभग 113 कि० वाट हो जाएगी, ऐसी संभावना है ।

(ख) चौथी योजना के अन्त तक 220 कि० वाट की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता के प्रस्तावित लक्ष्य में से लगभग 110 लाख कि० वाट बिजली कौयला प्रयोग करने वाले ताप बिजली संयंत्रों से पैदा की जाएगी ।

(ग) वर्तमान लक्षणों के अनुसार, चौथी योजना में ताप ऊर्जा उत्पादनार्थ लगभग 300 लाख टनों (टन्स) की कुल खपत के लिए लगभग 100 लाख टन (टन्स) कोयला गैर सरकारी कोयला-खानों से लिया जाएगा ।

Investment of German Capital

1363. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) Whether his attention has been drawn to an interview given by the Deputy Chairman, Planning Commission to the Press Bureau of German Industry where he emphasised the need for greater contribution by Germany in the form of investment in the Fourth Plan ; and

(b) if so, whether Government propose to secure foreign exchange for the Fourth Plan in the form of investments of foreign capital from other countries also in this way?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) Yes.

(b) Yes, the Government would welcome larger inflows of foreign capital from other countries as well to meet the requirements of for eign exchange for the Fourth plan.

केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में जल सम्भरण व्यवस्था

1364. **श्री वारियर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में ताजा जल सम्भरण करने की कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) योजना की अनुमानित लागत क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां।

(ख) यह सभी योजनायें परिरक्षित जल सम्भरण के लिये हैं। इन्हें प्रतिदिन 5 गैलन के लिये प्रति व्यक्ति उपभोग हेतु तैयार किया गया है। इसका स्रोत या तो नल कूप, कुएं अथवा अन्तः स्रोत कूप हैं। जिनपर पानी के लिए निभर रहा जा सकता हैं। रोगाणुओं का नाश, भंडार रखना तथा वितरण सभी योजनाओं में शामिल है।

(ग) 96.95 लाख रुपये।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सवारी भत्ता

1365. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को, उनके निवास स्थान तथा कार्यस्थल के बीच यात्रा के लिये सवारी भत्ता देने के बारे में कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) कब तक निर्णय होने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : बड़े नगरों में यातायात सम्बन्धी खर्च के लिय सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया गया है परन्तु इस मामले को समाप्त कर देने का फैसला किया गया है। इन नगरों में जो नगर पूरक भत्ता दिया जाता है वह आंशिक रुप से ऐसे ही खर्च के लिय है।

National Tuberculosis Control Programme

1366. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a proposal for establishing a number of Sanatoria as also tuberculosis control centres under the National Tuberculosis Control Programme;

(b) if so, the number of centres proposed to be opened under this scheme; and

(c) the number of persons trained for this purpose so far ?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) Under the National TB Control Programme there is no scheme for establishment of Sanatoria. The programme provides for the establishment of TB Clinics, TB Demonstration and Training Centres and Isolation beds.

(b) The National TB Control Programme was launched during the Second Five Year Plan period. 60 TB Clinics and 4 TB Demonstration and Training Centres were established during the Second Plan period. Provision has been made in the Third Five Year Plan to establish (i) 200 TB Clinics (67 established) (ii) 5 TB Demonstration and Training Centres (8 actually established) and (iii) 5,000 Isolation beds (1956 established).

(c) 122 teams consisting of 725 medical and para-medical personnel have so far completed their training at the National TB Institute, Bangalore. 21 teams consisting of 107 medical and para-medical personnel are at present undergoing training at the Institute.

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क विभाग के अनुसचिवीय कर्मचारियों की पदोन्नति

1367. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क विभाग के अनुसचिवीय कर्मचारी 1962 से सरकार से यह अभ्यावेदन करते रहे हैं कि सेवा-निवृत्ति की आयु 55 वर्ष से बढ़ा कर 58 वर्ष किये जाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये आयु सीमा को बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया जाना चाहिये;

(ख) क्या सामान्य आयु सीमा को बढ़ाकर 38 वर्ष कर देने के बारे में आदेश जारी कर दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन आदेशों को किसी पिछली तिथि से लागू किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) ऐसे अभिवेदन 1963 से होते रहे हैं।

(ख) जी, हां। अधिकतम आयु सीमा को 35 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर देने के आदेश 9 जुलाई 1965 को जारी किये गये थे।

(ग) जी, नहीं।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क विभाग के अनुसचिवीय कर्मचारियों की पदोन्नतियां

1368. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क विभाग में संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्धों के अनुसार पदोन्नति संबंधी नियम बनाए गये हैं;

(ख) क्या अनुसचिवीय संवर्ग से कार्यकारी संवर्ग में, जैसे केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षक के रूप में, पदोन्नति के लिये कर्मचारियों पर कोई आयु सीमा लागू की गई है, और यदि हां, तो वह क्या है;

(ग) क्या लड़ाकू युद्ध सेवा वाले तथा अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिये विभिन्न आयु सीमाएं निर्धारित की गई हैं ;

(घ) क्या उपनिरीक्षक संवर्ग (कार्यकारी) के कर्मचारियों के लिये कोई आयु सीमा निर्धारित की गई है;

(ङ) किसी पद विशेष के लिए चुनाव के लिए विभिन्न स्तर निर्धारित करने के क्या कारण है;

(च) क्या यह आयु सीमा लिपिकीय संवर्ग पर भी लागू है ; और

(छ) क्या उन कर्मचारियों को कोई संरक्षण दिया जाता है जो इस आयु सीमा के लागू होने से पहले नियुक्त हुये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति ०त० कृष्णमाचारी): (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क विभाग के अधिकांश पदों के लिए भर्ती-नियमों को (जिनमें अन्य बातों के साथ पदोन्नति के स्थूल सिद्धान्तों की व्यवस्था होती है) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत औपचारिक तौर पर अधिसूचित नहीं किया गया है। जिन पदों के लिए अनुच्छेद 309 के अंतर्गत भर्ती नियमों को अधिसूचित नहीं किया गया है, उनके लिए पदोन्नति के सभी मामले विभागीय कार्यकारी आदेशों और गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी की गयी आज्ञाओं के अधीन तय किये जाते हैं।

(ख) और (ग): जी, हां।

आय सीमाएं निम्नलिखित हैं :—

आयु सीमा	वर्ग, जिसके लिए लागू होती है
38 वर्ष तक	सामान्य क्रम में उच्च श्रेणी लिपिकों और आशुलिपिकों (साधारण ग्रेड) की पदोन्नति के लिए ;
38 और 45 वर्ष के बीच	उच्च श्रेणी लिपिकों और आशुलिपिकों (साधारण ग्रेड) की पदोन्नति के लिए, यदि वे 'विशिष्ट' योग्यता वाले हों ;
40 वर्ष तक	अनसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की तथा लड़ाकू युद्ध सेवा के श्रेय प्राप्त उम्मीदवारों की पदोन्नति के लिए ।
40 और 45 वर्ष के बीच	अनुसूचित जातियों। अनुसूचित जनजातियों के जिन उम्मीदवारों को लड़ाकू युद्ध सेवा का श्रेय प्राप्त हो उनकी पदोन्नति के लिए, यदि वे 'विशिष्ट' योग्यता वाले हों।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) उप-निरीक्षकों की निरीक्षकों के ग्रेड में पदोन्नति के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गयी है क्योंकि ये पदोन्नतियां उनकी सामान्य सरणि में होती हैं और इस लिए भी कि दोनों पदों के कर्त्तव्य एक से हैं।

कार्यालयी कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षक के ग्रेड में पदोन्नति उनकी सामान्य पदोन्नति क्रम में नहीं आती और सरकार का यह विचार है कि एक निश्चित आयु को पार करने के बाद सामान्यतः उन्हें अपने आपको कार्यकारी नियुक्ति की आवश्यकताओं के अनुकूल ढालने में कठिनाई होगी जिसमें मुख्यतः बाहर काम करना होता है। अतः यह निर्णय किया गया है कि उन कार्यालयी कर्मचारियों की, जो 38 वर्ष की आयु सीमा को पार कर चुके हैं, कार्यकारी संवर्ग में सामान्यतः पदोन्नति नहीं की जानी चाहिए। लेकिन अनुसूचित जातियों। अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों तथा लड़ाकू युद्ध सेवा के श्रेय प्राप्त व्यक्तियों के मामले का आधार भिन्न है। अनुसूचित जातियों। अनुसूचित जनजातियों को 40 वर्ष तक की आयु की छूट, नौकरियों में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए सरकार की सामान्य नीति के अनुसार, दी गयी है और दूसरे व्यक्तियों को इसलिए कि उनको पहले से ही वर्दी में रहकर क्षेत्र में (कार्यकारी) काम करने का अनुभव होता है।

(च) जैसा कि ऊपर (ख) और (ग) में बताया गया है, आयु का प्रतिबन्ध लिपिक संवर्ग पर लागू होता है ।

(छ) सन् 1949 में जब केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षकों के संवर्ग के पदों पर जाने का रास्ता उनके लिए खोल दिया गया था, तभी से कार्यालयी कर्मचारियों के लिए आयु का प्रतिबंध बराबर चला आ रहा है इस लिए कार्यकारी पद के लिये पदोन्नति की योजना के लागू होने से पूर्व नौकरियों में आये व्यक्तियों को संरक्षण देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमाशुल्क विभागों के कर्मचारियों को पदोन्नति न करना

1369. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मद्रास में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क विभाग में सरकार की हिदायतों के अनुसार पदोन्नति के लिये प्रति वर्ष सुपात्र उम्मीदवारों के मामलों का पुनर्विलोकन करने के लिये 1957 से 1960 तक की अवधि में कोई विभागीय पदोन्नति समिति तथा ऐसी अन्य परीक्षाएं (लिखित तथा शारीरिक परीक्षाएं) नहीं हुई ;

(ख) क्या यह सच है कि इसके कारण बहुत से पुराने कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) निरीक्षक संवर्ग की अनुमत संख्या की संगणना करने के तरीके को समझने में भ्रांत धारणा हो जाने के कारण, 1957 से 1960 तक की अवधि में मद्रास केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्त्ता-कार्यालय में, निरीक्षक के पद पर तरक्की देने के लिए किसी उच्च श्रेणी लिपिक के मामले पर विचार नहीं किया गया ।

(ख) और (ग) : कुछ उच्च श्रेणी लिपिक, जिनकी तरक्की के लिए उस समय विचार किया जा सकता था, उस अवधि के अंत तक आयु सीमा को पार कर गये थे । लेकिन उनको राहत देने के लिए एक तदर्थ योजना बनायी गयी जिसके अंतर्गत एक विशेष विभागीय पदोन्नति समिति ने इन उच्च श्रेणी लिपिकों के मामलों पर फरवरी 1965 में विचार किया । योग्य पाये गये व्यक्तियों की सामान्य आयु सीमाओं में ढील देकर, उनको केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षक संवर्ग में पदोन्नत कर दिया गया ।

फरक्का बांध

1370. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मधु लिमये :
श्री रामसेवक यादव :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है कि पाकिस्तान सरकार ने रूस का ध्यान इस ओर दिलाया है कि यदि भारत फरक्का बांध का निर्माण करता है तो उससे पूर्वी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भारी हानि पहुंचेगी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने भी इस बांध के बारे में रूस को भारतीय दृष्टिकोण से अवगत करा दिया है; और यदि हां, तो किस रूप में ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जो कुछ समाचार पत्रों में लिखा है उस के अतिरिक्त भारत सरकार के पास पाकिस्तान के फरक्का बराज परियोजना के बारे में रूस सरकार को तथाकथित लिखने के बारे में कोई सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । किन्तु, भारत सरकार ने इस परियोजना के सम्बन्ध में अपने विदेशी मिशनों को काफी वाकिफ कराया हुआ है ।

Electric Crematorium, Delhi

1371. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) The total number of dead bodies which have been cremated in the Electric Crematorium in Delhi so far;

(b) the total income derived therefrom; and

(c) the monthly expenditure on its management and maintenance ?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) The number of dead bodies cremated at the Electric Crematorium during the period from 1st May, 1965 to 24th August, 1965, is 258.

(b) Rs. 2,610 only.

(c) Rs. 6,086·00 approximately.

National School Health Council

1372. Shri Mohan Swarup : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the National School Health Council has recommended some programme for effecting improvement in School health conditions; and

(b) if so, the details of the programme?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) Yes.

(b) The main features of the School Health Programme as recommended by the National School Health Council are as follows :

(i) medical examination of all school children, detection of physical defects and treatment and correction of these defects as far as possible;

(ii) Immunisation of all School children against certain communicable diseases; such as smallpox, diptheria; etc.

(iii) training of teachers in School Health, and for health education of children;

(iv) proper sanitation and safe water supply for schools;

(v) mid-day meals programme;

(vi) health education in teacher's training institutes and in schools;

(vii) strengthening of School Health administration at Centre, State and District level;

(viii) inclusion of School Health in the Fourth Five Year Plan as a Centrally Sponsored Scheme and provision of adequate funds by the Centre and the States to implement the programme.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा विभागीय रूप से कार्य करना

1373. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963, 1964 और 1965 में अब तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा विभागीय रूप से निर्मित कितनी इमारतों, सड़कों, और नालों को गलत योजना, दूरदर्शिता के अभाव अथवा कुछ तकनीकी त्रुटियों के कारण प्रारंभिक कार्य पूरा होने के तुरन्त बाद तोड़ कर फिर बनाना पड़ा; और

(ख) इसके कारण प्रत्येक वर्ष कितनी हानि हुई ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : सामान्यतः, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग निर्माण कार्य ठेकेदारों के द्वारा कराता है, विभाग के द्वारा नहीं। यदि माननीय सदस्य के नोटिस में कोई त्रुटि पूर्ण कार्य आया है तथा उसका ब्यौरा दिया गया है तो उसकी आवश्यक जांच की जायेगी।

Ghazipur Opium Factory

1374. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the factory guards of the Government Opium Factory, Ghazipur are not allowed to avail themselves of Sundays and other Government hoidays ;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is a fact that educated guards are not given departmental promotions;

(d) if so, the reasons therefor; and

(e) whether it is also a fact that the said guards are considered to be class IV employees but their salary is not equivalent to the salary of Class IV employees?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) Yes Sir.

(b) The reasons are that almost the entire staff is required daily for guarding the Factory round the clock, and for escorting the opium consignments for export. It may be mentioned in this connection that under the general orders of Government certain categories of employees like Chowkidars etc. are entitled to only three National Holidays, *viz.*, the Republic Day, Independence Day and Mahatma Gandhi's Birthday. The question whether the Factory Guards need be given a more liberal treatment is under Government's consideration.

(c) No Sir. They are eligible for promotion as Jamadar and Dafadars. Further, the educationally qualified Factory Guards, if any, are also eligible to compete in the recruitment test for such Class III posts as are filled up by direct recruitment.

(d) Does not arise.

(e) The Factory Guards of the Government Opium Factory, Ghazipur are borne on the scale of Rs. 70-1-80-EB-1-85 which is a regular Class IV scale under the C.C.S. (R.P.) Rules, 1960.

मजदूर वर्ग के लिये भोजन तालिका (शे यूल)

1375. श्रीमती मैमना सुल्तान : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मजदूर वर्ग की पोषाहार आवश्यकता पूरी करने के हेतु उन के लिए भोजन तालिका तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो भोजन तालिका की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) राष्ट्रीय पोषाहार सलाहकार समिति के निर्धारण के अनुसार प्रति व्यक्ति कितना पोषाहार आवश्यक है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : विभिन्न प्रदेशों में श्रमिक वर्ग के परिवारों के लिये सुझायी गई आहार अनुसूचियां संलग्न हैं। प्रति प्रौढ उपभोग इकाई के लिये सुझाये गये आहार का पोषकीय मूल्य सभा पटल पर रखे गये परिशिष्ट में दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-4733/65**]

विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों का उलंघन

1376. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में बम्बई, मद्रास तथा मदुरै में बहुत से अपराधात्मक दस्तावेज पकड़े गये हैं जिन से पता चलता है कि करोड़ों रुपयों की मात्रा में विदशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमो का उल्लंघन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन में कितने व्यक्तियों का हाथ है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) : 30 जुलाई, 1965 को प्रवर्तन निदेशालय ने मद्रास, मदुरै, तिरुची तथा बम्बई में कुछ स्थानों की एक साथ तलासियों ली और करीब छः लाख रुपये की कीमत के दोषारोपणीय कागज तथा भारतीय मुद्रा पकड़ी । प्राथमिक छानबीन से विदेशी विनियमों के उल्लंघन का पता चलता है । मामले की बारीकी से जांच पड़ताल हो रही है और जब तक यह पूरी नहीं हो जाती अन्य बातें प्रकट करना वांछनीय नहीं समझा जाता ।

विदेश जाने वाले सम्पादकों के लिये विदेशी मुद्रा

1377. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून और जुलाई, 1965 में दिल्ली के स्थानीय भाषाओं के समाचारपत्रों के कुछ सम्पादकों-एवं-मालिकों को इंगलैंड जाने के लिये विदेशी मुद्रा दी गई थी;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की संख्या तथा उनके नाम और उन के समाचार-पत्रों के नाम क्या हैं;

(ग) उन्हें विदेशी मुद्रा दिये जाने के क्या कारण थे;

(घ) उन्हें कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई थी; और

(ङ) क्या ये व्यक्ति पिछले वर्ष भी ब्रिटेन गये थे, और यदि हां, तो उन्हें इस वर्ष भी विदेश जाने की अनुमति देने के क्या कारण थे ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ) : 'फतह' साप्ताहिक तथा 'प्रीतम' मासिक के मुख्य सम्पादक को ब्रिटेन में एक पत्रकार के रूप में अपने व्यावसायिक कार्य के सम्बन्ध में 4200 रूपये तक की विदेशी मुद्रा मंजूर की गई है । वह पिछले 40 वर्ष से एक सम्पादक के रूप में कार्य कर रहे हैं । एक पत्रकार के रूप में कार्यकाल की अवधि तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वह एक साप्ताहिक तथा एक मासिक पत्रिका के मुख्य सम्पादक है उनको इस विदेशी मुद्रा की मंजूरी सामान्य नियमों के अन्तर्गत दी गई है ।

(ङ) वह पिछले वर्ष ब्रिटेन गये थे । किसी पत्रकार को विदेशी मुद्रा के लिये सुविधायें देने पर नियमों में कोई रोक नहीं है चाहे वह पहले एक वर्ष में विदेश क्यों न गया हो ।

Government Working Girls' Hostel, New Delhi

1378. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the Government Working Girls' Hostel in Delhi, the ladies in Government service are charged more rent than the ladies working in private firms; and

(b) if so, the reasons for the disparity ?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) No.

(b) Does not arise.

Loop Factory at Kanpur

1379. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have prepared a Scheme to set up a loop factory in Kanpur; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) Yes.

(b) A factory for the production of Intra-Uterine Contraceptive Device (Loop) in Public Sector under the U.P. State Government has been established at Kanpur and is already working. To start with 14,000 devices are manufactured per day. The capacity is up to 20,000 per day.

ग्रामदान आन्दोलन

1380. श्री दे० शि० पाटिल :

श्री तुलशीदास जाधव ।

क्या योजना मंत्री 24 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 383 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामदान आन्दोलन को प्रोत्साहित करने के निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजे गये ग्रामदान विधेयक के प्रारूप के समान किन-किन राज्यों ने विधेयक पुरःस्थापित किये हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : असम, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में कानून पास कर दिये गये हैं। आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में विधेयक तैयार अथवा प्रस्तुत कर दिये गये हैं। अन्य राज्यों में इस विषय पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। किन्तु मद्रास और बिहार के भूदान अधिनियमों में ग्रामदान के बारे में भी व्यवस्था है।

Amendment of Indian Electricity Rules

1381. Dr. Mahadeva Prasad : Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether a meeting of the Central Electricity Board was held at Shillong last month;

(b) whether any proposal for the amendments to the Indian Electricity Rules, 1956 was considered at the meeting; and

(c) if so, the details of the proposals considered ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) The items on the agenda before the Central Electricity Board at its 13th meeting held at Shillong in July, 1965 were as follows :—

(i) Consideration of the report of the Sub-Committee set up by the Board at its 12th meeting held at Poona in January, 1964 for studying the question of voltage variation and submitting a proposal which could be implemented without affecting the financial and technical position in the existing power systems.

(ii) Consideration of the amendments to Rules 2, 3, 4A & 4B (New Rule), 5, 10, 26, 27(2) [New Rule], 31, 33, 35, 43, 44A (New Rule), 45, 46, 48(1) [New Rule], 49, 50, 54, 58A (New Rule), 61, 65, 73(4) [New Rule], 79, 82, 92, 138A (New Rule) etc. already published in the Central Electricity Board Notification No. EL. II-6 (6)/63, dated the 27th September, 1963 - (published in the Gazette of India, dated the 12th October, 1963 as G.S.R. 1941) taking into account the objections and/or suggestions of various State Governments, State Electricity Boards, Federation of Electricity Undertakings, Individuals etc.

(iii) Consideration of further proposals for amendment to Rules 3, 4, 31, 35, 41, 51, 55A (Proposed New Rule), 57, 76, 92, 139, 140 etc. of the Indian Electricity, Rules, 1956 (other than those already published in the notification dated the 27th September, 1963) received from the State Governments, Federation of Electricity Undertakings of India etc.

बिहार में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा अनुसन्धान कार्य

1382. **श्री मती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग बिहार में कोई अनुसन्धान कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग प्रत्येक राज्य में नहीं बल्कि अखिल-भारत के आधार पर, पूना के बिजली गवेषणा केन्द्र और बिजली गवेषणा संस्थान, बंगलौर और भोपाल के यूनिटों में, गवेषणा कार्य करता है।

Damage due to Floods

1383. **Shrimati Ramdulari Sinha** : Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) the steps taken to implement the recommendation made by the Committee of Ministers on Flood Control for effecting improvements in the existing technique of compilation of statistics, its assessment and preparation of a report relating to the damage caused by floods; and

(b) the improvements effected so far in accordance with the said recommendation ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) and (b). The National Council of Applied Economic Research has been asked to examine the adequacy of the existing arrangements at the Centre as well as in the States for the collection, compilation, assessment and reporting of flood damage data and to suggest a detailed scientific procedure for adoption. The report of the Council has not yet been received. Necessary action to effect improvements will be taken after the report of the Council is received.

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क पुनर्गठन सम्बन्धी चन्दा समिति का प्रतिवेदन

1384. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क पुनर्गठन सम्बन्धी चन्दा समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क पुनर्गठन समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा किय गय निर्णयों का एक विवरण-पत्र 19 दिसम्बर, 1963 को सभा की मेज पर रख दिया गया था ।

[रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में क्वार्टर

1385. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रामकृष्णपुरम तथा अन्य बस्तियों में ऐसे कितने क्वार्टर हैं जो जल-व्यवस्था न होने के कारण अलाट नहीं किये गये हैं, तथा कब से;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने किराये का नुकसान हो रहा है; और

(ग) इसके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि और नुकसान न हो ।

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) रामकृष्णपुरम में अगस्त 1965 के आरम्भ में लगभग 1000 क्वार्टर आवंटित किए गये थे लेकिन पानी की सप्लाई की आवश्यकता के कारण उनका दखल नहीं लिया जा सका । अन्य किसी बस्ती में पानी की आवश्यकता के कारण क्वार्टरों का आवंटन अथवा दखल नहीं रोका गया है ।

(ख) पानी मिल जाने तथा क्वार्टरों का दखल ले लेने के बाद ही रकम का पता चलेगा ।

(ग) दिल्ली नगर निगम के द्वारा लगभग एक महीने की अवधि में पानी मिल जाने की संभावना है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये मकान

1386. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक कितने मकान बनाये गये हैं और उन में से कितने मकान पानी की व्यवस्था न होने के कारण बेचे नहीं जा सके, तथा कब से ;

(ख) क्या उन मकानों की बिक्री की शर्तें तय की जा चुकी हैं;

(ग) यदि नहीं, तो कब तक तय हो जायेंगी; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप यदि कोई हानि हुई है तो कितनी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) अब तक दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 32 मकानों (64 रिहायशी एकक) का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है । ये मकान मई 1965 में तैयार हो गये थे किन्तु अभी तक इनमें पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है । आशा है कि दिल्ली नगर निगम एक दो महीने में पानी की व्यवस्था कर देगा ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सम्भवतः अक्तुबर, 1965 के अंत तक इन मकानों की बिक्री की शर्तें और नियम तैयार हो जायेंगे ।

(घ) चूकि मकान पूर्व निर्धारित कीमत पर बेचे जायेंगे, जिसमें पूजी की बिक्री की तारीख तक पूंजी का व्याज भी सम्मिलित होगा, अतः हानि होने की कोई संभावना नहीं है ।

राज्य सरकारों में प्रतिनियुक्ति पर जानें वालें कर्मचारियों के लिए मकान

1387. **श्री टे० सुब्रह्मण्यम**: क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों के अपने मूल विभागों में वापिस आने पर दिल्ली में सरकारी आवास मिलने में प्राथमिकता की तारीख सम्बन्धी अधिकार सुरक्षित रखे जाते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन अधिकारियों को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए सरकार का विचार इस मामले का पुनर्विलोकन करने का है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) प्राथमिकता की तारीख के लिये नियमानुसार केन्द्रीय सरकार के अधीन केवल लगातार सेवा की गणना की जाती है ।

(ख) राज्य सरकार के अधीन कार्य कर रहे अधिकारी, चाहे वे राज्य अधिकारी हों या केन्द्रीय सरकार के अधिकारी, उनको एक समान ही समझा जाता है तथा उन दोनों में से कोई भी राज्य सरकार के अधीन की गई सेवा को प्राथमिकता की तारीख के लिए शुमार नहीं करा सकता ।

(ग) जी नहीं ।

Incentive Bonus Scheme in Government Presses

1388. **Shri Nardeo Snatak** : Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) the number of Government Presses where Incentive Bonus Scheme has been introduced;

(b) the basis on which the bonus is given to the employees; and

(c) whether it is a fact that before introducing this scheme in the presses, the out-turn limit of various types of jobs done in each industrial department has been fixed ?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) Six.

(b) The outturn produced by the operatives is converted into hours on the basis of rates prescribed in the Scheme. Bonus is then paid at five paise per hour per Rs. 10 of each operative's basic monthly pay for extra outturn in terms of hours.

(c) Before introducing the Scheme outturn was fixed for Lino and Mono Operators and Readers.

At the time of introducing the Scheme, the outturn of the following categories of workers included therein has been fixed :—

(i) Compositors.

(ii) Impositors.

(iii) Mono Caster Operators.

(iv) Machine and Hand Press crew—(Machinemen and Machine Inkers) (Pressmen, Press Inkers and Fly Boys in the case of Hand Presses).

(v) Binders and Warehousemen.

राज्यों में सिंचाई तथा बिजली योजनायें

1389. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने यह प्रस्ताव भेजा है कि जिन सिंचाई तथा विद्युत् योजनाओं पर दस करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च होगी उन्हें केन्द्र को अपने द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के रूप में अपने हाथ में ले लेना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) विभिन्न राज्यों में इस श्रेणी के अन्तर्गत कितनी योजनायें आयेंगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कुल 109 स्कीमें हैं। इन में से 50 सिंचाई की और 56 बिजली की हैं ।

उपरी कृष्णा परियोजना

1390. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य की उपरी कृष्णा परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ;

(ख) उसमें केन्द्र का अंशदान कितना है ; और

(ग) इस परियोजना को कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल०राव) : (क) 58.2 करोड़ रुपये के लिये उपरी कृष्णा परियोजना मंजूर की गई है।

(ख) परियोजना की क्रियान्विति मैसूर सरकार द्वारा की जा रही है। इस परियोजना के लिये केन्द्रीय ऋण के रूप में किसी निश्चित सहायता की मंजूरी नहीं दी गई है।

(ग) परियोजना पर कार्य पहले ही आरम्भ किया जा चुका है।

मद्रास शहर में पीने के पानी की व्यवस्था

1391. **डा० श्रीनिवासन :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास शहर में पीने को पानी की व्यवस्था करने के लिये अब तक किये गये उपायों में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : राज्य सरकार ने निम्नलिखित कार्यों की स्वीकृति दे दी है :—

(1) 40 करोड़ घनफूट तक की जल संचार-हानि से बचने के लिए अनुमानत: 85 लाख रुपये की लागत पर पूंडी से रेड-हिल्स तक एक खुली लाइन की नाली बनाना।

(2) 55 करोड़ घन फुट पानी बचाने के लिए जो अब सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अनुमानत: 2 करोड़ दस लाख रुपये की लागत पर रेड-हिल्स और शोलावरम् टैंकों के अन्तर्गत पड़ने वाली समस्त 7,500 एकड़ आर्द्र भूमि का अर्जन करना।

(3) अनुमानतः 15.72 लाख रुपये की लागत पर 68 करोड़ घनफुट (410+270) जल की अतिरिक्त मात्रा को रखने के लिए रेड-हिल्स और शोलावरम् के एफ०टी०एल० को क्रमशः 2 फीट और 4 फीट ऊंचा करना।

मद संख्या (1) और (2) में उल्लिखित कार्यों को हाथ में ले लिया गया है और (3) में उल्लिखित कार्यों को शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

लगभग 600 परीक्षणात्मक छिद्र और 60 उत्पादन-कुएं खोदने के लिए राज्य सरकार के पास एक विस्तृत योजना भी है। अभी तक लगभग 50 परीक्षणात्मक छिद्र खोदे जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त अनावृष्टि वाले वर्षों में नगर जल प्रदाय योजना को सन्तोषप्रद स्तर पर लाने तथा इस प्रमुख शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पानी की उचित एवं निरन्तर व्यवस्था रखने के लिए राज्य सरकार के पास निम्नलिखित प्रस्ताव भी हैं :—

(1) कावेरी स्रोत से जल प्रदाय में वृद्धि करना।

(2) सोमसिला प्राजेक्ट से पन्नार के पानी को मोड़ना।

जहां तक (1) का सम्बन्ध है, पानी की व्यवस्था के विभिन्न स्रोतों की जांच पड़ताल की जा रही है। जहां तक (2) का सम्बन्ध है, राज्य सरकार ने अपने मुख्य अभियन्ता (सिंचाई) को आन्ध्र प्रदेश सरकार के अभियन्ताओं के साथ इस प्रस्ताव के ब्यौरों पर बातचीत करने के लिए प्रतिनियुक्त करने का निर्णय किया है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कम्पनी अधिनियम, आदि के अन्तर्गत नियम

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : मैं श्री ति० त० कृष्णमाचारी की ओर से निम्न लिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(एक) कम्पनी (सरकारी परिसमापक-लेखा) नियम, 1965, जो दिनांक 31 जुलाई 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1096 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कम्पनी का परिसमापन-लेखा नियम, 1965, जो दिनांक 31 जुलाई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1097 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—4713/65]**

(2) केरल राज्य के सम्बन्ध में निम्निलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, 1965। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—4714/65]**

[श्री रामेश्वर साहू]

(दो) **विनियोग लेखे**, 1963–64 [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4715/65**]

(तीन) **वित्त लेखे**, 1963–64 । [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4716/65**]

कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम, आदि के अन्तर्गत अधिसूचना

श्री रामेश्वर साहू : मैं निम्न लिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 की धारा 46 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत दिनांक 1 मई, 1965 की अधिसूचना संख्या एसईसी–2864/बी. 3–64/65 की एक प्रति जिसके द्वारा कृषि पुनर्वित्त निगम (कर्मचारी) विनियम, 1964 में कुछ संशोधन किये गये हैं । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4717/65**]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) साठवां संशोधन नियम, 1965 की एक प्रति जो दिनांक 21 अगस्त, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1178 में प्रकाशित हुए थे । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०–4718/65**]

(3) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उदघोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल स्टाम्प अधिनियम, 1959, की धारा 69 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति जिनके द्वारा केरल स्टाम्प का निर्माण तथा विक्रय नियम, 1965 में कुछ संशोधन किये गये हैं :—

(एक) एस० आर० ओ० 80/64 जो दिनांक 31 मार्च, 1964 के केरल राज्यपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) एस० आर० ओ० 96/64 जो दिनांक 7 अप्रैल, 1964 के केरल राजपत्र मे प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) एस० आर० ओ० 174/64 जो दिनांक 9 जून, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(चार) एस० आर० ओ० 133/65 जो दिनांक 30 मार्च, 1965 के केरल राज-पत्र में प्रकाशित हुआ था । [**पुस्तकालय मे रखी गई । देखियें संख्या एल० टी० 4719/65**]

(4) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल स्टाम्प अधिनियम, 1959, की धारा 9 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) एस० आर० ओ० 111/64 जो दिनांक 28 अप्रैल, 1964 के केरल राज-पत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) एस० आर० ओ० 135/64 जो दिनांक 5 मई, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) एस० आर० ओ० 145/64 जो दिनांक 12 मई, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(चार) एस० आर० ओ० 257/64 जो दिनांक 1 सितम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) एस० आर० ओ० 302/64 जो दिनांक 29 सितम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(छ) एस० आर० ओ० 309/64 जो दिनांक 29 सितम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(सात) एस० आर० ओ० 313/64 जो 6 अक्तूबर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(आठ) एस० आर० ओ० 330/64 जो दिनांक 27 अक्तूबर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) दिनांक 30 अक्तूबर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० ओ० आरटी० 1891/64/आरइवी।

(दस) एस० आर० ओ० 29/65 जो दिनांक 26 जनवरी, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(ग्यारह) अधिसूचना संख्या जी० ओ० आरटी० 101/65/आरइवी जो दिनांक 2 फरवरी, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(बारह) एस० आर० ओ० 76/65 जो दिनांक 2 मार्च, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(तेरह) एस० आर० ओ० 129/65 जो दिनांक 30 मार्च, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 4720/65]**

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमानजी मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखिति सन्देश की सूचना देनी है :–

"मुझे लोक-सभा को यह सूचना देने का निदेश मिला है कि राज्य सभा ने अपनी 26 अगस्त, 1965 की बैठक में प्रैस काउंसिल विधेयक, 1965 को पास कर दिया।"

2. श्रीमन्, मैं राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में प्रैस काउंसिल विधेयक, 1965 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

काश्मीर की स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: SITUATION IN KASHMIR

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रतिरक्षा मंत्री आ गये हैं। मुझे कई ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। एक कामरोको प्रस्ताव भी थी। परन्तु मैंने उसकी अनुमति नहीं दी। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इस समय पाकिस्तान और हमारे देश के बीच कई स्थानों पर लड़ाई चल रही है। सभी व हम पर आक्रमण करेंगे और कभी हम उनके प्रदेश में जायेंगे। ऐसे मामलों पर कामरोको प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : कल सुबह पाकिस्तान ने छम्ब क्षेत्र में 70 टैंकों और एक ब्रिगेड द्वारा हमला किया। इससे पूर्व हमारे फौजी ठिकानों पर भारी बम गिराय गय थ। पाकिस्तानियों ने युद्ध विराम रेखा के पास अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को पार किया। भारी आक्रमण के कारण पाकिस्तानीं 5 मील हमारी ओर घुस आये हैं।

कल शाम हमारी वायु सेना और थल सेना ने मिलकर मुकाबिला किया और पाकिस्तान के 13 टैंकों को खत्म कर दिया। हमारे दो विमान लापता हैं और दो को क्षति पहुंची है। हमारे हताहत सैनिकों के बारे में अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

स्थिति काबू में है और आवश्यक उपाय किये गये हैं। हमारे जवान विश्वास के साथ और बहादुरी से लड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हमारी सेना किसी भी स्थिति का सामना करने की शक्ति रखती है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक जारी

STATUTORY RESOLUTION REGARDING ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY (AMENDMENT) ORDINANCE AND ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL—*contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब हम अलोगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में संविहित संकल्प तथा संशोधन विधेयक पर अग्रेतर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पूर्व मुझे एक घोषणा करनी है। परिवहन मंत्री कैरेवेल विमानों के संबंध में आज 5 बजे वक्तव्य देंगे।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री अपना भाषण जारी रखें।

Shri Pakash Vir Shastri (Bijnor) : Like other national universities Aligarh Muslim University is a national university. If the intention of the Government in maintaining the Muslim character of the Aligarh Muslim University is to foster Muslim culture in adherence to our policy of secularism, no one would object to that. But if on the other hand the intention of the Government in retaining the Muslim appelation and character of the Aligarh Muslim

University is that that should become a hot bed of religious fanaticism or that anti-national activities should find encouragement there, it can never be tolerated.

The total grants given to the Aligarh Muslim University during the last 17 years by the Government of India amount to Rs. 9,95,55,735. This amount of roughly 10 crores of rupees was paid by all the citizens of India. This is the public money collected in the form of taxes. It is laid down clearly in Article 27 in the Constitution that no citizen of India will be forced to pay money for the propagation of any particular religion or religious organisation. If the Muslim character of the Aligarh Muslim University is to be maintained then the Constitution of India will never permit the grant of this sum of Rs. 10 crores which Government of India have already given. The President had to promulgate the ordinance under compelling circumstances. The treatment meted out to the present Vice Chancellor of the Aligarh University was so tragic that the President was forced to take this step. The conspiracy was hatched not only to manhandle Shri Ali Yavar Jung, but preparations were also made for his funeral procession to take him to the burial ground. The people who were beating Shri Ali Yavar Jung were shouting the slogans 'Cock of Hyderabad, you first finished the State of Hyderabad and now you have come to finish the Aligarh University'. This slogan reflects the mentality behind the manhandling of Shri Ali Yavar Jang.

The report submitted by Shri Neki Ram Sharma, Chairman of the Committee appointed by U.P. Government to look into the affair of the Aligarh Muslim University is enough to open the eyes of the Government. I would also draw your attention to the report of Shri Naval Kishore the former Deputy Minister in the U.P. Government. He has stated in his report regarding the Aligarh Muslim University that Pakistani element was already present in that University and that persons with Pakistani bias were appointed in the time of Shri Tayabji. The whole situation developed within the University. I do not want to narrate what the history of this University was before 1947, how the scheme of the partition of this country was hatched within the four walls of this University. The role played by this University in the politics of India is nicely dealt in the book 'Divided India' by Dr. Rajendra Prasad.

I want to put a few questions to those who deny the presence of any Pakistani element or reactionary element. Have those people forgotten the uproar that was created in Aligarh University by the publication of K. M. Munshi's book 'Religious Leaders'? Have they forgotten the circumstances under which Dr. Zakir Hussain had to resign from the post of Vice Chancellorship ? He had said at that time, : "I had come here with great hopes, but now I am going back very much disappointed". Have they forgotten how the Aligarh University tried to create the communal disharmony in the name of Union Elections ? Do they not know that when Pakistan won the gold medal for victory in Hockey match in Olympic games, celebrations on large scale were held in Aligarh University and that it was given in writing to the Vice Chancellor that the University should observe holiday ? Do they not know that for 4-5 years after the partition 14th August, the Independence day of Pakistan was celebrated in this University as the National Day ? Do they not know that the death of Jinnah was mourned in this University ? Do they not know that sweets were distributed in this University on the re-election of Ayub ? Do they not know that in the

[Shri Prakash Vir Shastri]

first Convention of Jamiat-e-Islami held in Aligarh Muslim University virulent things were said against the Government of India and the country ? Do they not know that there are professors in this University who present the books written by them to Mao-tse-tung ? Do they not know that some persons of this University ran away with lakhs of rupees to Pakistan and the Government of India had to waive that amount ?

Can it be said now that reactionary element is not present in Aligarh Muslim University ? I simply cannot understand how a responsible man like Shri Yashpal Singh could say that persons with Pakistani bias are not present in Aligarh University. I want a reply from the Education Minister whether Dr. Syed Mehmood wrote a letter to him to the effect that the Ordinance will have serious repercussions in Pakistan. Does Dr. Syed Mehmood want to retain Aligarh Muslim University as a part of Pakistan in India ? But Thakur Yashpal Singh still feels proud of Dr. Syed Mehmood and says that a nationalist person like Dr. Syed Mehmood is the product of Aligarh Muslim University.

Recently a convention of the old boys of Aligarh Muslim University was held in Lucknow under the presidentship of Dr. Syed Mehmood where he expressed venomous feelings against this Ordinance.

But I want to ask the Prime Minister that when Shri Chagla is carrying on a lone fight in respect of Aligarh Muslim University affairs whether two members of the Cabinet are lending support to other people in the campaign to malign Shri Chagla ? I want to point it out more clearly and openly because I have got some proof also in support thereof in my possession and I would like that due notice should be taken of it. Here I am referring to Shri Humayun Kabir and Shri Shah Nawaz Khan. This Jamiatulama-i-Hind which is carrying on the biggest campaign against the Ordinance regarding Aligarh Muslim University.....

Shri Radhe Lal Vyas (Ujjain) : I rise on a point of order.

Mr. Speaker : What is your point of order ?

Shri Radhe Lal Vyas : My point of order is that if an hon. Member wants to make an allegation against a Minister, he must give an advance intimation of it. This is given in the Rules. The hon. Member has not given anv intimation about it.

Mr. Speaker : He is right. If reference has to be made by name or he is to be criticised, then it is necessary to send previous intimation. But if he is referring to the statement made by somebody, I cannot stop him.

Shri Prakash Vir Shastri : I would like to make it unequivocally clear that two members of the Central Cabinet have been nominated to the Governing Body of Jamiatulama-i-Hind which is carrying on this campaign against Shri Chagla. I would like to know whether in this case it is the joint responsibility of the Cabinet or Shri Chagla alone is responsible for it. If it were a joint responsibility, then they should have opposed this campaign which the Jamiat is carrying on against Shri Chagla.

In this connection, the second thing which I want to ask is whether it was not the responsibility of these members of the Cabinet to oppose and express their opinion against the campaign being carried on by the four Organisations against Aligarh Muslim University Ordinance and also their efforts to malign Government of India and Shri Chagla. If they did not like to express their opinion, they could have resigned from the Governing Body of Jamiat Ulama-i-Hind on the plea that they did not want to associate themselves with an organisation which is carrying on a campaign against the Government and a member of the Cabinet. I do not want to make a personal remark against anybody and I also do not want to point out that a near relative of a member of the Central Cabinet, is holding the post of Director General of Information in in Pakistan.

I would like to ask the hon. Prime Minister and the Home Minister whether any memorandum has been sent to them by Shri Ansar-ul-Haq, leader of a Muslim Organisation, United Muslim Front, and a former M.L.A. of Madhya Pradesh Vidhan Sabha, wherein it has been clearly mentioned that the Waqf Board funds are being utilized for carrying on the campaign against Shri Chagla ? Have they received any such Memorandum ? If so, whether it has also been mentioned in the memorandum that the Chairman of the Waqf Board is taking interest in such matters and as such Shri Humayun Kabir should be removed from the Chairmanship of the Waqf Board ?

Is it a fact.....

Mr. Speaker : Has a copy of the same been forwarded to him ? He has said many things about the members of the Cabinet. I would like to impress that the members should speak with full sense of responsibility. He sould bear full responsibility for the observations he is making.

Shri Prakash Vir Shastri : I own full responsibility for this and if I am wrong, the Prime Minister and the Home Minister who are present here can contradict whatever I am saying.

Mr. Speaker : It is not sufficient for the Member to say this. He should take the responsibility. It would not be proper if somebody makes an allegation against anybody and later on declares that it may be repudiated if it is wrong, because the person who could be harmed by the allegation has already been harmed and defamed. A propaganda gets momentum against him. Even if the allegation is proved wrong later on, the mischief has already been done. So it is not sufficient to say that it may be repudiated if it is wrong. The Member should first ascertain the veracity of a statement and make sure that there are sufficient reasons for him to believe it. He should not make a statement till then.

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : I am sorry that Shri Prakash Vir Shastri has launched an attack by mentioning the name. One should exercise great caution in these matters. I have discussed the matter with Shri Humayun Kabir and he is not a Member of Jamaitulama-i-Hind. So this allegation is incorrect.

Another thing which he said was that Shri Kabir did not repudiate it in any speech or in any group discussion and that he did not contradict it in any way in public. In any cabinet some Ministers may have different opinions, but the

[Shri Lal Bhadur Shastri]

decision of the Cabinets is final and binding on all. I feel he should not have made such insinuations. It would have been proper if he had written to us about these things and we would have replied to him. If he still felt that he had sufficient proof, he was within his rights to state the facts here. I however, feel that the type of allegation made by him is not correct and the facts are not what he has stated.

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Speaker, Sir, I was not prepared to make these allegations without my proof. I had in the first instance referred to them by the expression 'two Members of the Cabinet' but when someone from the other side asked me to mention their names, I had to do so. As a matter of fact I did not intend to mention their names here. As regards Prime Minister's statement that he (Shri Kabir) is not a Member of the Governing Body, I cannot say what is the basis of the Prime Minister's information. It has been reported in the issue of 'Aljamiat' dated 21st July which he is their (Jamiat's) chief organ, that the names of these two persons are included in the list of members of the Governing body nominated by Maulana Fakhruddin, the President of the 'Jamiat'. Is the Prime Minister in a position to say that he had resigned after receiving this information or had expressed his disagreement after being nominated ?

With regard to the representation given to the Prime Minister, about which you have asked me, I would not have made the assertion so confidently, if I had not been in possession of a copy of the paper containing these facts. If you like I am ready to lay it on the Table of the House the representation received by the Prime Minister and others so that, instead of remaining confined to the Prime Minister and the Home Minister, it may come to the knowledge of all the Members of Parliament. I would be glad if my information in this regard turns out to be wrong and false. It would be in the interest of the nation. But if there is any truth in it, I would request the Prime Minister to see that Shri Chagla alone is not made a scapegoat. The Prime Minister also has to share the blame because they are members of his Cabinet. While Shri Chagla issues an order, his colleagues say something totally different.

In the end I would so like to say a few more things.....

Shri Lal Bahadur Shastri : If you say that it is a newspaper's report, I may say there are several reports in the newspapers which are not perfectly true. So far as Shri Humayun Kabir's membership of the Governing Body is concerned I would like to inform the Member that I have personally discussed the matter with him. He was never a member of that body, hence the question of his resignation does not arise.

Shri Prakash Vir Shastri : I would like to say to the Prime Minister that Shri Humayun Kabir could have issued a statement in the Press that he was not a Member of the Governing body.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि इस मामले में श्री चागला अकेले नहीं हैं। हमारी कार्यकारी समिति की बैठक हुई थी और बैठक में श्री चागला को बताया गया था कि कांग्रेस दल का प्रत्येक सदस्य उनके साथ है।

Shri Prakash Vir Shastri : I am glad to note Shri Mathur supporting Shri Chagla in this matter on behalf of all the hon. Members. Shri Mathur would have been right in saying this if I had referred to all the Members, but I was referring only to the Members of the Cabinet. Some Members say that Aligarh Muslim University cannot be discussed here. I submit for their information that the Act of 1920 was passed in this very House. In 1951 this House was well within its rights to amend that Act and that right of this House still continues. The persons who say that that Act cannot be touched, perhaps do not know the provisions of the Constitution.

Secondly, this University was getting Government grants even at a time when it was a Muslim College. Therefore to say that this University is solely the property of Mohammedans is not correct.

In the end I support the Bill and oppose the motion of Shri Yashpal gingh.

श्री स्वैल (आसाम स्वायत्तशासी जिले) : मैं शिक्षा मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या देश का कानून इस स्थिति से निपटने के लिये काफ़ी नहीं था जो अध्यादेश जारी करना पड़ा था और अब विधेयक को लाना पड़ा। विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की घटनाएं इस देश में प्रायः होती है। इस वर्ष जून के महीने में आसाम में गौहाटी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने उपकुलपति के दफ्तर को घेर लिया, और कई घंटे तक उन्हें वहां बन्द रखा, उनके दफ्तर को क्षति पहुंचाई और उनको शारिरिक चोट पहुंचाने की भी धमकी दी, क्योंकि वे एम० ए० की परीक्षा की तारीखों में कुछ परिवर्तन चाहते थे। तब उपकुलपति को वहां से भाग कर अपनी जान बचानी पड़ी थी।

इस से पूर्व उड़ीसा के विद्यार्थियों ने उड़ीसा विधान सभा के क्षेत्र पर हमला किया और वहां के मुख्य मंत्री के त्यागपत्र की मांग की। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के मामले में हमें बताया जाता है कि उस विश्वविद्यालय में बाहर के विद्यार्थियों के दाखले की प्रतिशत संख्या बढ़ाने के विरोध में यह घटना घटी गई। हम इस संबंध में संतोषजनक उत्तर चाहते हैं कि उपकुलपति की हत्या करने की साज़िश क्यों कर घटी गई क्योंकि जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा उपकुलपति के विचार बहुत उदार और राष्ट्रवादी हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या यह काम विश्वविद्यालय में प्रतिक्रियावादी तत्व का है? सन्देह यह रह जाता है कि क्या मंत्रालय ने उस विश्वविद्यालय की बुराइयों को अच्छी तरह समझ लिया है और क्या यह विधेयक उन सबको दूर करने के लिये काफी होगा?

हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री इन सब बातों का संतोषजनक उत्तर दें। केवल वक्तव्य देने से काम नहीं चलेगा। हम सारी बातों का तर्क से प्राप्त उत्तर चाहिये।

माननीय मंत्री ने कहा कि यह विधेयक अस्थायी है और शीघ्र ही वह इस विश्वविद्यालय के मूल अधिनियम में संशोधन करने के लिये विधेयक लायेंगे। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि विश्वविद्यालय के स्वरूप पर, उसके अध्ययन पाठ्यक्रमों, संस्कृति, परम्पराओं आदि पर इस विधेयक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि यह विधेयक अल्पसंख्यक समुदाय की वास्तविक शंकाओं को दूर कर सकेगा। मूल अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि विश्वविद्यालय की कोर्ट में लोगों के कुछ महत्वपूर्ण वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाये और यह वर्ग हैं : विश्वविद्यालय को दान देने वाले, अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन तथा मुस्लिम संस्कृति तथा ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग।

[श्री स्वैल]

इस विधेयक में भी ऐसी ही व्यवस्था की जानी चाहिये कि नामनिर्देशन केवल इन तीन वर्गों से ही किया जाये। ऐसा करने में बाधा क्या है? हमें यह बात भी नहीं भूलनी चाहिये कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना 1867–1920 के दौरान मुसलमानों द्वारा किये गये त्यागों के फलस्वरूप हुई थी। इसको स्थापित करने का उद्देश्य यह था कि आधुनिक कला और विज्ञान के साथ साथ मुस्लिम संस्कृति, मुस्लिम दर्शन तथा मुस्लिम धर्म का विकास हो। भारत सरकार ने 1920 तथा 1951 में जो कुछ किया था वह उन प्रयत्नों को केवल वैधानिक मंजूर देने के लिये किया गया था जोकि मुसलमानों ने पहले किये थे। इन्हीं कारण से हम यह महसूस करते हैं कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये जिसमें इस पर पूर्णतया विचार किया जा सके। यदि मंत्री महोदय किसी कारण से मेरे इस सुझाव को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि लोगों के दिमागों में जो सच्ची शंका तथा जो डर उत्पन्न हो गया है उन्हें दूर करने के लिये इस विधेयक में यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि कोर्ट सदस्य लोगों के केवल उक्त वर्गों से ही नामनिर्देशित किये जायेंगे।

श्री मथिया (तिरुनेलवेली) : अध्यक्ष महोदय, यह एक खेदजनक बात है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अध्यादेश से देश के मुसलमानों के दिमागों में आशंका तथा भय उत्पन्न हो गया है जो कि अनुचित है क्योंकि सरकार को यह अध्यादेश विश्वविद्यालय में सामान्य स्थिति लाने के लिये जारी करना पड़ा जब सभा की बैठक नहीं हो रही थी। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के मामले में भी 1958 में एक अध्यादेश जारी करना पड़ा था जब वहां पर ऐसी ही गड़बड़ पैदा हो गई थी। जबकि वहां पर तो विद्यार्थियों ने उपकुलपति को कमरे में बन्द कर दिया था परन्तु अलीगढ़ में तो विद्यार्थियों ने उपकुलपति का वध करने के उद्देश्य से उन पर हमला किया जिसके फलस्वरूप वहां के उपकुलपति, श्री अली यावर जंग घायल हो गये। जिस प्रकार उस समय बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे में किया गया था वही अब अलीगढ़ विश्वविद्यालय के बारे में किया जा रहा है। यह कोई नई बात नहीं है। इस अध्यादेश का उद्देश्य वहां की कोर्ट (संसद) तथा कार्यपालिका परिषद को पुनः गठित करना है। वर्ष 1920 से थोड़े समय बाद भी वहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी तब भी ऐसा ही उपाय किया गया था। इस अध्यादेश तथा इस विधेयक को समझने के लिये इसके कुछ इतिहास से अवगत होना आवश्यक है। सर सैय्यद अहमद द्वारा किये गये प्रयत्नों के फलस्वरूप इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में एक अधिनियम पारित करके की गई थी। 1951 के संशोधी अधिनियम से विश्वविद्यालय की कोर्ट के गठन तथा विद्यार्थियों को मुस्लिम धर्मदर्शन की शिक्षा देने के बारे में कुछ परिवर्तन किये गये थे। 1959 में प्रोफेसर चैटर्जी की अध्यक्षता में एक जांच समिति नियुक्त की गई थी जिसने 1961 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। प्रतिवेदन में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य मुसलमानों के ज्ञान तथा संस्कृति को रक्षित करना तथा अपने विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा देना है। इस में अग्रेतर यह भी कहा गया था कि 1951 के संशोधन करने वाले अधिनियम से एक मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में इसके मूलभूत स्वरूप में कोई अन्तर नहीं पड़ा है।

जहां तक दाखला देने की नीति का सम्बन्ध है, गैर-मुसलमानों के लिये इसके दरवाज़े आरम्भ से ही खुले रहे हैं। इस समय भी इस विश्वविद्यालय में गैर-मुसलमानों की संख्या 35 प्रतिशत है। अतः यह हिन्दु विद्यार्थियों के विरुद्ध मुसलमान विद्यार्थियों का प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो शेष भारत के विद्यार्थियों के विरुद्ध अलीगढ़ के स्थानीय विद्यार्थियों का है जो कि अपने हितों को सुरक्षित रखना चाहते हैं।

इन उपद्रवों का कारण विश्वविद्यालय की दाखला समिति द्वारा स्थानीय तथा बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के अनुपात को पुनरीक्षित करना था। पिछले कितने समय से यह अनुपात क्रमशः 50 : 50 था। परन्तु हाल ही में इस विश्वविद्यालयके भूतपूर्व उपकुलपति श्री तैयब जी ने इसे बदल कर क्रमशः 75 : 25 कर दिया था। परन्तु अब पुनः इसे 50 : 50 किया गया। वर्तमान उपकुलपति के अनुसार ऐसा करने का कारण यह था कि अलीगढ़ से बाहर के अधिक योग्यताप्राप्त मुस्लिम विद्यार्थियों को अवसर प्राप्त हो सके और इससे उच्चतर स्तर बनाये रखा जा सके। दाखिले के नियमों के पुनरीक्षण से अनुचित लाभ उठाकर कुछ अवांछनीय तत्वों ने इसको साम्प्रदायिकता का रंग दे कर विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को एक ऐसे उपकुलपति के विरुद्ध हिंसात्मक गतिविधियां करने के लिये उत्तेजित किया जो कि अपने राष्ट्रवादी तथा धर्म निरपेक्षवादी विचारों के लिये विख्यात है।

इस अध्यादेश तथा विधेयक से विश्वविद्यालय के संविधान में ढांचे से सम्बन्धित नियमों में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। इनसे इसके भूलभूत स्वरुप तथा प्रयोजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य (1) मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार करना, (2) मुस्लिम इतिहास और संस्कृति तथा भारत और विश्व की मिली जुली संस्कृति में इस्लाम के योग के अध्ययन को प्रोत्साहित करना, (3) मुस्लिम विद्यार्थियों को मुस्लिम दर्शन तथा धर्मदर्शन में शिक्षा देना तथा (4) अरबी, फारसी और उर्दू साहित्य में शिक्षा देना है। इस अध्यादेश अथवा विधेयक में इसके इन उद्देश्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में इस्लामी इतिहास तथा संस्कृति में अब भी अनुसंधान किया जा रहा है। अतः वह सभी बातें वहां पर अब भी की जा रहीं है जो कि मुसलमानों के लिये अच्छी हैं परन्तु वहां पर साम्प्रदायिकता को फैलाने के लिये बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है क्योंकि भारत सरकार धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता और साम्प्रदायिक शान्ति में विश्वास रखती है। भारत में विभिन्न जातियां और संस्कृतिया हैं अतः हमें राष्ट्रीय एकता बनाये रखने की अत्यधिक आवश्यकता है। सरकार द्वारा किसी विश्वविद्यालय को साम्प्रदायिकता फलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अलीगढ़ जैसे विश्वविद्यालयों में सभी जातियों के विद्यार्थियों को दाखिला मिलना चाहिये जिससे उन में एक दूसरे के प्रति सहनशीलता की भावना के अंकुर उत्पन्न किये जा सके जोकि भारत की शान्ति तथा विकास के लिये बहुत आवश्यक है। विश्वविद्यालय एक मन्दिर होना चाहिये जिसमें किसी व्यक्ति, किसी जाति अथवा किसी संस्कृति के विरूद्ध घृणा करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिये। हिन्दुओं तथा मुसलमानों को भाइयों की तरह रहना चाहिये।

वर्तमान विधेयक एक अस्थायी विधान है। माननीय शिक्षा मंत्री ने भी हमें यह आश्वासन दिया है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये विधेयक की तरह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में भी जल्द ही एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा। इस विधेयक द्वारा केवल यह व्यवस्था की जा रही है कि कोर्ट के सदस्यों का विज़िटर द्वारा नामनिर्देशन किया जायेगा। कोर्ट तथा कार्यपालिका परिषद के सदस्यों की संख्या में कमी की जा रही है उपकुलपति तथा रजिस्ट्रार को कुछ विशेष शक्तियां दी जा रही हैं ताकि विश्वविद्यालय में उत्पन्न हुई स्थिति से निपटा जा सके और उसे सामान्य बनाया जा सके। ऐसा करने के लिये यह सभी उपाय बहुत ही आवश्यक हैं।

[श्री. मुथिया]

अलीगढ़ विश्वविद्यालय को अन्य किसी विश्वविद्यालय की तरह राष्ट्रीय एकता के लिये कार्य करना चाहिये तथा इसे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के मूल भूत सिद्धान्तों का उल्लंघन नहीं करना चाहिये। क्योंकि भारत का अस्तित्व धर्म निरपेक्षता पर निर्भर है। मै अपने देश के हित के लिये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों तथा, कर्मचारियों से अपील करता हूं कि वह सचे भारतीय की तरह रहें और प्रार्थना करें कि यह विश्वविद्यालय पहले की तरह भविष्य में भी खां अब्दुल्ला गफार खां, डा० अन्सारी, डा० ज़ाकिर हुसैन तथा श्री किदवाई जैसे देश भक्तों को जन्म देता रहे।

Shri Muzaffar Husain (Moradabad) : Mr. Speaker, Sir, it is regretted that a small incident in Aligarh Muslim University on 25th April, 1965 has been given so much importance and has been magnified beyond all limits. Thus a problem has been created on the basis of concocted stories by taking such a drastic action which is going to have far-reaching consequences. If the problem is not solved with tact and far-sightedness, the very bases of our composite nationality and secularism will be raised to the ground.

There was no justification whatsoever to take such a drastic action to deal with certain undesirable elements particularly when the incidents had no connection with communalism. It is regretted that more than five thousand students and six crores Muslims of India are being punished for some indisciplinary activities of less than six hundred students. Such incidents had taken place at the Universities of Patna, Gauhati, Lucknow, Gorakhpur, Banaras, Osmania and Orissa also, but in the case of none of them such serious charges were levelled and such drastic action taken. Though the disturbances and riots in other Universities in the past were of more serious nature and in certain cases even military has to be called when the state police Force failed to overcome the situation but no necessity was then felt to issue such an Ordinance in respect of those Universities.

There had been other Education Ministers, who were well-known nationalists, but nothing came across their sight that might warrant such action. But it is not known as to how the present Education Minister finds fault with this University and talks of communalism and other evils in this University. The fact is that he had a bias against the University and had developed wrong notions and was actually in search of such an opportunity to act according to preconceived scheme. That opportunity he got in the form of the incidents of 25th April. Whatever has been done is completely unjustified because those students who indulged in any mischief, should have been dealt with in accordance with the Ordinary laws of the land. This Ordinance has been issued to destroy this University, the only centre of learning of Muslim community. It may, however, in this connection be clarified that I do not say that the students of other communities should not be admitted. The doors of the University are open for all the students irrespective of caste, creed, religion or community to which they belong. But whatever has been done and is going to be done is unjustified and this could have very bad effect on the public opinion. I would, therefore, submit that the Ordinance should be withdrawn by the Government.

The students there are being harassed unnecessarily:

Shri Prakash Vir Shastri referred to the support given by Maulvi Israrul Haq, the president of the Jamait, to the Ordinance. I may point out in this connection that he has supported the Ordinance to get some personal gains out of it. Actually Maulvi Israrul Haq had asked me that he would help me in getting myself nominated as a member of the Executive Council of the Court, if I would support the Ordinance. But I did not agree to accept the offer because I did not want to betray my community and religion. For the support of Maulvi Israrul Haq, which he gave to the Ordinance, he has been nominated as a member of the Court of the Aligarh Muslim University and has been appointed as director of Mughal Line Company. Thus he has supported the Ordinance to achieve some personal ends and not because of his being a Muslim.

I give full support to each and every word spoken by Shri Yashpal Singh who is a true democrat, and request that the Ordinance should be withdrawn by Shri Chagla.

Shri Sheo Narain (Bansi) : What happened on the 25th April in the Aligarh Muslim University was certainly bad in the history of the country and I condemn it in the strongest term. The attempt of the students to murder the Vice-chancellor in such a way was contrary to the lesson which our Indian culture teaches us. I would request Shri Swell to go there, if he has not so far gone there, and find out for himself why this Ordinance was necessary. The Hindus there tolerated all these heinous acts committed by the students there because we believe in non-violence. It is regretted that speeches were made there to instigate the communal passions of the people. In the circumstances there was no other alternative with the Government but to issue this Ordinance. Moreover, there is nothing wrong with the Ordinance on ground of which it should be opposed. The attempt to murder is not an ordinary thing. The Government has shown utmost tolerance. After all, goondaism cannot be tolerated in any university which is a centre of learning. A reference has, in this connection, been made to the disturbances and riots made at the Universities of Lucknow, Orissa and others, but I may point out that no where attempt was made to murder the Vice-Chancellor of any University, though students might have tried to damage property etc. We want that this University should produce good citizens and true nationalists and those who believe in Indian culture. The pre-conceived plan to murder the Vice-chancellor, damaging the property and all such acts cannot be tolerated and the elements responsible for this must be rooted out. We will have to take action against those Universities where there are disturbances and where the administration cannot be carried out properly, if need be, we will have to close them. If it is not done then descipline cannot be maintained and it would become difficult to control the country.

In the end I would request the hon. Minister that a comprehensive Bill should be brought forward to cover each and every University whether it is a Hindu University or a Muslim University.

Shrimati Subhadra Joshi (Balrampur) : Mr. Speaker, Sir, I support the Bill brought forward by Shri Chagla but I would, however, request him that if there are any shortcomings as pointed out by some educationalists in the House, these should be removed. I hope that the assurances given by the Minister would be given a practical shape in the form of a new Bill to be brought forward soon. The steps taken by Shri Chagla to root out the communal and reactionary

[Shrimati Subhadra Joshi]

elements are in the right direction. It is strange that when Government servants and teachers cannot become members of any political party, they are allowed to become members of communal parties like Rashtriya Swayam Sewak Sangh. Immediate steps should be taken in this direction and a circular should be issued to this effect that no teacher can become a member of any communal body whether it is a cultural or political one.

The apprehensions and fears in the minds of Muslims that the new arrangement would change the fundamental character and individuality of the University, are the result of the fiery speeches made by some Members of Majority community like Shri Prakash Vir Shastri and others in support of Shri Chagla both in this House and outside. The majority party should appreciate the natural fears of the minorities who because of their small number try to come together and form certain organisations sometimes even got misled. It is the responsibility of the majority community to remove such fears from their minds. The effort of the majority community should be to instil in their hearts a sense of security and faith. I am, therefore, to request the Minister that the new Bill should be drafted in such a way that the minority community should not feel that any injustice is being done to it. The minority community should also show some tolerance and welcome the measure generously which has been taken to root out communalism there. Even if there are some defects in it, they should congratulate Shri Chagla and wait for the next step which would be taken by the Education Minister to root out communal elements in other institutions also in the form of a circular to the effect that no teacher can become a member of Rashtriya Swayam Sewak Sangh which does not recognise the people of other communities as citizens.

Shri Bade (Khargone) : Mr. Speaker, Sir, while I support the Ordinance and the Bill brought forward by the hon. Minister of Education, I oppose the resolution moved by Shri Yashpal Singh. The Bill is in the right direction. But communal organisations like Jamiat-ul-ulema-i-Hind are giving it a communal colour. A campaign has been launched against the Education Minister and he is being threatend with dire consequences, if any change is made in the consititution of the University. The Muslims are being instigated to resist it with their full strength and the University is being asked to stop taking grants from Government and then to get ready to fight the changes that are going to be made in its Islamic character.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Some hon. Member has said just now that the Mohammedans will not vote for Congress in the elections to be held in 1967. Government should learn a lesson from this observation merely for introducing this Ordinance. Muslims have gone against them. Some threatening letters have also been published in some newspapers. The weekly Siraat from Delhi says that this "mischievous" move of Government "will lead to the Congress" doom among Muslims.

Some Members have made their observations about R.S.S. or Jan Sangh, but I want to assume Mr. Chagla that our party has national feelings and we are one with those who are nationalists. We are not against Muslims but against those who raise such slogans as "Pakistan Zindabad" etc.

I want to know from Shri Yash Pal Singh whether it is not a fact that such slogans as "Pakistan Zindabad" were raised on 25th April, 1965, and if the reply is in the affirmative would he tolerate such slogans?

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Certainly not.

Shri Bade : The communist lady Member, Shrimati Renu Chakravartty, has said that it was an R.S.S. Member, Bhimsen by name, who had raised such slogans. If it is so, I would say that such a person has no right to live in the country. Those who treat Hindustan as motherland they are Indians, immaterial of the fact to whatever religion they may belong to and such persons who raise such slogans as "Pakistan Zindabad" have no right to live in the country.

What happened on 25th April on that day about 1200 students beat the Vice-chancellor, Shri Ali Yawar Jung. The result was that he was fainted. So, I would just like to know as to what was behind it. The fact is that the pro-Vice-chancellor did not want that Shri Ali Yavar Jung may remain as Vice-Chancellor. His hostory is like this :—

डा० यूसुफ 1947–48 में उसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद में इतिहास के रीडर थे और नवाब अली यावर जंग इतिहास के प्रोफेसर थे। अली यावर राष्ट्रवादी थे जबकि यूसुफ हुसैन रजाकार बेटा थे।

पुलिस कार्रवाई के पश्चात् यूसुफ हुसैन पाकिस्तान चले गये। सरदार पटेल ने तब शपथ ग्रहण की कि वह उन्हें भारत नहीं आने देंगे। परन्तु उनके स्वर्गवास हो जाने पर वह किसी न किसी तरह वापस आ गये। उनकी यह आकांक्षा थी कि वह वाइस चांसलर बने।

He himself wanted to become Vice-chancellor. With this object in view he began to propagate that Islam is in danger, Muslims are denied their rights and such like things. In this way he has organised communal persons. These persons there feel happy whenever anything is said against the honour of the country. These persons were instigated and Ali Yavar Jung was beaten. Under these circumstances who would like to remain there as Vice-chancellor. Hence Shri Chagla was forced to meddle with. Apart from Shri Ali Yavar Jung, Shri P. N. Sapru who was also there has also written like this :—

वाइस चांसलर की हत्या करने के लिये पूरा प्रयत्न किया गया था। यह हैरानी की बात है कि वह कैसे बच गये। मुझे भी कोई कोर्ट के दो व्यक्तियों ने बचाया। मैं उनका अहसान जिन्दगी भर नहीं भूलूंगा।

अली यावर जंग ने अपने पत्र में श्री चागला को लिखा है:—

शारीरिक और भावात्मक चोट जो मुझे लगी है उससे अधिक महत्वपूर्ण बात मुस्लिम विश्वविद्यालय में इस पद पर रहने की है क्योंकि वहां के लोग साम्प्रदायिक तो हैं ही और साथ ही साथ प्रतिक्रियावादी भी हैं।

This is what Shri Ali Yavar Jung has written. This Ordinance has been issued in order to face the situation. Moreover, this is not the first time that police was called or the constitution of the University was suspended. In one

[Shri Bade]

paper it has been written that during Mr. Ziauddin's regime, the police was called and Mr. Ross Masood accepted the Vice-chancellorship, only after the constitution was suspended.

There was also a quarrel of "Shia Sunnias" in this University. And who is the Chancellor there Dr. Saifuddin is the Chancellor there.

इस बारे में मैं यह कहना चाहता था कि उनके सलाहकारों ने वाइस-चांसलर पर जो प्रहार किया गया है उसका अभी तक भी विरोध नहीं किया है। उनके बारे में मैं और भी बताना चाहता हूं। जिस समय पाकिस्तान कछ पर प्रहार कर रहा था तो वह अपने परिवार सहित पाकिस्तान चले गये। राष्ट्रवादी बोहरों ने उन्हें तार दिया कि वह वापिस भारत लौट आयें ताकि पाकिस्तानी आक्रमण का विरोध तथा सरकार की सहायता की जा सके। उन्होंने उत्तर में लिखा कि मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं है।

So, in case such persons remain in that University, the Government will have to suspend the consitution of that University.

I want to know from Shri Badrudduja whether he wants that India may become Pakistan, and if not, then the Pakistani elements should not be allowed to remain there. Shri Frank Anthony has also criticised the Bill. By listening to the speeches of both the members it appears as if Pakistan and China have gathered together.

Shri Abid Ali has also expressed his feelings which have been published in "The Hindustan Times" in which he has said :—

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि विश्वविद्यालय में साम्प्रदायिक तथा साम्यवादी गतिविधियां बहुत बढ़ गई थीं। इससे शिक्षा के स्तर पर भी बहुत प्रभाव पड़ा तथा विश्वविद्यालय के सम्मान को ठेस पहुंचा। श्री अली यावर जंग ने इस त्रुटियों को दूर करने का प्रयत्न आरम्भ किया। किसी को विश्वास नहीं था कि उनको अपने प्रयत्न में सफल होने दिया जायेगा।

Shri Ali Yavar Jung in his letter to Mr. Chagla has said.

मैंने अपनी इतनी अच्छी नौकरी छोड़ कर यह पद इस लिये ग्रहण किया था ताकि राष्ट्रीय संदर्भ में मैं अपने समुदाय की सेवा कर सकूं। मैं कभी ऐसा पद ग्रहण नहीं करना चाहता जहां मेरी आवश्यकता न हो। खैर मैं यहां कुछ नहीं कर सकता। मैं आपकी अनुमति से अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति के पास भेजना चाहता हूं।

His resignation itself speaks the conditions prevalent in the University. Those who say that it was an ordinary thing, may I know from them whether it was not possible that communal riots could have taken place had some Hindu been the Vice-chancellor and had he been beaten like that. Hence, should not Government take any action so that the same thing may not be repeated there.

Shri Frank Anthony has said that this Ordinance should not be implemented. To support it he has referred Article 30. But I would like him to go through the whole Article with its pre-amble and other related matters.

The ruling of the Supreme Court on Mr. Chagla's judgment has been given on pages, 290-291 of A.I.R. of 1954 of Supreme Court. It is as given below :—

"In such cases" as Lathan C. J. pointed out, "the provision for protection of religion was not an absolute protection to be interpreted and applied independently of other provisions of the Constitution....."

At the same time, I would like to say that Christian Missionaries propagate against the Hindu religion. They say much against Lord Krishna. Thus they take undue advantage of being in minority. In case Government imposes some restrictions on them then they say that we are being deprived of our rights. In this connection I would like to say what the Neogi Commission has said about secularism. It is as given below :—

There are two classes of secular states :

(*a*) those where the very idea of religion is hated and discarded as a dangerous thing; and

(*b*) where religion as such is respected.

महात्मा गांधी ने भी इस विषय में कहा है कि केवल एक ही धर्म नहीं होना चाहिये परन्तु अन्य धर्मों को मानने वालों के लिये भी परस्पर सम्मान होना चाहिये ।

At the end I would like to say something about Shri Yashpal Singh. I have received a message from his constituency in which the people of that area have said that we do not agree with the views expressed by Shri Yashpal about Aligarh Muslim University (Amendment) Bill. He has displeased about ninety per cent Hindus by levelling false charges against them. We want him to resign from the Membership.

This Ordinance and Bill was the need of the hour but in my opinion it would have been better if this could have been named as Aligarh National University (Amendment) Bill. I do not agree with those who say that the word Hindu should be removed from the Hindu Banaras University. The reason for it is that the word Hindusthan has been taken formed from the word Hindu, so it cannot be removed as long as Hindus are there.

Shri Yashpal Singh has not given any special importance to the happening of 25th April as if it was not a serious matter. I would, therefore, wish that the constitution of the University be suspended and further work done on the national basis as assured by the hon. Minister. This amending Bill is in accordance with the present demand and I support it.

श्री कोया (कोज़ीकोड) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि यह विधेयक 10 मई, 1966 तक लोगों की राय जानने के लिये परिचालित किया जाये । मेरी यह प्रार्थना है कि संविधान में अल्पसंख्यकों के लिये जिन अधिकारियों की गारंटी दी गई है वे उन को अवश्य दिये जायें । श्री चागला की स्थिति दयनीय थी जबकि उनको केवल श्री प्रकाशवीर शास्त्री अथवा जन संघ के सदस्यों से ही समर्थन प्राप्त हुआ ।

श्री दी० चं शर्मा (गुरदासपुर) : कांग्रेस के सदस्यों का भी उनको समर्थन प्राप्त था ।

श्री कोया : श्रीमती सुभद्रा जोशी तथा श्री फ्रैंक एंथनी जैसे सदस्यों ने उनकी आलोचना की है। श्री चागला ने इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग किया है परन्तु देश की ऐसी ही स्थिति होने के कारण मैं उनको उसी स्वर में उत्तर नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ अध्यादेश के विरुद्ध आन्दोलन बदनाम करने वाला तथा चरित्र हनन करने वाला था। उन्होंने यह भी कहा कि वहां प्रतिक्रियावादी तत्व भी थे; ऐसे शब्दों का प्रयोग मंत्रीमण्डल के मंत्री ने किया जो कि सरकार की ओर से बोल रहे थे। ऐसे शब्दों का प्रयोग उनके मुख से शोभा नहीं देता था।

माननीय मंत्री ने यह भी कहा कि श्री अली यावर जंग एक आधुनिक उदार राष्ट्रवादी मुसलमान हैं इसका मतलब तो यह हुआ कि उनके पहले के वाइस-चांसलर, श्री बदरुद्दीन तैयाबजी, डा० जाकिर हुसैन तथा कर्नल जैदी उदार राष्ट्रवादी नहीं थे।

तब मंत्री महोदय ने 25 अप्रैल की घटना के बारे में कहा कि वाइस-चांसलर की हत्या करने के लिये षडयंत्र रचा गया था मेरे विचार से तो यह ठीक प्रतीत नहीं होता है।

आगे चल कर मंत्री महोदय ने कहा कि चूंकि वाइस-चांसलर ने घटना के बारे में अपनी रिपोर्ट दे दी है इस लिये इस बारे में कोई जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। अब चूंकि वाइस-चांसलर ने कह दिया है कि उनकी हत्या करने के लिये प्रयत्न किया गया था इसलिये यह जरूरी नहीं है कि यह बात ठीक हो। मेरा यह कहना है कि वाइस-चांसलर का स्वयं भी इस में हाथ था इसलिये उनकी रिपोर्ट को निर्णय के लिये आधार मान लेना ठीक नहीं है। जैसे पहले प्रवक्ताओं ने कहा है कि ऐसी घटनायें पहले भी अन्य विश्वविद्यालयों में हुई हैं परन्तु उनके लिये कोई ऐसा अध्यादेश नहीं लाया गया। उड़ीसा में ऐसी कई घटनायें हुईं जिन में विद्यार्थियों का हाथ था। मद्रास में भी घटनायें हुईं। इन सभी के बारे में कुछ नहीं हुआ। परन्तु जहां तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है, जिस के पीछे अपना इतिहास है, जब वहां पर ऐसी घटनायें हुई हैं तो माननीय मंत्री उस के लिये अध्यादेश ले कर आ गये हैं जिस से सारे विश्वविद्यालय का लोकतंत्रात्मक ढांचा ही बदला जा रहा है। मेरे माननीय मित्र कह रहे हैं कि यह कार्यवाही अस्थायी तौर पर की गई है परन्तु मेरे विचार से तब भी इस अध्यादेश को लाने की आवश्यकता नहीं थी। मेरे विचार से तो इस अध्यादेश को वापिस लिया जाना चाहिये और यथास्थिति रहनी चाहिये जिससे अल्पसंख्यकों के मन में विश्वास जमा रहे।

माननीय मंत्री ने महात्मा गांधी का नाम भी लिया था और डा० सैयद महमूद जैसे लोगों की आलोचना की थी। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस समय चागला साहब अंग्रेजी सरकार की सेवा कर रहे थे उस समय डा० सयद महमूद महात्मा गांधी की सेवा में लगे हुए थे। इसलिये गांधी जी का नाम इस तरह से हर स्थान पर ही नहीं लिया जाना चाहिये।

शिक्षा मंत्री ने उस पत्र की तो कुछ बातें बता दी जो उन्होंने डा० सैयद महमूद को लिखा था परन्तु उस पत्र की कोई बात नहीं बताई जो डा० सैयद महमूद ने उनको लिखा था।

माननीय मंत्री यह भी पूछ रहे थे कि मुस्लिम लीगी और कांग्रेस के मुसलमान इकट्ठे कैसे काम कर सकते हैं। परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि वह इतिहास भूल गये

हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी ने कुछ समय के लिये सरकार बनाई थी। उन्होंने यह भी कहा कि मजलसे मुशवारात अलीगढ़ अध्यादेश का विरोध करने के लिये बनाई गई थी परन्तु यह कह कर वह अपनी अनभिज्ञता प्रकट कर रहे थे क्योंकि मजलसे मुशवारात इस प्रश्न के उत्पन्न होने के एक वर्ष पूर्व बनाई गई थी। जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल कर केरल में सरकार बना सकती थी तो क्या कारण है कि मजलसे मुशवारात, जिस में मुस्लिम लीगी और कांग्रेसी मुसलमान हैं वे ऐसी संस्था के भविष्य के बारे में विचार नहीं कर सकते। जिसे मुसलमान बहुत महत्व देते हैं। जब जन संघ के सदस्य श्री चागला का समर्थन करें तब तो सब ठीक है परन्तु जब कोई कांग्रेसी मुसलमान अन्य मुसलमानों से किसी संस्था के भविष्य के बारे में विचार करें तो सब चीज गलत है।

माननीय मंत्री कह रहे थे कि चूंकि अलीगढ़ में दंगे तथा अन्य कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं इसलिये वहां के विश्वविद्यालय का लोकतंत्रात्मक गठन सम्भव नहीं है। जब वह ऐसा कह रहे थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि पाकिस्तान के आयूब खां बोल रहे हैं, क्योंकि वह भी वहां पर ऐसा ही कहते थे कि चूंकि पाकिस्तान में बहुत कठिनाइयां है इसलिये साधारण लोकतंत्र सरकार नहीं चल सकती है। इसलिये माननीय सदस्य का यह विचार कि चूंकि वहां दंगे आदि हुए हैं इसलिये वहां के लोकतंत्रात्मक ढांचे को समाप्त कर दिया जाये ठीक नहीं है।

मेरे विचार से इस अध्यादेश की कोई आवश्यकता नहीं है। इस के लिये तो साधारण सा कानून बना देना ही काफी था। हम 25 अप्रैल की घटना का बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। हम कभी यह नहीं कहते कि श्री अली यावर जंग पर जो कुछ विद्यार्थियों ने प्रहार किया था वह ठीक था। परन्तु इस का यह अर्थ नहीं कि कुछ विद्यार्थियों के लिये सारे विश्वविद्यालय को दण्ड मिले। यह कोई ऐसा वैसा विश्वविद्यालय तो है नहीं, इस विश्वविद्यालय की, श्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पंडित जवाहर लाल जी जैसे बड़े बड़े नेताओं ने भी बहुत प्रशंसा की है। इसलिये केवल एक ही घटना से उस के लोकतंत्रात्मक ढांचे को समाप्त नहीं कर दिया जाना चाहिये।

इस अध्यादेश में यह कहीं भी नहीं बताया गया है कि कोर्ट में कम से कम एक मुसलमान अवश्य होगा।

इस लिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं? और चाहता हूं कि इसे लोगों की राय जानने के लिये परिचालित किया जाये। मैं चागला साहब को तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उनका तो इस विश्वविद्यालय के प्रति वैयक्तिक रोष है परन्तु मैं प्रधान मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विधेयक को वापिस कराने के लिय कार्यवाही करें।

श्री बाकर, अली मिर्झा (वारंगल): उपाध्यक्ष महोदय, वाइस-चांसलर पर प्रहार किया गया इस लिये शिक्षा मंत्री को कार्यवाही करनी पड़ी। उन्हें कुछ व्यक्तियों को मुअत्तल भी करना पड़ा। इस के लिये अध्यादेश भी लाना पड़ा।

अब यह कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक संस्था को समाप्त किया जा रहा है। क्या आलोचकों का यह मतलब है कि यदि बम्बई, कलकत्ता अथवा दिल्ली विश्वविद्यालय के मामले में यही कार्यवाही की होती तो यहां कार्यवाही करना उचित था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनके पास इस बात के अतिरिक्त कोई बात शिक्षा मंत्री के खिलाफ कहने को नहीं रही थी। सभी ने यही कहा है कि इस मुस्लिम संस्था को समाप्त करने के लिये यह जानबूझ कर कार्यवाही की जा रही है।

[श्री बाकर, अली मिर्झा]

मेरे विचार से श्री चागला ने यह आश्वासन दे दिया है कि विश्वविद्यालय का "मुल्लिम स्वरूप" कायम रहेगा जिस के लिये मांग प्रस्तुत की गई थी। परन्तु मेरी समझ में यह नहीं आया कि विश्वविद्यालय के "मुस्लिम स्वरुप" का अर्थ क्या है। क्या इस का अर्थ यह है कि वहां के विद्यार्थी बम्बई, मद्रास अथवा अन्य विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों से भिन्न होते हैं या उनकी कुछ अन्य विशेषतायें होती हैं?

मान लीजिये कि इस विश्वविद्यालय का "मुस्लिम स्वरूप" होता है, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय का हिन्दू स्वरूप होता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली, बम्बई अथवा मद्रास विश्वविद्यालयों का कोई स्वरूप नहीं है। इसलिये यह सारी विचारधारा ही गलत है। श्री चागला ने "मुस्लिम स्वरूप" नही कहा था बल्कि "मुस्लिम संस्कृति" कहा था। परन्तु मुझे इस का अर्थ भी स्पष्ट नहीं हुआ। क्या उनका मतलब है कि मरौको और ईरान की संस्कृति एक है। उनका धर्म तो एक है परन्तु संस्कृति एक नहीं है। इससे मैं यह पूछना चाहता हूं क्या एक ही समुदाय के लोगों को इकट्ठे करके संस्कृति को बचाया जा सकता है।

जहां तक विश्वविद्यालय के नाम को बदलने का सम्बन्ध है मैं इस के बारे में न तो धर्मनिरपेक्षता की दृष्टि से और न ही राजनैतिक दृष्टि से कुछ कहना चाहता हूं। मैं केवल शिक्षा की दृष्टि से ही अपने विचार प्रकट करुंगा। जब कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसी संस्था ने इस के नाम पर आपत्ति की थी। उन्होंने कहा था कि इसका अन्य नाम रखा जाना चाहिये। उन्होंने इस का कारण तो नहीं बताया था परन्तु मेरा विचार है कि उन्होंने इस लिये आपत्ति की थी कि कही लोग ऐसे विश्वविद्यालय की मांग न करने लग जायें।

ओक्सफोर्ड, कैम्बरेज, बम्बई आदि विश्वविद्यालयों के नाम वहां के स्थान के नाम से रखे गये हैं। परन्तु इन नामों का क्या फर्क पड़ता है जैसा कि शेक्स्पीयर ने कहा है कि "नामों से क्या रखा है"। हमें तो विश्वविद्यालय में जाकर ज्ञान प्राप्त करना है।

यदि लोगों का विचार है कि हिन्दुओं की परम्परायें हिन्दु संस्थाओं या मुसलमानों की परम्परायें मुस्लिम संस्थाओं से ही प्राप्त हो सकती है, तो उनका विचार गलत है। श्री आरविन्द घोष ने इंग्लैंड में शिक्षा पाई। वह कभी बनारस नहीं गये और न ही किन्हीं पंडितों के पास गये। परन्तु फिर भी उपनिषदों अथवा गीता का जितना उनको ज्ञान था उतना दूसरों को नहीं था। इस लिये मेरा विचार है कि शिक्षा की नीति पर हमें नये सिरे से विचार करना चाहिये।

अलीगढ़ तथा बनारस विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में साम्प्रदायिकता की भावना है, इस में सन्देह की बात नहीं हैं। ये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से समुदायों को अलग अलग करने में सहायता करते हैं।

जब में ऐसा कहता हूं तो पढ़ेलिखे मुसलमान कहते हैं कि क्या आपको पता है कि हमें बहुत से विश्वविद्यालयों में प्रवेश नहीं मिलता है। केवल यही एक संस्था है जिस में शरण ले सकते हैं, और आप उसको भी समाप्त कराना चाहते हो। वे कहते हैं कि भारतीय प्रशासन सेवा में अथवा भारतीय विदेश सेवा में बहुत ही कम मुसलमान होते हैं। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले तो यह देखना शिक्षा मंत्री का काम है, दूसरे यह प्रश्न साम्प्रदायिक तरीके से हल नहीं हो सकता। इसलिये मैं कभी भी

जमायते-इसलाम के पक्ष में नहीं रहा हूं। मैं 25 वर्षों से राजनीति में भाग ले रहा हूं परन्तु मैंने कभी भी राष्ट्रीय मुस्लिम दल से सम्बन्ध नहीं जोड़ा। इसका यही कारण है कि इस जमायत से भी साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन मिला है।

प्रत्येक स्थान पर अल्पसंख्यक हमेशा बहुसंख्यक की इच्छानुसार चलते हैं। इसलिये उनको सदा ऐसा प्रयत्न करना चाहिये ताकि वे बहुसंख्यकों की इच्छा को बनाये रखे। यदि हम किसी काम को साम्प्रदायिकता का नाम लेकर करेंगे तो वह पूरा नहीं हो सकता। इसके लिये मैं एक उदाहरण दूंगा। मान लीजिये कि किसी संस्था में प्रथम श्रेणी के दस मुसलमानों को तो नहीं लिया गया परन्तु उनके स्थान पर द्वितीय श्रेणी के दस मुसलमानों को ले लिया गया। यह हुआ तो अन्याय। परन्तु यदि हम यह कहें कि हिन्दुओं ने पक्षपात करके अपनी जाति के लोगों को ले लिया है तो इस से तो हम सारी हिन्दु जाति को ही अपने विरुद्ध कर लेंगे। परन्तु यदि हम केवल यह ही कहें कि प्रथम श्रेणी वालों को छोड़कर द्वितीय श्रेणी वालों को लिया गया है तो इसका सभी, जिन में जन संघी भी होंगे, विरोध करेंगे क्योंकि हम सब के रक्त में न्याय की भावना तो होती ही है।

अब मैं ब्राम्हण समुदाय का उदाहरण दूंगा। मेरे मुसलमान भाई कहते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। परन्तु मेरे विचार से जितना ब्राम्हणों के साथ भेदभाव किया गया है इतना किसी के साथ नहीं, परन्तु वे बहुसंख्यकों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते रहे और समय निकालते रहे और अन्त में उन्होंने विजय पाई।

मेरे विचार में इस मामले की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिये ताकि इस मसले को समाप्त किया जा सके।

यह अध्यादेश कितनी देर तक रह सकता है। इसलिये माननीय मंत्री को वचन देना चाहिये कि वह अगले सत्र में नियमित विधान लायेंगे।

श्री मुहम्मद ताहिर (किशनगंज): मुझे बोलने का समय नहीं दिया जा रहा है हालांकि मैं ने पहले सूचना दी हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें इसे 1.45 तक समाप्त करना है।

श्री मुहम्मद इस्माइल (मंजरी) : मैं ने एक संशोधन दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी के श्री मुहम्मद कोया बोल चुके हैं।

श्री मुहम्मद इस्माइल : मुसलमानों पर कई आरोप लगाये गये हैं। इस लिये मेरा बोलने का अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

श्री कोया : हम इसका विरोध करते हैं और सभा से बाहर जा रहे हैं।

[(श्री कोया और श्री मुहम्मद इस्माइल सभा भवन से बाहर चले गये/ *Shri Mohammad Koya and Shri Muhammad Ismail left the House*)

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं सभा का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरी नीति तथा मैं ने जो कार्यवाही की है उसका समर्थन किया है। जिन माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया है उन्होंने गलतफहमी के कारण किया है।

[श्री मू० क० चागला]

सब से पहले मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के प्रश्न का उत्तर देता हूं। उन्होंने कहा था कि नामज़द कोर्ट तथा नामज़द कार्यकारिणी परिषद् का होना लोकतंत्रात्मक दृष्टि से ठीक नहीं है। मैं इस से पूर्ण रूप से सहमत हूं। परन्तु वह शायद इस बात को भूल गई हैं कि यह एक अस्थायी उपाय है। जैसे ही सम्भव हुआ हम स्थायी उपाय करेंगे जबकि नामज़द कोर्ट तथा नामज़द कार्यकारिणी परिषद् नहीं रहेगी। ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थी जिनके कारण ऐसा करना पड़ा है।

मेरे माननीय मित्र जो अभी बोल रहे थे उहोंने बनारस विश्वविद्यालय का उल्लेख किया था। जब हमने 1958 में अध्यादेश जारी किया था तो हमने नामजद कोर्ट और नामज़द परिषद् बनाई थी जो 1965 तक रहीं। उस समय हमने यही महसूस किया कि हम ऐसा निकाय बनायें जिस पर सरकार तथा वाइस-चांसलर दोनों को विश्वास हो। चाहे हमारी यह मंशा नहीं थी कि यह निकाय अधिक समय के लिये रहे परन्तु फिर भी यह सात वर्ष तक रहा। साथ ही साथ यह भी कहना पड़ेगा कि इससे बनारस विश्वविद्यालय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या कोई कह सकता है कि पिछले सात वर्षों से वह विश्व-विद्यालय ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है। किसी और से भी कोई आलोचना नहीं हुई है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस बात को इतना महत्व क्यों दिया गया है कि नामज़द कोर्ट तथा नामज़द कार्यकारी दल है जबकि इन का चयन "विज़िटर" तथा शिक्षा मंत्री द्वारा किया जाता है। सभा को इन दोनो पर विश्वास रखना चाहिये।

अब मैं श्री फ्रैंक एंथनी के प्रश्न का उत्तर दूंगा क्योंकि उनका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन्होंने जो संविधान के अनुच्छेद का अर्थ निकाला है मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अनुच्छेद 30 में लिखा है कि सभी अल्पसंख्यक लोग, चाहे उनका आधार धर्म अथवा भाषा पर हो। अपनी इच्छानुसार शिक्षा संस्थायें स्थापित कर सकते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय न तो मुसलमानों द्वारा स्थापित की गई है और न ही उसका प्रशासन मुसलमानों के हाथ में है। इसलिये यह अल्पसंख्यक संस्था नहीं कही जा सकती। मैं उसका संक्षेप से इतिहास बताता हूं। पहले एक मुस्लिम कालेज था जिसका शिलान्यास सर सैयद अहमद ने किया था। सर सैयद अहमद ने ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना की कि विश्वविद्यालय बनाया जाये। तब ब्रिटिश सरकार ने 1920 में अधिनियम 1920 बनाया और विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया। इस तरह विश्वविद्यालय की स्थापना कानन के ज़रिये हुई थी न कि अल्प संख्यक लोगों द्वारा। इस के बाद संविधान बना। इसमें भी यह उपबन्ध है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय महत्व की अन्य संस्थाओं के सम्बन्ध में संसद् द्वारा कानून बनाये जा सकते हैं। इस लिये मेरी समझ में नहीं आता कि प्रशासन अल्पसंख्यक लोगों के हाथ में है। विश्वविद्यालय का प्रशासन कानून पर निर्भर करता है। यदि प्रशासन अल्पसंख्यक लोगों के हाथ में होता तब वे जो चाहते कर सकते थे।

विश्वविद्यालय का संपूर्ण कार्य कार्यकारिणी परिषद् द्वारा किया जाता है। परन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि अंग्रेजों के समय में भी ऐसा कोई उपबन्ध नहीं था कि इस के सभी सदस्य मुसलमान हों। कोर्ट के तो सभी मुसलमान हो सकते हैं परन्तु सारा काम कार्यकारिणी परिषद द्वारा किया जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटिश सरकार को भी यह बात पसन्द नहीं थी कि कार्यकारी परिषद् के सभी सदस्य मुसलमान हों।

अनुच्छेद 28(3) में भी यही बताया गया है कि किसी भी ऐसी संस्था को जिसे राजसहायता मिलती हो किसी भी व्यक्ति को वहां के धर्म पर चलने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता।

हमें 1951 में अलीगढ़ अधिनियम में यह संशोधन करना पड़ा कि कोर्ट में केवल मुसलमान ही नहीं होंगे। इसका कारण यह था कि अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि हम जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। इसी तरह से हम कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जिसमें यह उपबन्ध हो कि गैर-मुसलमानों को कोर्ट में नहीं लिया जा सकता।

दूसरी चीज जो संसद् ने की वह यह थी कि यदि कोई चाहें तो वे धर्म पर चल सकते हैं। परन्तु उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। बनारस में भी किसी विद्यार्थी को धार्मिक हिदायतें नहीं दी जा सकती जब तक वह अपनी अनुमति नहीं देता।

अनुच्छेद 16(5) का शिक्षा संस्थाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये उसका यहां पर उल्लेख करने से कोई लाभ नहीं है।

आप धार्मिक संस्था में यह अनिवार्य कर सकते हैं कि मठ अथवा मन्दिर का मुखिया अमुक व्यक्ति होना चाहिये या मस्जिद का मुखिया मुसलमान होना चाहिये। इससे संविधान का उल्लंघन नहीं होता। इस लिये मेरा यह कहना है कि अनुच्छेद 16(5) में "साम्प्रदायिकता" शब्द को "धार्मिक" शब्द के साथ पढ़ा जाना चाहिये।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय एक राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना कानून द्वारा की गई थी। इस लिये संसद् का यह अधिकार है कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन के बारे में अध्यादेश जारी कर सकता है अथवा कानून में परिवर्तन कर सकता है। यह सुझाव बिल्कुल निराधार है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रशासन में संसद् हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसे अंग्रेजों ने भी स्वीकार नहीं किया था हालांकि उस समय संविधान नहीं थी।

यह बात मेरी समझ में नहीं आई है कि जो कानून 1951 में बनाया गया था उसकी आलोचना श्री फ्रैंक एंथनी और उनके समर्थक 1965 में कर रहे हैं। क्या वे इतनी देर सो रहे थे। मेरे विचार से इस अवधि में कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ है, विश्वविद्यालय पहले की भान्ति काम कर रहा है।

अब मैं अध्यादेश पर आता हूं। यह कहा गया है कि अध्यादेश की कोई आवश्यकता नहीं थी और उसके स्थान पर साधारण कानून से काम चल सकता था। परन्तु वाइस-चांसलर ने स्पष्ट-शब्दों में लिखा है कि यदि उन्हें आपातकालीन शक्ति प्राप्त नहीं हो जाती तो उनके लिये वहां जा कर काम करना सम्भव नहीं है। उन्होंने आगे लिखा है कि हाल ही की घटनाओं ने यह बता दिया है कि विश्वविद्यालय की क्या हालत है। यदि आप इस विश्वविद्यालय को शिक्षा का घर बनाना चाहते हो, तो आपको विश्वविद्यालय का कांस्टीट्यूशन समाप्त करना पड़ेगा। यह वैसे ही समाप्त किया जा सकता है जैसे कि बनारस विश्वविद्यालय के मामले में हुआ था। वर्तमान स्थितिओं में कोई भी वाइस-चांसलर कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी इतनी अच्छी नौकरी छोड़ कर इस लिये यहा आया था कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्र की सेवा कर सकूंगा। वाइस-चांसलर ने इस प्रकार मुझे लिखा था।

अब मैं 29 अगस्त, 1965 को अलीगढ़ में जो वाइस-चांसलर ने भाषण दिया था और जिसमें उन्होंने बताया था कि अध्यादेश से क्या लाभ हुआ है, बताना चाहता हूं।

उन्होंने कहा था कि इस समय मैं कार्यकारिणी परिषद् के किसी सदस्य के आचरण के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने यह भी बताया कि विद्यार्थियों के अलावा अन्य व्यक्तियों का भी इस में हाथ होता है कि विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों को नीचा दिखाया जाये। उन्होंने कहा कि मैं घटना को देखते हुए कह सकता हूं, वर्तमान कोर्ट और परिषद् के साथ विश्वविद्यालय के प्रशासन का काम चलाना सम्भव नहीं है। इसलिये यदि काम चलाना है तो विश्वविद्यालय के कांस्टीट्यूशन को समाप्त करना चाहिये। अध्यादेश से केवल यही सुविधा मिली है। इस के अतिरिक्त कुछ नहीं किया गया है। बनारस विश्वविद्यालय के स्टाफ की पूछताछ के लिये भी कोई उपबन्ध नहीं है। केवल अध्यादेश के कारण ही हम विश्वविद्यालय को पुनः खोलने मे सफल हुए है।

यह उस व्यक्ति के विचार हैं जिनका विश्वविद्यालय से घनिष्ट संपर्क है। इससे हमें पता लग जाता है कि अध्यादेश का होना कितना आवश्यक था और उससे कितना लाभ हुआ है।

[श्री० मु० क० चागला]

मेरे खिलाफ बहुत भला बुरा कहा गया है। परन्तु मुझे तब हैरानी महसूस हुई जब किसी ने कहा कि मैं विश्वविद्यालय को समाप्त करने पर तुला हुआ हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वाइस-चांसलर पर मैंने प्रहार करवाया था। क्या मुझे यह पता था कि जिस वाइस-चांसलर को हम नियुक्त कर रहे है उसके साथ इस प्रकार व्यवहार किया जायेगा। मुझे लोकतंत्र में विश्वास है, मुझे अध्यादेश पसन्द नहीं हैं, मैं नामज़द निकायों को भी पसन्द नहीं करता, परन्तु, मुझे मज़बूर हो कर यह करना पड़ा। जब वाइस-चांसलर यह कहते हैं कि मैं यदि यह अध्यादेश जारी नही किया जाता, तो मैं काम नहीं कर सकता, इस हालत में मै क्या कर सकता हूं। यह भी मैंने ही नहीं किया है, ऐसा मंत्रिमण्डल ने किया है, अध्यादेश राष्ट्रपति ने जारी किया है। मेरे अलीगढ़ विश्वविद्यालय से कोई शत्रुता नहीं है जो मैं उसे हानि पहुंचाने का प्रयत्न करता। मेरे लिये अलीगढ़, बनारस, दिल्ली और विश्वभारती सभी विश्वविद्यालय एक समान हैं।

प्रत्येक विश्वविद्यालय की विशेषतायें होती हैं जिनकी हमें रक्षा करनी चाहिये।

इस विश्वविद्यालय का मुस्लिम विश्वविद्यालय नाम रखना मुसलमानों के हित में ही नहीं है। किसी विश्वविद्यालय को चारदिवारी में रखने से उसके फलने फूलने की सम्भावनायें कम हो जाती हैं। दूसरे मुसलमानों का भी भारत में उतना ही अधिकार है जितना कि हिन्दुओं का।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने मुझ से पूछा था कि इस अध्यादेश की पाकिस्तान में क्या प्रतिक्रिया होगी, सो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मुझे इस बात की कोई चिन्ता नहीं है कि पाकिस्तान में इस की क्या प्रतिक्रिया होगी। हम जो कुछ भी यहां करें उसकी प्रशंसा ऐसा देश जो कि हमारा शत्रु है कभी नहीं करेगा। इस लिये जो भी मैं निर्णय करूंगा उसके गुणों को देखते हुए ही करूंगा न कि यह देखते हुए कि पाकिस्तान में उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। इसी प्रकार मध्य पूर्व के देशों में इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी हमें इस से कोई फर्क नहीं पड़ता क्यों हमारी उनसे मित्रता धर्म पर आधारित नहीं है बल्कि राजनीतिक तथा आर्थिक आधार पर।

श्री कोया : 25 अप्रैल, की घटनाओं के सम्बन्ध में बहुत से लोगों पर मुकदमें चलाये जा रहे हैं, इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यदि कोई मामला न्यायालय के विचाराधीन हो तो नियमानुसार संसद् में उस मामले पर चर्चा नहीं हो सकती। इस से मामले पर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिये यह उचित नहीं होगा यदि हम शिक्षा मंत्री को ऐसे वक्तव्य पढ़ने दें जिससे मामले पर बुरा प्रभाव पड़ सके।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कोई मामले विचाराधीन हैं ?

श्री मु० क० चागला : जहां तक मेरी जानकारी है कोई मामला विचाराधीन नहीं है। यदि कोई होता तो मैं कभी भी उसपर कोई बात न कहता।

श्री कोया : बहुत से लोग गिरफ्तार किये जा चुके है।

श्री मु० क० चागला : गिरफ्तार किये गये हैं का यह अर्थ नहीं कि मामले निर्णयाधीन हैं। यदि कोई मामला निर्णय के लिये शेष हो तो भी उसपर कोई प्रभाव नही पड़ेगा क्योंकि मैंने किसी का नाम नहीं लिया है।

2 मई के पत्र में वाइस-चांसलर ने मुझे लिखा था कि जब से उन्होंने वाइस-चांसलर के पद को ग्रहण किया है तब से उर्दू के दो समाचारपत्र उनपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने हैदराबाद उस-मानिया विश्वविद्यालय को हिन्दुओं के हाथ बेच दिया है। तब से उनके खिलाफ यह कहा जा रहा है कि वह उदार हैं और राष्ट्रीय विचारधारा के हैं।

उन्होंने अपने पत्र में मुझे लिखा है कि उन्हें विश्वास नहीं था कि वह जीवित रहेंगे। यदि दो विद्यार्थी वहां पर न होते तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। मुझे विद्यार्थियों ने स्वयं बताया था कि उनकी मंशा मुझे मारने की थी। केवल कानून में परिवर्तन करने के लिये ही यह सब कुछ नहीं किया गया था। वाइस-चांसलर ने इस प्रकार से वहां की स्थिति का वर्णन किया जबकि सभा के कुछ सदस्य फिर भी विद्यार्थियों का समर्थन कर रहे हैं।

मुझे बहुत आचम्बा हुआ जबकि वाइस-चांसलर पर यह आरोप लगाया गया कि इसमें उनका भी हाथ है। वह तो स्वयं पीड़ित थे। क्या मेरा यह हक नहीं था कि मैं उनसे पूछूं कि आपको क्या पीड़ा हुई है, आपके साथ लोगों ने कैसा व्यवहार किया है। आखिरकार वह वाइस-चांसलर हैं, वह पैरिस में हमारे राजदूत थे। मुझे उनपर पूरा विश्वास है, चाहे माननीय सदस्य को न हो।

माननीय सदस्य, मुज़फ्फर हुसैन ने कहा है कि मैंने छ करोड़ मुसलमानों को निराश किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जोकि हिन्दूओं और मुसलमानों के बीच सम्बधों को खराब करना चाहते हैं। मुझे मुसलमानों पर पूरा विश्वास है, वे राष्ट्रवादी है, वे देशभक्त हैं। माननीय सदस्य ने कहा है कि वे कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। परन्तु में उन्हें यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस एक ऐसी संस्था है जो अपने सिद्धान्तों पर चलती है। इसलिये हम अपने सिद्धान्त बेच कर वोट नहीं लेना चाहते। मुझे सैकड़ों पत्र आये है जिनमें लोगों ने लिखा है कि हम आपके साथ हैं।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम संकट की घड़ी से गुजर रहे हैं। शत्रु हमारे इलाके में घुस आया है, इसलिये हम सब को इकट्ठे हो कर रहना चाहिये। यह एक दूसरे की निन्दा करने का समय नहीं है। यह जो अध्यादेश लाया गया है यह थोड़े समय के लिये लाया गया है, जैसे ही उचित समय हुआ में विधान बनाने का प्रयत्न करूंगा। परन्तु इस अध्यादेश के नाम से कोई बड़ी समस्या पैदा नहीं हो जानी चाहिये। हम चाहते हैं कि हिन्दु और मुसलमान एक दूसरे को भारतीय समझे और शत्रुका मुकाबला करें। माननीय सदस्य राष्ट्र की एकता को ठोस पहुंचा रहे हैं। अध्यादेश अलीगढ विश्वविद्यालय की भलाई के लिये ही लाया गया है। मैं अलीगढ विश्वविद्यालय को अन्य विश्वविद्यालयों के समान ही समझता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

श्री यशपाल सिंह : मेरा संकल्प भी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संकल्प को पहले मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है कि :

"यह सभा अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1965 (1965 का अध्यादेश संख्या 2) का निरनुमोदन करती है, जो राष्ट्रपति द्वारा 20 मई, 1965 को प्रस्थापित किया गया था।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ /*The motion was negatived*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ स्थानापन्न प्रस्ताव हैं, जो विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर पेश किये गये है। मैं उन्हें पहले मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को 10 मई, 1966 तक उस पर राय जानने के लिये परिचालित किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ/*The motion was negatived*

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 2, 3, 15, 20 एक ही प्रकार के होने के कारण अवरूद्ध हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय]

संशोधन संख्या 4 विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के बारे में है। मैं इसे सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा दिया जाये जिस में वे बारह सदस्य हों अर्थात्:— श्री बदरूद्दुजा, श्री मुत्तु गौंडर, श्री कन्डप्पन, श्री खाडिलकर, श्री मुहम्मद कोया, श्री मनोहरन, श्री मुजफ्फर हुसैन, श्री राजाराम, श्री नरसिम्हा रेड्डी, श्री सेझियान, श्री मुहम्मद ताहिर तथा श्री मुहम्मद इस्माइल, इस हिदायत के साथ कि वे चालू सत्र के अंतिम दिन तक अपना प्रतिवेदन दे देंगें।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ/*The motion was negatived*

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 16 और 17 भी अवरुद्ध है क्योंकि वे भी विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के सम्बन्ध में है।

अब मैं मूल प्रस्ताव को मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted*

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक पर खंडवार चर्चा कल होगी। अब हम कार्यसूची में दी गई अगली मद को लेते हैं, श्री प्रकाशवीर शास्त्री।

Shri Yashpal Singh : I should be given a chance to reply. You are doing injustice to me.

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में मतदान हुआ था और प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया था।

Shri Yashpal Singh : I have moved the Resolution and I should be given a chance to speak.

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह सम्भव नहीं है।

Shri Yashpal Singh : I have not been given a chance.

उपाध्यक्ष महोदय : आप को सतर्क रहना चाहिये था। जब मैंने श्री चागला को उत्तर देने के लिये कहा था तो आप को उसी समय कहना चाहिये था कि मुझे भी उत्तर देने के लिये समय चाहिये।

Shri Yashpal Singh : You did not ask me. I requested thrice but of no avail. Now I should be given a chance.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपका संकल्प मतदान के लिये रखा था। आप ने अपना मत नहीं दिया।

Shri Yashpal Singh : You have not given me a chance. This is high-handedness with me.

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह सम्भव नहीं है।

Shri Yashpal Singh : I had requested four times but I could not get a chance.

उपाध्यक्ष महोदय : अब कुछ नहीं हो सकता ।

Shri Yashpal Singh : You can't dispose of the Resolution unless I withdraw it.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को इस के लिये समय मांगना चाहिये था ।

Shri Yashpal Singh : How a Resolution can be disposed of without a reply being given on that. You have not given me a chance to reply to my Resolution. When I have not been given a chance how my Resolution can be disposed of.

उपाध्यक्ष महोदय : आप को मंत्री महोदय के उत्तर देने से पहले समय ले लेना चाहिये था ।

Shri Yashpal Singh : I stood up thrice but I was not given a chance.

Mr. Deputy Speaker : That has ended now.

Shri Yashpal Singh : I will go on hunger strike in the Central Hall on account of injustice done to me today.

उपाध्यक्ष महोदय : आप कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं ।

श्री कोया : नियमों के अनुसार अध्यक्ष महोदय को माननीय सदस्यों को बुलाना चाहिये ।

Shri Yashpal Singh : It is very strange that the Mover has not been given a chance to speak.

श्री वासुदेवन् नायर (अम्बालापुजा) : उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि श्री यशपाल सिंह पहले कभी ऐसा नहीं करते जैसा कि वह इस समय कर रहे हैं । आप को यह समझना चाहिए, उन्हें भी दुःख हो रहा है, आपको यह कहना चाहिये कि गलती हो गई है न कि कुछ नहीं हो सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब कुछ नहीं हो सकता ।

इंडियन एअरलाईन्स कारपोरेशन द्वारा कैरावेल वायुयानों की उड़ानो को बन्द करने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: GROUNDING OF CARAVELLES BY THE INDIAN AIRLINES CORPORATION

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा कैरावेल विमानों की उड़ानों को बन्द करने के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–4721/65]**

यदि कोई प्रश्न हो, तो माननीय सदस्य उन्हें कल पूछ सकते हैं ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—जारी

STATUTORY RESOLUTION RE: ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY (AMENDMENT) ORDINANCE AND ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY AMENDMENT BILL—*Contd.*

Shri Yashpal Singh : Mr. Deputy Speaker, Sir, you have not given me a chance to speak and has this done injustice to me.

श्री स्वैल (आसाम स्वायत्तशासी जिलें) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य को बोलने का मौका न देकर आपने माननीय मंत्री को उत्तर देने के लिये बुला लिया। मेरा विचार था कि और माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया जायेगा। मुझे विश्वास है कि श्री यशपाल सिंह का भी यही ख्याल होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है, अब कुछ नहीं हो सकता।

Shri Yashpal Singh : I stood up twenty times atleast and requested but I was not given a chance. Thus you have done injustice to me. I must be given a chance. Otherwise I will go on hunger strike against this injustice and high-handedness.

उपाध्यक्ष महोदय : यह खेद की बात है कि श्री यशपाल सिंह सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे है।

Shri Yashpal Singh : I have moved the resolution but I am not being allowed to speak. Hon. Speaker had promised that I would be allowed to speak. It is injustice towards me and it should be redressed.

श्री बदरुद्दुजा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रक्रिया नियमों के अधीन प्रस्तावक का यह अधिकार है कि वह वाद-विवाद का उत्तर दे।

उपाध्यक्ष महोदय : उसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह मामला समाप्त हो गया है। अब हम अगले विषय पर विचार करेंगे।

अध्यापकों द्वारा आंदोलन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: AGITATION BY TEACHERS

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री प्रकाश वीर शास्त्री के अध्यापकों द्वारा आंदोलन तथा उस सम्बन्धी सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में विचार करेंगी।

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Deputy-Speaker, I beg to move :

"That this House takes note of the statement made on the 26th February, 1965 by the Deputy Minister of Education regarding the agitation by teachers to press their demands and the Government's reaction thereto."

I would request Mr. Chagla to go through the statement of Deputy-Minister of Education given in this House on 26th February, 1965. Laws were made for different sections of society during last eighteen years but no law has been made

for safeguarding the service of the teachers. The teachers have not indulged in any activity which could be termed as subversive activity. Perhaps it is because of this that the voice of teachers could not reach the Government.

The pay of other Government servants is being increased and they are being given other facilities. How long can teachers continue their patience. Rising prices affect the teachers as much as any other classes. When dearness allowances of other Government employees were raised from time to time why no decision was taken in the case of teachers? Does the Government think that the teachers don't have to pay for the marriage or education of their children? Are the teachers given any medical benefit? Have any other facilities been given to them? If not, why no decision has been taken with regard to teachers when the Government have made provisions with regard to other services.

Since some State Governments have not been able to provide matching grants, why no special amount has been allocated for the teachers during fourth Five-Year Plan. I would like, Shri Chagla to say whether the demands of the teachers regarding salaries, pensions or dearness allowances are justified or not? The demands of the teachers should first be accepted in principle. Then it would be possible to find out ways and means to meet those demands. If the Government takes a decision to put an end to its wasteful expenditure, the money thus saved would be sufficient to give the teachers their due.

The teachers had made another practical suggestion to the Minister of Education. They had demanded that a Commission should be set up for the secondary education like the one set up for university education. The Minister refused to accept the demand on the plea that there was no such provision in the constitution. There should be no difficulty in amending the constitution for this purpose, when the future of the nation was in the hands of teachers. The constitution should be amended to put education on the concurrent list. Even if the State Governments do not agree to this proposal, the Central Government should take the decision themselves in the interest of the unity of the country.

I would like to submit here like All India Services as the Indian Administrative Service and Indian Police Service etc., All India Services should also be constituted for the Education Department. Even if the State Governments do not agree to this proposal, the Central Government should take a decision in the matter.

A question was raised in this House regarding education upto University level being made the charge the Centre. The Minister had stated that no State, except the State of Punjab has sent a reply which could be termed as satisfactory. The Centre should take initiative and take some decision in this direction.

The difference in the Pay scales of teachers in the Government and Private schools should be removed. The Secretary of Ministry of Education had said that the facilities given to Government schools in Delhi will be extended to private schools, but it seems it is not being done now. Thirteen thousand teachers of New Delhi have been completely deprived of these benefits. The pay committee appointed for teachers in U.P. has recommended a difference in the pay of teachers in Government and private schools. Some decision must be taken in this direction.

[Shri Prakash Vir Shastri]

The State Governments are not handling the problems of teachers in a large-hearted manner. It is the responsibility of the Central Government to impress upon the State Governments that the starving teachers could not build the nation. Why are they not willing to take a liberal decision in this connection ?

The Union Minister of Education had said that an amount of Rs. 8·34 crores had been allocated in the Third Five Year Plan to increase the salaries and give other facilities to the teachers and that a further sum of Rs. 3·30 crores had been allocated for the same purpose. Will the hon. Minister state whether that amount was not spent on opening new schools and appointing new teachers? Thus the amount required to be spent on the teachers already working has been spent for another purpose. The Central Government is not taking a liberal decision in this matter.

Nothing has been done to implement the assurance given by Dr. Shrimali on 23rd March, 1963 that minimum pay of a primary school teacher would be Rs. 100. The dearness has increased manyfold since that date but even then the Uttar Pradesh Government has been putting off this matter for about three years.

If the Government cannot increase the pay of teachers, it should provided them other facilities like free education upto M.A. for their children and free medical assistance etc.

[डा० सरोजनी महिषी पीठासीन हुई
DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

The destiny of Primary school teachers should not be left in the hands of District Boards, Municipal Boards or Panchayats. If primary schools are ignored in this country, we will not be able to build educational structure very high. We should seriously consider this matter.

The Government has set up a National Federation for Teachers' Welfare to help the teachers in case of sudden calamities. On the one hand the Government is honoring the teachers in this manner and on the other legislation is being brought forward to match away the right of teachers to send their representatives to Legislative Councils etc.

Housing facilities should be provided to lady teachers particularly in the rural areas and, as far as possible, the lady teachers should be able to live with their husbands.

In private schools, teachers are made to sign receipts for more money than they are actually paid. The Central Government and the State Governments should set up an organisation to ascertain the pay actually given to the teachers and provision should be made to give stern punishment to the defaulting schools. The management of private schools may remain with their managing committees but it should not mean uncertainty of service for teachers.

The age of retirement of teachers should not be 58 or 60 years as in the case of other services because with the advancement of age their experience is increased. Their age of retirement should be between 65 to 70.

An organisation on the lines of Indian Labour Organisation should be set up for teachers which should consider the problems of teachers and discuss the question of education and the future of the country.

Japan and Canada spend on education much more than any other country in the world, but unfortunately India is last but one in this matter. It is regrettable that India spends only 1·5 per cent on education. From this, one can imagine whether the same care is taken in the matter of education which it deserves.

The Government should take steps at the national level to ameliorate the condition of teachers. They should act firmly in the matter. They are not according an honourable status to the teachers. They do not give respect to the teachers, society does not give respect to the teachers and even the students do not give respect to the teachers. I would request Shri Chagla to take some decisions on national level in the light of his statement on 26th February, 1965. A law should be enacted on the national level and provision should be made for the security of service of the teachers.

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा अध्यापकों द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिये किये गये आन्दोलन तथा उसपर सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में शिक्षा उपमंत्री द्वारा 26 फरवरी, 1965 को दिये गये वक्तव्य पर विचार करती है।"

श्री वासूदेवन् नायर : श्री चागला ने शिक्षा विभाग सम्भालने के बाद अध्यापकों के साथ सहानुभूति व्यक्त करने के लिये कई वक्तव्य दिये हैं। मुझे विश्वास है कि वह देश के लाखों अध्यापकों की दशा जानते हैं। उनकी दशा बिल्कुल सन्तोषजनक नहीं है। अध्यापकों के साथ सहानुभूति व्यक्त करने के बावजूद उन की स्थिति में सुधार करने के लिए शिक्षा मंत्री ने कोई ठोस उपाय नहीं किया है।

वर्तमान प्रणाली के अधीन बहुत सी राज्य सरकारें वतन में वृद्धि करने की जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं ले सकती हैं क्योंकि पांच वर्षों के बाद वे उस वेतन क्रम को जारी नहीं रख सकती यदि केन्द्र उन्हें लगातार सहायता का विश्वास न दे। इसी कारण से अधिकांश राज्य सरकारें योजना के आवंटन का वास्तविक लाभ नहीं उठा सकी है। केन्द्रीय सरकार को इस महत्त्वपूर्ण मामले पर दृढ़ता से और अन्तिम निर्णय करना चाहिये ताकि राज्य सरकारें वास्तव में केन्द्रीय अनुदान का लाभ उठा सकें और समान अनुदान उपलब्ध करा सकें तथा अध्यापकों के साथ उचित व्यवहार हो सके।

जिस वक्तव्य पर विचार हो रहा है, उसके अन्त में अध्यापकों पर यह आरोप लगाया गया है कि वे आन्दोलन चला रहे हैं परन्तु मैं शिक्षा मंत्री को आश्वासन दिलाता हूं कि लगभग प्रत्येक राज्य में अध्यापकों के लिये और कोई चारा नहीं है। केरल में प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों को हड़ताल करनी पड़ी, तब उन्हें वे सुविधायें दी गई जो कि माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को मिली हुई हैं। अब सरकार उन अध्यापकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार कर रही है।

केरल में लगभग 10,000 अंशकालिक अध्यापक हैं जिनको 30 रुपये प्रतिमास वेतन मिलता है। हम भुखे पेट तथा चिन्ताओं में डूबे हुये लोगों से यह आशा कैसे रख सकते हैं कि वे हमारे बच्चों के भविष्य की देखभाल करेंगे। मैं यह बातें केवल इसीलिये बता रहा हूं कि हम अध्यापकों की समस्यायें उनके लिये कुछ लाभ प्राप्त करने

[श्री वासूदेवन् नायर]

के उद्देश्य से ही नहीं उठा रहे हैं बल्कि हमें इस समस्याओं पर शिक्षा का स्तर ऊंचा करने तथा एक नई आदर्शवादी पीढ़ी बनाने की व्यापक दृष्टि से विचार करना चाहिये, यदि हम व्यापक दृष्टि से अध्यापकों की समस्याओं को देखें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अध्यापकों की स्थितियों में सुधार हर हालत में करना है।

प्रश्न काल के समय मैं सभा का ध्यान गैर-सरकारी तथा सहायता-प्राप्त स्कूलों में कार्य कर रहे अध्यापकों की ओर दिलाता रहा हूं। मेरे राज्य में ऐसे स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति गुणों के आधार पर नहीं बल्कि उस धन के आधार पर की जाती है जो कि अध्यापक स्कूल के प्रबन्धक को दे सकते हैं।

मैं मंत्रालय से अपील करूंगा कि सामान्य रूप से सभी शिक्षकों और विशेष रूप से सहायता-प्राप्त गैरसरकारी स्कूलों के शिक्षकों की दशा की ओर ध्यान दें।

Shri K. N. Tiwary (Bagaha) : I fully support the idea of improving the financial position of the teachers. But I will like to draw the attention of the Education Minister to one point. It has been my experience that non-matric candidates belonging to scheduled castes and backward classes, are appointed as teachers irrespective of their qualifications and suitability for the post. When I raised this point in the District Development Committee I was told that this practice was in compliance of the orders of the Central Government. I will request Shri Chagla to look into the matter and ensure that only qualified and deserving persons are appointed as teachers. This has resulted in the deterioration of standard of education, which has gone down considerably in the last ten years. We want to raise the standard of education at all levels, schools or colleges. Efforts should be made in this direction.

Next I will suggest that students should not be compelled to enrol themselves as members of student unions and organisations. Some legislation should be brought forward to make the membership of student unions purely voluntary so that students are not charged union fee compulsorily.

A point was made here that the financial lot of the teachers should be improved. I fully agree with this view but teachers should also be fully alive to their responsibilities. I know of many cases where teachers in private and primary schools do not attend regularly to their duties and in fact attend to other private vocations. Thus they force the students to engage them for private tuitions. Such unhealthy practices should be curbed and the attitude of the teachers should be changed. I will request the hon. Minister to bear in mind all these points while framing any legislation, rules etc.

श्री दी० चं० शर्मा (गूरदासपूर) : सभापति महोदय, यह प्रश्न गलत जगह, गलत मौके और गलत ढंग से उठाया गया है। शिक्षा मंत्री जी ने एक शिक्षा आयोग का गठन किया है, जिसके बहुत गहरे परिणाम होंगे। यह आयोग शिक्षा सम्बन्धी सभी बातों पर विचार करेगा, जिसमें किंडरगार्टन से लेकर एम० ए० के बाद अनुसन्धान-कार्य तक की समस्याएं तथा शिक्षकों की स्थिति व सेवा की शर्तों में सुधार भी सम्मिलित है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि आयोग का प्रतिवेदन जितनी जल्दी हो सके हमें प्राप्त हो जाना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि रोग के घातक होने से पहले उसका उपचार हो जायगा।

यह दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता रहा है और इसके लिये बहुत कम राशि नियत की गई है। यदि हमें शिक्षा की समस्याओं को हल करना है तो चौथी योजना में इस के लिये 10 प्रतिशत राशि नियत करनी होगी। केरल को छोड़कर राज्यों में इस ओर ध्यान उचित नहीं दिया गया है। बजट की कम से कम 20 प्रतिशत राशि शिक्षा के लिए नियत की जानी चाहिये। एक रेलवे कर्मचारी को शायद भारत भ्रमण के लिये वर्ष में दो मुफ्त पास मिलते हैं लेकिन एक शिक्षक के बच्चों को स्कूल में मुफ्त शिक्षा भी नहीं मिल सकती। शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करने तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिये बजट की 33 प्रतिशत राशि नियत की जानी चाहिये। उन्हें चिकित्सा, पेंशन, भविष्य निधि, ग्रचुइटी तथा बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की सुविधाएं मिलनी चाहिये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ हद तक इस देश में शिक्षा के ढांचे में परिवर्तन किया है। सारे देश में प्रारम्भिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा की देखभाल के लिये भी इसके समान प्राथमिक शिक्षा आयोग तथा माध्यमिक शिक्षा आयोग स्थापित करने चाहिएं। इस सबके लिये साहस की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री उच्च शिक्षा को केन्द्रीय विषय बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त नहीं है, शिक्षा को पूर्ण रूप से केन्द्रीय विषय बनाना होगा। फिर शिक्षकों की सभी समस्याएं हल हो जायेंगी। प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक यह नहीं कहेंगे कि उन्हें पंचायतों के अधीन काम करना पड़ता है और न ही बिहार से निर्वाचित मित्र यह कहेंगे कि अयोग्य व्यक्तियों को शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाता है।

मैं केरल और उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को शिक्षा मंत्री के पास ले गया था, मैं समझता हूं जो उन्होने जो कहा वे उसे पूरा कर रहे हैं और उनके हृदय में शिक्षकों के प्रति वास्तविक सद्भाव है। मेरा विचार है कि यदि दो और आयोग, जिनकी स्थापना का मैंने सुझाव दिया है, बना दिये जायें तो उनके हाथ मज़बूत हो जायेंगे। भारतीय शिक्षा सेवा बनें या न बनें लकिन मैं चाहता हूं कि प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों का जीवन स्तर ऊंचा उठना चाहिये, माध्यमिक स्कलों के शिक्षकों का भविष्य उज्वल होना चाहिये तथा कालेजों के शिक्षक अपने तथा अन्य लोगों के लिये सुखद भविष्य की कल्पना कर सकें।

हमारे देश में कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं जो भारत सरकार की कृपापात्र बन रही हैं। अन्नामलाई, पंजाब, पटियाला, कुरूक्षेत्र जैसी राज्यों के विश्वविद्यालय नोकरों-चाकरों के मकानों में रहने वाले बच्चों के समान हैं और सम्बद्ध कालेज टपकने वाले टैंटों में रहने वाले बच्चों के समान हैं जिन्हें आंधी-पानी का सामना करना पड़ता है। इस बारे में इस सभा में कोई दो मत नहीं हो सकते कि स्वतन्त्र भारत में शिक्षकों का भाग्य शोचनीय है और उनके साथ अधिक अच्छा व्यवहार होना चाहिये तथा देश में शिक्षक को उचित स्थान दिलाने के लिये शिक्षा मंत्री को, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की तरह दृढ़ कदम उठाना चाहिय।

डा० मा० श्री० अणे (नागपूर) : शिक्षकों तथा शिक्षा के सामन्य प्रश्न पर चर्चा तो बहुत ई है लेकिन इसे समझा नहीं गया है। जब भी कोई नया शिक्षा मंत्री आया उसने एक आयोग बना दिया। वर्तमान मंत्री महोदय ने जो तीसरा शिक्षा आयोग बनाया है वह अन्य दो आयोग से इस दृष्टि से भिन्न है कि यह शिक्षा के समूचे प्रश्न पर विचार करेगा। आज शिक्षक के जीवन-दशा कठिन से कठिनतर होती जा रही है। शिक्षकों से नई आने वाली पीढ़ी, जो भविष्य मे देश का भार व दायित्व संभाल सके, को

[डा० मा० श्री० अणे]

उचित शिक्षा देने तथा उनके जीवन को सही दिशा में मोड़ने का भार सौंपा गया है। लेकिन उन्हीं की उपेक्षा की जाती है जिसका अर्थ देश के भविष्य और नवयुवकों की उपेक्षा करना है। अच्छा यह होगा कि शिक्षा मंत्री आयोग का काम शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ कराय तथा नियत अवधि में उसके प्रतिवेदन को सबके विचारार्थ उपलब्ध करायें।

कुछ ऐसे विषय हैं जिनपर इस बीच अविलम्ब कार्यवाही करनी चाहिये। शिक्षक का व्यवसाय एक सम्मानित व्यवसाय होना चाहिये। मैं समझता हूं कि शिक्षकों को अपने लड़कों लड़कियों के मामले में अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक रियायतें मिलनी चाहिए।

मैंने देखा है कि प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल जिला बोर्डो, ताल्लुक बोर्डों और जिला परिषदों द्वारा चलाये जा रहे हैं जिन्हें इनके चलाने के लिए ऊपर से कोई धन नही मिल रहा है। वास्तव में राज्य सरकारें अपनी स्वयंकी वित्तीय स्थिति अच्छी न होने के कारण इन संस्थाओं के सुचारू रुप से काम करने के लिये उचित वित्तीय सहायता देने को स्थिति में नहीं हैं। उन्हें समुचित वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।

मेरा तो यह विश्वास है कि शिक्षकों को बीमे का लाभ होना चाहिये। शिक्षक की जीवन-परिस्थितियां जितनी अच्छी होंगी वह उतनी ही अच्छी सेवा कर सकेगा। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के मामले में यह विशेष रुप से सही है। मेरा सुझाव है कि सभी सुझाओं पर विचार करने तथा शिक्षकों की सहायता करने व उनकी जीवन-दशा सुधारने के उपाय सुझाने के लिए इस सभा को एक समिति नियुक्त करनी चाहिए ताकि उसे अपना कर्त्तव्य अच्छी तरह निभाने और शिक्षा के नये आदर्श रखने में प्रोत्साहन मिले। इस समस्या पर अविलम्ब ध्यान देना चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपूर) : सभापति महोदय, शिक्षा मंत्री को विचाराधीन प्रस्ताव पर पूर्ण रूप से विचार करना चाहिए, मैं यह जानता हूं कि शिक्षकों के लिए उन्हें हार्दिक सहानुभूति है लेकिन उन्हें उपलब्ध साधन सिमित है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की गई, लेकिन कितनी ? अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक संघ तथा प्राथमिक शिक्षक संघ ने ज्ञापन दिये हैं। उनकी एक छोटी सी मांग है कि उनकी सेवा को शर्तों पर विचार करने के लिये एक आयोग स्थापित होना चाहिये। शिक्षकों को राष्ट्र का निर्माता माना जाता है जिसे इस देश के शासन का दायित्व संभालने के लिये आयोजक, डाक्टर, इंजीनियर और जवान तैयार करने हैं। लेकिन राष्ट्र-निर्माता के पास अपना सिर छुपाने के लिये जगह नहीं है।

केन्द्रीय सरकार को योजना में नियत राशि के अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिये। मै चाहता हूं कि बिहार, उत्तर प्रदेश व अन्य स्थानों में भूख-हड़ताल, धरना तथा परिक्षाओं के बहिष्कार के समय इस सभा तथा इसके बाहर प्रधान मंत्री और शिक्षा मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों को पूरा किया जाना चाहिये।

त्रिसुत्री लाभ योजना किसी भी राज्य में क्रियान्वित नहीं की गई है। राज्य सरकारें जानते है कि शिक्षक इतने विनयशील हैं कि यदि वे भूखे भी मर रहे हों तो कुछ अच्छे शब्द और "जी" कहने पर से वे कुछ भी करने को तैयार हो जायेंगे। भूखे शिक्षक अपना दायित्व सर्वोत्तम ढंग से नहीं निभा सकते हैं। शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच कोई सम्पर्क नहीं है और शिक्षक को स्थिति दया और भयोत्पादक

है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि एक समिति, चाहे वेतन समिति हो, विशेषज्ञ समिति हो या कोई अन्य समिति, स्थापित की जानी चाहिए, जिसमें शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि भी होने चाहिये, जो शिक्षकों की कार्य-दशा आदि पर विचार करके सिफारिश करे। वे सिफारिशें सरकारी, गैर-सरकारी, सभी प्रकार के कालेजों को क्रियान्वित करनी चाहिए। राज्य सरकारों को यदि और साधन चाहिये तो उन्हें यह प्रदान करनी चाहिए जहां प्रति वर्ष करों में 100 अथवा 200 करोड़ रुपए की वृद्धि हो रही है वहां क्या हम राष्ट्र निर्माताओं को कुछ करोड़ रुपए नहीं दे सकते। ऐसी समिति स्थापित न करना शिक्षकों तथा देश के भविष्य के साथ घोर अन्याय होगा।

Shri Balmiki (Khurja) : The teacher enjoys the highest place in over country and we should always remember that teachers are the builders of the nation. No doubt we regard them but the improvement in their standard of living, scales of pay, working conditions etc. should also keep pace with the progress, development and planning etc. in the country. We find to-day that even after implementation of three Five Year Plans the condition of teachers and sweepers, who look after the inner and outer cleanliness respectively, is deplorable. The efforts so far made for their welfare, which still continue, have not been adequate enough to give the desired results.

The unrest amongst teachers and resort to strike by them is a matter of serious concern. The Education Commission must consider with all seriousness, the question of raising the standard of education and streamline the entire education system. But this objective cannot be achieved without providing satisfactory working conditions to the teachers so that they may look to their responsibilities with sincerity of purpose. I favour the appointment of a committee to go into the working conditions of the teachers. The scales of pay of teachers must be up-graded.

I would like to classify the position regarding the affairs of Gandhi Harijan Vidyalaya, Madangir, of which I happen to be the president, since it has been alleged on the floor of the House by an hon'ble member that the teachers of that institution have not been paid salaries for one and a half years and the grants given by the Government have been misappropriated by a Member of Parliament. The hon'ble Minister is already aware that the salaries could not be paid for four months only. It is not proper on the part of a member to defame a fellow member. I may assure all my colleagues I am looking after the interests of this school with all sincerity and honesty. You are all aware that the position of aided schools is not good. I will request the hon'ble Minister to ensure that the payment of grants by Government or Corporation is not unnecessarily delayed.

Shri Yudhvir Singh (Mahendragarh) : There can be no two opinions here in this House or outside that the scales of pay of teachers need upgrading. As compared to other professions teachers are the worst sufferers. Whenever there is a function in any school sermons are given to the teachers and they are called upon to maintain the noble tradition of their profession and establish high ideals before the societies. How far we are justified in it when we cannot even provide them the necessities of life. All this becomes a farce. My hon'ble friend Shri Tiwary side tracked the issue and referred to some unhealthy practices. The solution of all these problems is to raise their standard of living. Then no cause for frustration will be left. Government must first discharge their own duty towards the teachers before expecting them to shoulder the heavy responsibility of training the citizens who can be relied upon to take the responsibilities of this country. There is imperative need to take steps to upgrade their scales of pay, which are extremely low.

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से सदन में अध्यापकों के प्रति दिखाई गई सहानुभूति में सम्मिलित करता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री ने उनकी दशा में सुधार करने के लिये जो कार्यवाही की है, हम उस की सराहना करते हैं। इस दिशा में अभी बहुत कुछ करने की गुंजाइश है।

अध्यापकों की सेवा शर्तों में सुधार होना चाहिये। उन की एक स्थान से दूसरे स्थान पर तब्दीली गर्मियों के अवकाश के दिनों में ही होनी चाहिये। नहीं तो उन को बहुत कठिनाई होती है। गांवों में अध्यापकों की कठिनाइयों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन लोगों के लिये मकानों की व्यवस्था की जानी चाहिये।

पहले प्रत्येक दो वर्षों के पश्चात पूरे देश में शिक्षा के विकास की स्थिति के बारे में सरकार एक रिपोर्ट प्रकाशित किया करती थी। मैं नहीं जानता कि अब भी वह प्रकाशित होती है या नहीं। मेरा सुझाव है कि इस बारे में देश के विभिन्न भागों में अध्यापकों के बारे में एक रिपोर्ट छपनी चाहिये। इसे यहां सभा में प्रस्तुत किया जाये। सरकार को भी अध्यापकों की सहायता के लिये वित्तीय सहायता देनी चाहिये। सरकार को इन सभी सुझावों पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार करना चाहिये।

श्री अल्वारेस (पंजिम) : अध्यापकों की सहायता करना राष्ट्र की सहायता करना है। ये लोग न केवल विद्या सम्बन्धी योग्यताओं में बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी सहायक हो सकते हैं। यह बात नियोजन के विशेषज्ञों ने कही है। मैं चाहता हूं कि अध्यापकों के वेतन बढ़ाये जायें और इस बारे में वित्त मंत्री को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये।

सभी को ज्ञात है कि अध्यापकों की सेवा की वर्तमान दशा बहुत खराब है। उन को वेतन बहुत विलम्ब से मिलता है। मेरा सुझाव है कि इस सब बातों पर विशेष ध्यान दिया जाये और अध्यापकों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त किया जाये।

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : हम चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो। परन्तु इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। यह बात ठीक है कि हमारे देश में शिक्षा पर बहुत कम व्यय होता है। अब हमने अपनी इस भूल को महसूस कर लिया है और इस बारे में आवश्यक कार्यवाही हो रही है।

अध्यापकों के वेतन बढ़ाने के लिये तृतीय योजना में 34.34 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी परन्तु वास्तव में 37 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। यह बात ठीक है कि यह बहुत कम राशि है। इस बारे में राज्यों की सरकारों ने भी मांग की है कि केन्द्रीय सरकार सहायता करे। परन्तु प्रश्न तो संसाधनों का है। अब श्रीनगर में हुए राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में एकमत से निर्णय किया गया है कि अध्यापकों के वेतन में वृद्धि के प्रश्न को योजना की परिधि से बाहर रखा जाये। यदि राज्य कोओी विशेष सहायता करें तो हम भी सहायता करेंगे। हम वित्त आयोग की रिपोर्ट पर निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस के प्राप्त होने के पश्चात यह देखा जायेगा कि सरकार अध्यापकों के वेतन बढ़ाने की दिशा में क्या सहायता कर सकती है।

ऐसी बात नहीं है कि इस बारे में कुछ भी न किया गया हो। बिहार और उत्तर प्रदेश में हाल ही में अध्यापकों के वेतन बढ़ाये गये हैं। यह ठीक है कि उन के वेतन कम हैं परन्तु उन को पूरा सम्मान दिया जाता है। सरकार उन्हें राष्ट्रीय पारितोषिक प्रदान

करती है। उन के लिये सरकार ने एक राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की भी स्थापना की है। और कठिनाई में ग्रस्त अध्यापकों की सहायता भी की जाती है। यह ठीक है कि अभी इससे अधिक और करना शेष है।

अभी हाल ही में बहुत सी राज्य सरकारों ने अध्यापकों के वेतनक्रमों में वृद्धि की है। वास्तविक प्रश्न अध्यापकों की मांगों के औचित्य को समझने का नहीं परन्तु संसोधन जुटाने का है। देश में शिक्षा की प्रगति तभी होगी जब हम इस के महत्व को समझेंगे। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिये पृथक आयोगों की स्थापना नहीं की जा सकती। ऐसा करना संविधान के विरूद्ध होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस विषय को संविधान की समवर्ती सूची में लाया जाये तब हम ऐसा कर सकेंगे। पंजाब के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य ने अभी तक सहमति प्रकट नहीं की है।

मैं मानता हूं कि एक अध्यापक का कम से कम वेतन 100 रुपये होना चाहिये। उत्तर प्रदेश और बिहार में अब यह व्यवस्था कर दी गई है। देश में अखिल भारतीय शिक्षा सेवा बनाने की कार्यवाही की जा रही है। 1 अप्रैल 1963 से संघ क्षेत्रों में अध्यापकों के लिये भविष्य निधि, पेन्शन और बीमा योजना चालू कर दी गई है। इन लोगों के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही है। जम्मू और काश्मीर में शिक्षा स्नातकोत्तर स्तर तक सभी के लिये मुफ्त है। अध्यापकों के प्रतिभाशाली लड़के तथा लड़कियों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। यह ठीक है कि और भी बहुत कुछ होना चाहिये।

जब अध्यापकगण हड़ताल करते हैं तो वे अपने ही हितों को हानि पहुंचाते हैं। यह कहा गया है कि शिक्षा का स्तर गिर गया है परन्तु हमें यह भी देखना चाहिये कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा में कितना अधिक विस्तार हुआ है।

अध्यापकों की एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबदीली के बारे में मुझे कहना है कि यह कार्य राज्य सरकारों का है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इन लोगों का स्थानान्तरण शीघ्र नहीं किया जाना चाहिये और उन के लिये मकानों आदि की व्यवस्था की जानी चाहिये। यह कहना ठीक नहीं कि दिल्ली में सहायताप्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को त्रि-सूत्री लाभ में शामिल नहीं किया गया है।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : If something is done for the welfare of teachers it would be very good. The Education Minister has shown very sympathetic attitude towards the demands of teachers. During the last 18 years they have been neglected a lot. No provision has been made for teachers' welfare in the fourth plan. It is very regretable. Government should lay down their conditions of service under an act of Parliament . This law should be applicable to teachers all over India.

I suggest that constitution should be amended to implement the policies. The subject education should be made a subject of concurrent list of constitution.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा अध्यापकों द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिये किये गये आन्दोलन तथा उसपर सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में शिक्षा उपमंत्री द्वारा 26 फरवरी, 1965, को दिये गये वक्तव्य पर विचार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ / *The motion was adopted*

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—जारी

STATUTORY RESOLUTION RE : ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY (AMENDMENT) ORDINANCE AND ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

Mr. Speaker : Does Shri Yashpal Singh want to say something.

Shri Yashpal Singh : Mr. Speaker, Sir, I have to say the Deputy Speaker has done injustice to me. He did not call me to give reply on the discussion of my Resolution. I stood up for about 20 times to catch his eye but he hoodwinked me. I am very sorry that he did not show respect due to this House. I request you to clarify the position and say whether I had the right to reply or not. I have great respect for this august House. It is unfortunate thing that I was not allowed to exercise my right. If justice is not done to me, I will take recourse to hunger strike. I cannot tolerate disrespect to this House.

श्री रंगा (चित्तूर) : जब यह घटना हुई, मैं यहां पर ही था। उपाध्यक्ष महोदय ने भूल की है और इन से पूछा नहीं कि क्या यह उत्तर देना चाहते हैं? यह सम्बद्ध सदस्य के साथ अध्यक्ष का भी कर्तव्य है कि वह ऐसा पूछे। उपाध्यक्ष महोदय ने बहुत शीघ्रता से कार्य किया है। यह उन की आदत है। उन्हें इन से क्षमा मांगनी चाहिये थी अतः आप इन को शान्त करने के लिये कुछ करें।

Mr. Speaker : I apologise on behalf of chair. Now he should leave the matter. The presiding officer is also a human being. He can Commit mistake. The hon. Members should not get annoyed and threaten to go on hunger strike. Shri Yashpal Singh should forget this now. I was listening to his remarks. He was also saying something which was not good taste.

We should be careful and should remain within limits.

इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 3 सितम्बर, 1965/12, भाद्र 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday the 3rd September, 1965/Bhadra 12, 1887(Saka).

भा० स० मू० ना०—वि 5—26 लोक सभा/65—19-4-66—600